दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स टुडे

वर्ष 5 | अंक 6 | कुल अंक 54 | दिसंबर 2019 | ₹ 120

महत्त्वपूर्ण लेख

हम धर्मनिरपेक्ष हैं या पंथनिरपेक्ष?
(द्वारा – डॉ. विकास दिव्यकीर्ति)

भारत-चीन रिश्तों का बदलता परिदृश्य

सरोगेसी (विनियमन) विधेयक : समग्र विश्लेषण

टारगेट प्रिलिम्स-2020 पहली कड़ी

विश्व एवं भारत का भूगोल

पुस्तक समीक्षा

एन ऑटोबायोग्राफी ऑर
माइ एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ
–एम.के. गांधी

टॉपर से बातचीत

कंचन
UP-PSC-2017 में
SDM पद पर चयनित

एनसीआरबी रिपोर्ट-2017
का विश्लेषण सहित सार

संपूर्ण योजना, कुरुक्षेत्र (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) समेत महत्त्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं का सार

माइंड मैप एवं
महत्त्वपूर्ण निबंध

प्रिलिम्स एवं मुख्य परीक्षा के
हल सहित अभ्यास प्रश्न-पत्र

मानचित्रों से सीखें
(भारत एवं विश्व)

drishti | दृष्टि The Vision

Think IAS. Think Drishti.

सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में 20 वर्षों के व्यापक अनुभव के साथ,
हिंदी माध्यम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से कोई समझौता न करते हुए,

अब दृष्टि आ रही है

अंग्रेज़ी माध्यम में भी

प्रयागराज केंद्र पर

एडमिशन लेने वाले पहले 30 विद्यार्थियों के लिये कुल फीस में 30% की विशेष छूट

सेमिनार टोकन 10 नवंबर से उपलब्ध

निःशुल्क सेमिनार

रविवार, 24 नवंबर, 2019
शाम 5:30 बजे

द्वारा

डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

इस सेमिनार में भाग लेने के लिये टोकन लेना ज़रूरी है।
टोकन हमारी प्रयागराज शाखा पर 10 नवंबर से उपलब्ध होंगे।

Website	YouTube	YouTube	Magazine	Study Materials	Facebook	Instagram
drishtiIAS.com	Drishti IAS : English	Drishti IAS	DCAT	DLP	Drishti IAS : English	Drishti IAS : English

दृष्टि आई.ए.एस. (प्रयागराज शाखा) का पता

ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज

☎ 8448485518, 8750187501, 8929439702 🌐 www.drishtiias.com

अब घर बैठे कीजिये आई.ए.एस. की तैयारी क्योंकि हम आ रहे हैं आपके घर

दृष्टि The Vision | drishti

Think IAS Think Drishti

जानकारी के लिये कॉल करें-
9319290700
9319290701
9319290702
या सिर्फ मिस्ड कॉल करें-
8010600300

आई.ए.एस. प्रिलिम्स ऑनलाइन कोर्स

(IAS Prelims Online Course)

प्रिय पाठकों,

हमारे यूट्यूब चैनल और वेबसाइट से जुड़े हज़ारों व्यूअर्स ने हमसे निवेदन किया था कि वे दृष्टि की कक्षाओं की गुणवत्ता का लाभ उठाना चाहते हैं किंतु दिल्ली में दो वर्ष रहने का लाखों रुपए का खर्च नहीं उठा सकते। उन्हीं के निवेदन को ध्यान में रखते हुए हम दृष्टि के 20वें स्थापना दिवस (1 नवंबर, 2019) पर अपना पहला पेन ड्राइव कोर्स जारी कर रहे हैं जो IAS प्रिलिम्स के पाठ्यक्रम पर केंद्रित है। इसमें आप सामान्य अध्ययन तथा सीसैट के कोर्स ले सकते हैं। लगभग 2 वर्षों की कठोर मेहनत से तैयार हुआ यह वीडियो कोर्स गुणवत्ता में अच्छे से अच्छे क्लासरूम प्रोग्राम को टक्कर दे सकता है। हमें विश्वास है कि यह कोर्स उस अंतराल को भरने में सफल होगा जो दिल्ली में रहकर तैयारी करने वाले और दिल्ली नहीं आ पाने वाले विद्यार्थियों के बीच बना रहता है। निकट भविष्य में हम IAS मुख्य परीक्षा और विभिन्न राज्यों की PCS परीक्षाओं के लिये भी ऑनलाइन कोर्स शुरू करेंगे।

आरंभ : 1 नवंबर, 2019 से

पहले 500 विद्यार्थियों को 20% की विशेष छूट

मोड : पेनड्राइव

- कक्षाओं की गुणवत्ता को परखने के लिये डेमो वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल Drishti IAS की प्लेलिस्ट Online Courses में देखें
- ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी हर जानकारी के लिये हमारी वेबसाइट www.drishtiias.com पर FAQ पेज देखें

IAS प्रिलिम्स ऑनलाइन कोर्स की विशेषताएँ

1. 500+ घंटे की सामान्य अध्ययन की कक्षाएँ।
2. 120+ घंटे की सीसैट की कक्षाएँ।
3. प्रत्येक कक्षा को 3 बार देखने की सुविधा ताकि आप रिवीज़न भी कर सकें।
4. कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल। इमेज, वीडियो आदि की मदद से कठिन विषय समझाने की शैली।
5. हर क्लास के अंत में उस टॉपिक से IAS में पूछे गए और अन्य संभावित प्रश्नों का अभ्यास।
6. स्टेट-ऑफ-द-आर्ट कैमरा और साउंड क्वालिटी जो क्लास के अनुभव को एकदम वास्तविक जैसा बनाती है।
7. प्रिलिम्स के ठीक पहले करेंट अफेयर्स की 30 ऑनलाइन कक्षाएँ (निशुल्क)।
8. ऑनलाइन प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज़ (25+5 टेस्ट) की निशुल्क सुविधा।
9. क्विक बुक सीरीज़ की 8 पुस्तकें निशुल्क, जिनके अलावा कोई और स्टडी मैटीरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं।
10. इस कोर्स को करने के बाद अगर आप दृष्टि की किसी भी शाखा में सामान्य अध्ययन (फाउंडेशन कोर्स) करते हैं तो आपकी ऑनलाइन कोर्स की फीस की 50% राशि की छूट दी जाएगी।

दृष्टि आई.ए.एस. (दिल्ली) : 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
☎ 87501 87501

दृष्टि आई.ए.एस. (प्रयागराज) : ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज
☎ 8750187501

कहाँ क्या है?

संपादक की कलम से... 5
क्योंकि समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है...

टॉपर से बातचीत 7
कंचन
UP-PSC-2017 परीक्षा में SDM पद पर चयनित

आईएएस प्रिलिम्स ऑनलाइन कोर्स 10
प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

लेख खंड 19
विशेष लेख
- *हम 'धर्मनिरपेक्ष' हैं या 'पंथनिरपेक्ष'? (20)*

राजनीतिक लेख
- *सरोगेसी (विनियमन) विधेयक : समग्र विश्लेषण (25)*

अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आधारित लेख
- *भारत-चीन रिश्तों का बदलता परिदृश्य (28)*

ऑडियो लेख
- *भारत की ऊर्जा सुरक्षा (31)*

करेंट अफेयर्स 33
- *अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम (34)*
- *संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम (37)*
- *आर्थिक घटनाक्रम (43)*
- *अंतर्राष्ट्रीय संबंध (50)*
- *विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (58)*
- *पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (62)*
- *भूगोल एवं आपदा प्रबंधन (67)*
- *सामाजिक मुद्दे (73)*
- *कला एवं संस्कृति (79)*
- *आंतरिक सुरक्षा (81)*
- *संक्षिप्तियाँ (83)*

मानचित्रों से सीखें 96
मानचित्र-1 (96)
मानचित्र-2 (97)

पुस्तक समीक्षा 98
- *एन ऑटोबायोग्राफी ऑर माइ एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ -एम.के. गांधी (98)*

जिस्ट 101
उपयोगी पत्र-पत्रिकाओं के लेखों का सार
- *संपूर्ण योजना (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) का सार (102)*
- *संपूर्ण कुरुक्षेत्र (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) का सार (107)*
- *राजव्यवस्था एवं समाज (115)*
- *अर्थव्यवस्था (118)*
- *विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (121)*
- *पर्यावरण (124)*
- *अंतर्राष्ट्रीय संबंध (127)*
- *एथिक्स (129)*

रिपोर्ट्स एवं सर्वे (विश्लेषण सहित) 131
- *एनसीआरबी रिपोर्ट, 2017 (131)*

निबंध खंड 134
- *निबंध प्रतियोगिता (134)*

करेंट अफेयर्स से जुड़े संभावित प्रश्न-उत्तर 135
- *मुख्य परीक्षा के लिये संभावित प्रश्न तथा उनके उत्तर (135)*

माइंड मैप 141
- *भारत के महान्यायवादी (141)*
- *मामल्लपुरम (142)*

टारगेट प्रिलिम्स 2020 : पहली कड़ी भारत एवं विश्व का भूगोल 143
- *विश्व का भूगोल (144)*
- *भारत का भूगोल (173)*

करेंट अफेयर्स पर आधारित प्रिलिम्स अभ्यास प्रश्न 207

आपके पत्र 210

टीम दृष्टि का हिस्सा बनिये

प्रिय पाठक, यदि आपने कभी आई.ए.एस. या पी.सी.एस. की मुख्य परीक्षा दी है और अगर आप आकर्षक वेतन पर दृष्टि आई.ए.एस. की कंटेन्ट व रिसर्च टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही 8448898678 नंबर पर कॉल करें।

दिसंबर 2019 ■ मासिक ■ वर्ष-5 ■ अंक-6 ■ कुल अंक-54

टीम दृष्टि

- **प्रधान संपादक:** डॉ. विकास दिव्यकीर्ति
- **डायरेक्टर:** डॉ. तरुणा वर्मा
- **कार्यकारी प्रमुख:** शिवेश मिश्रा
- **सलाहकार मंडल:** डी. कुमार, कुमार गौरव, अखिल मूर्ति, राजेश मिश्रा, निशांत श्रीवास्तव, रीतेश जायसवाल, सौरभ चतुर्वेदी, ए.के. अरुण, प्रवीण पांडेय, अनिल केशरी, मंजेश कुमार, वी.के. त्रिवेदी, अख्तर मलिक, निशांत श्रीवास्तव, ऋषि जैन, मदन मोहन, सर्वेश तिवारी, जावेद फारुकी, प्रमोद कुमार द्विवेदी, के.पी. द्विवेदी, अभिषेक कर्ण।
- **कार्यकारी संपादक:** पुरुषोत्तम 'प्रतीक'
- **संपादक:** आलोक कुमार अग्रवाल, शशि भूषण तिवारी, निधि सिंह।
- **समाचार संपादक:** हरि किशोर यादव, गायत्री, शिवानी सिंह।
- **प्रबंधन परामर्श:** अजय कड़ाकोटी, मो. आफताब आलम, अभिषेक सिंह, विवेक तिवारी, अमृत उपाध्याय, एकता कालिया, नरेन्द्र प्रताप, मो. साजिद सैफी, अजय शर्मा, चंद्रप्रकाश राय, अमित कुमार श्रीवास्तव, नेहा चौधरी, जितेन्द्र रोहिला, आनंद शुक्ला, दिलीप कुमार, गोपाल राय।
- **संपादन सहयोग:** राजीव तिवारी, मुकुल आनंद, सुशांत कुमार, सुरेश पाल सिंह, सूर्य कुमार द्विवेदी, जगदीश पांडेय, पीयूष कांत गांगुली, राजू प्रसाद, पुष्पा कुमारी, प्रवेश चौधरी, कृष्ण कुमार सिंह, नीरज कुमार, विवेक सिंह, दीपक तिवारी, आभा प्रजापति, रोहित नंदन मिश्रा, देवेन्द्र कुमार, अमरजीत पासवान, रविकांत, राकेश राजपूत, श्रवण कुमार सुमन, संत विजय, महिमा राजपूत, रेखा, नगेन्द्र सिंह, रीना कुमारी, अवनिन्द्र जयसवाल, एजाज़ अनवर, सूर्य प्रकाश, राहुल कश्यप, सिद्धार्थ कुशवाहा, अवधेश कुमार, रवि गोले, मनीषा यादव, पंकज तिवारी, निखिल चौहान, कुमार रविशंकर, यशोधरा, स्मिता वर्मा, रामहंस यादव, राहुल गिरी, राम राठी प्रसाद, प्रदीप मौर्या, मो. फैजुल इसलाम, रामबाबू यादव, अजीत कुमार सिंह, प्रियेष कुमार, नीरज कुंदन, बिकास कुमार, दीपाली तायडे, रमंत झंड, वशिष्ट नारायण, कृष्ण कुमार साह, विवेक कुमार सिन्हा, निशा शर्मा, प्रियंका सिंह, जितेन्द्र कुमार, रेखा वर्मा, अंकित रावत, श्रद्धा भदौरिया, मो. रिज़वान, खुशबू, संजूर आलम, अर्चना शर्मा, जितेन्द्र, हेमंत, धीरेन्द्र कुमार बागरी, निरंजन कुमार, कविता अवस्थी, अंकित त्यागी, चित्राँशु पांडेय, अजीत कुमार पटेल, अंकुर कुमार, हिमाँशु सिंह, कवीन्द्र कुमार यादव, करिश्मा, मनीषा, बबीता, खुशहाल, केवल कृष्ण पांडेय, आशुतोष सिंह, लोकेश कुमार, सलमान अहमद, हरीश कुमार, आभा कुमारी, ज्योति, किशोर कुमार झा, विकास कुमार, निशा शाहीन, शिल्पी सरकार, ऋतुराज कुमार, दिनेश, नेहा कुमारी, मोहित कुमार, अमित कुमार, नेहा लक्ष्यकर, वर्षा तारण्या, उद्याभान सिंह, प्रीति झा, अमित कुमार, विवेक दिवाकर, आशुतोष कुमार यादव, राजेश कुमार, हिमिका, पिंकी कुमारी, निर्मल कुमार राजू, राम प्रवेश यादव, शशाँक श्रीवास्तव, रमेंद्र कुमार पासवान, कविता, अशोक कुमार, कृष्णा, आँचल वसनीक, आरती सिरोही, राहुल कुमार, सौरभ कुमार गोयल, योगेश कुमार सिंह, आतिफा काज़ी, राजेश्वर प्रसाद पटेल, सोनू वैश्या, मनीष कुशवाहा, विकास तिवारी, अतुल, जंग बहादुर यादव, मनीष प्रताप तिवारी, मेघना राठी, दीपिका, आकाश उपाध्याय, पूजा उपाध्याय, दीपिका परिहार नेगी, राजदीप चौहान, मनीष कुमार सिंह, प्रेम चंद्र, रोहित सिंह, रोहित कुमार पाठक, मनराज गुर्जर, अक्षय शुक्ला, साधना सनौदिया, विपिन कुमार यादव, मो. रकीब, मधुबाला, नितिश कुमार, जितेन्द्र कुमार राय, नम्रता सिंह, हिमांशु शर्मा, मुज़ीबुल्लाह खान, अनुराग सिंह, अखिलेश कुमार पांडेय, सिद्धांत शुक्ला, साहिल कुमार चौहान, अमित सिंह, अल्का डारिया, रोशनी, महेन्द्र रेवापति, विनोद कुमार, दिपेश कुमार, आनंद प्रकाश पांडेय, पंकज कुमार वर्मा, जितेन्द्र चौहान, मीत वर्मा, हर्षवर्धन, भावेश द्विवेदी, सिद्धार्थ पटले, अंकित कुमार, प्रतिमा सिंह, कपिल वर्मा, दीपिका जिंदल।
- **टाइपसेटिंग और डिज़ाइनिंग सहयोग:** लोकेश पाल, जीतेश, अनिल कुमार, विवेक कुमार पाल, पूनम सक्सेना, करुणा अग्रवाल, मेधा, संजू वर्मा, राजो कामती, चेतन कुमार, अमित कुमार बंसल, अखिलेश कुमार, समरजीत सिंह, अजय गुरंग, संदीप कुमार, संजीव कुमार, तारा कुमारी, सुदीप पाल, लोकेश कुमार, पूजा नेगी, पुनीत मंडल, अनुज कुमार।
- **वेब सहयोग:** अविनाश कुमार, दुर्गेश, अभिषेक कुमार, अनु राज, रवि शंकर, विनय प्रकाश श्रीवास्तव, प्रीति अहूजा, सुनील कुमार यादव, प्रतिभा राय, जया जोशी, शिप्रा, रिमझिम, ब्रिजेश कुमार यादव, जसवंत सिंह रावत, सोनाली चौपड़ा, पायल, शिवानी अत्री, प्रिया।
- **प्रबंधन सहयोग (वरिष्ठ):** अरुण सिंह, राजेश धस्माना, राजेश कुमार झा, श्रीकांत कुकरेती।
- **प्रबंधन सहयोग:** मोहित वालिया, नितेश कुमार झा, मोहित मिश्रा, राकेश सिंह चौहान, मोहित पांडे, कुंदन कुमार, शिव कुमार, वेद प्रकाश, मुकेश कुमार पाठक, असीम करन, अंशुल तिवारी, सुनील शेलके, संजीत कुमार, विपिन गुप्ता, मनीष जैन, संदेश कुमार डोगरा, नम्रता सिंह, मनवीर नेगी, शुभम वर्मा, गीता पाल, संदीप कुमार पांडेय, प्रीति चौधरी, नीतिका शर्मा, राकेश ठाकुर, अनिता जसवाल, गीता शर्मा, किरण मल्होत्रा, नीरज शर्मा, अभिषेक शुक्ला, नितिन बोबल, तब्बसुम मलिक, इरफान खान, श्वेता, रविशंकर, रहमत, अंजलि मिश्रा, अनुराग मिश्रा, यश कुमार मौर्य, सौरभ कुमार, शीतल, रचना दूबे, रंजीत कुमार कुशवाहा, अर्पित सोनी, सौरभ कुमार, गौरव मिश्रा, रजनीश कुमार त्रिपाठी, सबिता गिरी, कृष्ण कुमार, सौरभ अहिरवार, रवि कुमार, राजेश जॉन, केदारनाथ यादव, अंकुर कुमार, पूजा द्विवेदी।
- **मीडिया सहयोग:** राजकुमार कोले, अर्जुन नेगी, सुभाष पाटिल, श्रवण कुमार, संदीप रावल, अतुल सिंह, दीपक चौधरी, तरुण ग्रोवर, सुभाष चंद्र, लक्ष्मण कुमार, धीरज कौशिक, क्षितिज साहनी, अनिल स्टिफन, अखिल कुमार, निपेन्द्र सिंह, देवेन्द्र सिंह, मनोज कुमार (1), मनोज कुमार (2), राहुल अग्रवाल, लवनीत सिंह, गणेश हरिभाऊ अधाने, अनिल कुमार पटेल, विष्णु कांत दुबे, रोहित कुमार, कमलेश कुमार, पवन दुआ, मनदीप रावत।
- **दैनंदिन सहयोग:** गजेन्द्र, रवि कुमार, भावेश गिरी, महेश कुमार, दिलीप तिवारी, अमित कुमार, विकेश कुमार, राजू बेरा, पंचानन मिश्रा, अंकित यादव, पुनीत कांगड़ा, राहुल कुमार, मनोज कुमार, अविनीश श्रीवास्तव, सलमान, मो. शकील, सुरेन्द्र रॉय, अमित कुमार रोहिला, दीपक पाल, ऋषभ कुमार, साहिल, सुभाष कुमार, राम सूरत यादव, राजू शर्मा, मनीष कुमार, दीपक कामती, ज्ञान प्रकाश मौर्या, प्रवीण, सूरज प्रकाश, अजीत कुमार, बलवंत सिंह, विश्वेंदर चौधरी, इम्तियाज़ अंसारी, मनोज सिंह, मन्नु कुमार, मुन्ना, सतीश, वकील, दिनेश कुमार मिश्रा, सुजीत यादव, विनय कुमार, कैलाश मल्होत्रा, नरेश राय, संतोष कुमार कामत, मनु चौधरी, श्रवण कुमार, सुमित कुमार, अभिषेक, सुजीत कश्यप, तरुण, नरेंद्र कुमार, हरे राम, अतुल शर्मा, नेत्रपाल, राजेश कुमार, नीशु रोहिला, शिव शंकर पटेल, मो. अरमान, आशु मिश्रा, आशीष, सोचिन कुमार यादव, राजेश कुमार, अमित कुमार रे, सौरभ कुमार, पुष्पेन्द्र कुमार, जशवंत सिंह भकुनी, बेचन चौधरी, अभय राज, पंकज कुमार शर्मा, गौरव कुमार, उमेश, जितेन्द्र कुमार, विपिन कुमार, हिमांशु कुशवाह, ऋषिकेश तोमर, सुनील कुमार शुक्ला, लाल बाबू यादव, मोनू (1), सचिन कुमार, पप्पू कुमार, प्रियांशु, ममता, सचिन लाहुडकर, भीकू, गौतम कुमार, अवधेश कुमार, अमन कुमार, तुलसी कुमार, योगेन्द्र सिंह, मो. अख्तर, हरीनाथ, आशीष, रोहित कुमार, निक्की कुमार, मुकेश कुमार, राजेश कुमार यादव, राम आशीष मिश्रा, राम चंद्र, सद्दाम हुस्सैन, पप्पू चौधरी, अतुल कुमार, देवेन्द्र सिंह गौर, रंजीत, सचिन कुमार, चंद्र भान, सचिन, गोपाल कुमार, दिगम्बर कुमार पासवान, भावेश कुमार, पवन कुमार साहू, संजय कुमार, बोआ झा, राजबीर, विजय राज, रविन्द्र कुमार, विक्रांत सिंह, परवेज़, किशन कनौजिया, सुरेश चंद्रा, रामकिशन बिंशकर, अंकित मिश्रा, कौशल शर्मा, नीरज कुमार, लीलावती, श्याम कुमार सौराष्ट्रिया, जितेन्द्र कुमार, उमाकांत शर्मा, धर्मेन्द्र कुमार, दिलीप, उदय पासवान, अमरजीत कुमार, मनीष, आकाश चौहान, अनिकेत कुमार साह, पुनीत कुमार मिश्रा, विनय पांडेय, विजय, छाया देवी नरेंद्र, अरविंद द्विवेदी, प्रकाश सिंह, अभिषेक कुमार, विजय बहादुर, अर्जुन, अनिल कुमार, नगेंद्र, पवन कुमार मोदी, योगेश सिंह, सुरेन्द्र, रवि, अंकित, दिलीप चौधरी, ललित मोहन उपाध्याय, मोहित कुमार तिवारी, प्रिंस कुमार, रोहित, अभिषेक, अंकुश, शिवम, मनीष कुमार, अभिमन्यु कुमार, संदीप, संजय कुमार शर्मा, अभिषेक कौशल, कुमार पाल, विष्णु कांत मिश्रा, मनोज कुमार, सूरज कुमार, पवन कुमार, राहुल, हरीओम,सुनील कुमार, धर्मेन्द्र कुमार, निहाल तिवारी, अंकित कुमार, विनय।

संपादकीय पत्र व्यवहार

कार्यकारी संपादक,
दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे,
दृष्टि पब्लिकेशन्स,
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

- इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि संपादक या प्रकाशक का दृष्टिकोण भी वही हो। हमारी कोशिश यही रहती है कि विभिन्न विचारधाराओं वाले लेखकों के लेख शामिल करें ताकि पाठकों को किसी विषय पर अलग-अलग दृष्टिकोण मिल सकें।
- इस पत्रिका में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।
- हम विश्वास करते हैं कि इस पत्रिका में छपे लेख लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखे गए हैं। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो लेखक को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।
- © **कॉपीराइट:** दृष्टि पब्लिकेशन्स, सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपिकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानान्तरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

पत्रिका की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों व सुझावों तथा वितरण और विज्ञापन के लिये संपर्क (Whatsapp) करें-

अजय कड़ाकोटी (सी.एफ.ओ.)
(8130392355)

पत्रिका के सब्सक्रिप्शन के लिये संपर्क करें-

नरेन्द्र प्रताप (वेब प्रमुख) (8448485516)

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक विकास दिव्यकीर्ति द्वारा 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 से प्रकाशित एवं एम.पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेज़-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित। संपादक- डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

संपादक की कलम से...

क्योंकि समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है...

प्रिय पाठको,

आपने सुना होगा कि जो व्यक्ति या समाज समय की नज़ाकत को नहीं पहचानता है, समय उसे इतिहास के गुमनाम पन्नों में धकेल देता है। अपने समय की तमाम चुनौतियों से वही पार पा सकता है, जो परिवर्तन की आहटों को भाँपकर उनके अनुसार खुद को तैयार रखता है। समय निर्मम है। वह किसी के लिये भी स्थायी रूप से अनुकूल नहीं होता। हमें ही कोशिश करनी होती है कि खुद को उसके साथ समायोजित करें।

इस सत्य को भारत और पश्चिम के कई चिंतकों ने प्राचीन काल में ही समझ लिया था। उदाहरण के लिये, भारतीय चिंतन परंपरा में जहाँ जैन, सांख्य, न्याय और वेदांत जैसे दर्शन नित्य व शाश्वत सत्य (जैसे ईश्वर) को खोजने में लगे हुए थे, वहीं महात्मा बुद्ध ने घोषणा की कि जगत में कुछ भी नित्य नहीं है। उनका प्रसिद्ध कथन है कि हम एक नदी में दो बार नहीं नहा सकते। भाव यह है कि दूसरी बार तक नदी (जल राशि) भी बदल चुकी होती है और नहाने वाला भी। ठीक यही बात, इसी उदाहरण के साथ लगभग उसी दौर में ग्रीक दार्शनिक हेराक्लाइटस ने कही। उसी की परंपरा के एक दार्शनिक क्रेटिलस ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम एक नदी में एक बार भी नहीं नहा सकते। भाव यह है कि स्नान की प्रक्रिया पूरी होने के दौरान ही नदी और व्यक्ति बदल चुके होते हैं।

यह तो हुई दर्शन की बात! अब ज़रा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संदर्भों को देखते हैं। इतिहास में ऐसे तमाम उदाहरण हैं जब किसी सफल व्यक्ति या संस्था ने परिवर्तनों की आहट को नहीं सुना और उसे काल के गाल में समाना पड़ा। मिसाल के तौर पर, सामंतवाद के दौर में जब परंपरागत सामंत किसानों के शोषण पर टिकी आय से ही खुद को सफल मान रहे थे, ठीक उसी समय कुछ प्रगतिशील लोगों ने वैज्ञानिक व औद्योगिक क्रांतियों की आहट सुनी। उन्होंने कृषि से संतुष्ट रहने की बजाय अपनी संपदा कारखानों में लगाई और देखते ही देखते वे नए युग के सफल उद्यमी कहलाए। बदलाव का इतना ही बड़ा दौर अगली बार तब आया जब इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया के सोचने-समझने और परस्पर संवाद के तरीकों को बदल दिया। बदलावों की आहट सबसे पहले सुनने वाले इस समय के मौलिक लोगों ने फैक्ट्री और दुकान की हदों को छोड़कर ई-कॉमर्स और सोशल नेटवर्किंग में अपनी ऊर्जा का निवेश किया। देखते ही देखते दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में ऐसे व्यक्तियों की बहुतायत हो गई जो सिर्फ अपनी मौलिकता के बल पर आगे बढ़े थे, जो अमीर घरानों की परंपरा से नहीं निकले थे। जेफ बेजोस ने अमेज़न की स्थापना की तो बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की कल्पना साकार की तो लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने गूगल की। स्टीव जॉब्स ने ऐपल को नवाचारों का गढ़ बना दिया तो जैक मा ने अलीबाबा के सहारे चीन में ई-कॉमर्स की सफलता की इबारत गढ़ी। जोमेटो, फूड पांडा, स्विगी, ऊबर, ओला, ओयो, फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम, स्नैपचौट, अर्बन क्लैप, एवरनोट - ये सभी प्लेटफॉर्म पिछले कुछ सालों में ही अस्तित्व में आए हैं और इनकी सफलता की गाथा किसी से छिपी नहीं है।

आज के दौर में परिवर्तनों की गति इतनी तेज़ है कि बुद्ध और हेराक्लाइटस का 'हम एक नदी में दो बार नहीं नहा सकते' वाला दृष्टांत बार-बार आँखों के सामने तैरता हुआ दिखता है। कुछ ही साल पहले 'नोकिया' दुनिया की सबसे सफल मोबाइल फोन कंपनी थी और आज वह कहीं नहीं है। फिर ऐप्पल और सैमसंग का ज़माना आया तो लगा कि वे ही इस युद्ध के अंतिम विजेता हैं। लेकिन फिर चीन की कई कंपनियों जैसे वन+, ओप्पो, वीवो और हुआवेई ने साबित किया कि किसी की भी सत्ता स्थायी नहीं है।

अगर आपको भी अपनी ज़िंदगी में सफल होना है तो कुछ बुनियादी बातें मन में बैठा लीजिये। सबसे पहले, अपनी मौलिकता और नवाचार को ज़िंदा रखिये। नई तकनीक से डरकर मत भागिये, उसे सीखकर अपने हक में इस्तेमाल कीजिये। अपने भीतर इतना लचीलापन और गत्यात्मकता (dynamism) बनाए रखिये कि आप बड़े से बड़े बदलावों के तूफान में निष्कंप खड़े रह सकें। अपने सीने में इतना धैर्य विकसित कीजिये कि हर चुनौती के भीतर अवसर खोज लेने की नज़र पैदा हो जाए।

आज का दौर शिक्षण की दुनिया में भी आधारभूत बदलावों का दौर है। ऑनलाइन शिक्षण विकल्पों ने अच्छे शिक्षकों और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले एकलव्यों के बीच की भौगोलिक दूरियाँ निरर्थक बना दी हैं। हिंदी पट्टी की बात करें तो अच्छे शिक्षक सिर्फ दिल्ली आ सकने वाले विद्यार्थियों को ही क्यों मिलने चाहियें? बरेली, गोरखपुर, आरा, सीकर, राजकोट, पन्ना, बालाघाट, चाईबासा, नारनौल या रुड़की के बच्चों की पहुँच उन तक क्यों नहीं होनी चाहिये? यही सब देखते-सोचते हुए, डेढ़-दो वर्षों के अथक और असफल-सफल प्रयोगों के बाद हमने भी ऑनलाइन शिक्षण की दुनिया में कुछ प्रयोग शुरू किये हैं। लक्ष्य यह है कि जो बच्चे दिल्ली आकर नहीं पढ़ सकते, वे किसी भी सुविधा से वंचित न रहें। उम्मीद है कि हम उन हज़ारों पाठकों की आवश्यकता पूरी कर सकेंगे जो समय-समय पर हमसे ऐसी सुविधाओं की मांग करते आए हैं।

इस अंक में इतना ही! आशा है कि आप अपने आसपास के बदलावों को समझेंगे और उनका सामना मौलिकता व धैर्य के साथ करेंगे।

शुभकामनाओं सहित,

(विकास दिव्यकीर्ति)

Think IAS

दृष्टि The Vision

Think Drishti

हिंदी साहित्य

(वैकल्पिक विषय / वीडियो क्लासेज़)

द्वारा – डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

उत्तर प्रदेश पीसीएस में समाज-कार्य और रक्षा-अध्ययन विषय हटने के बाद बहुत से विद्यार्थियों के सामने चुनौती है कि वे 15 दिसंबर के प्रिलिम्स के बाद 15 अप्रैल को शुरु होने वाली मुख्य परीक्षा से पहले नया विषय कैसे तैयार करें?

इसके समाधान के लिये दृष्टि अपनी प्रयागराज शाखा पर आरंभ कर रही है हिंदी साहित्य का 'क्विक बैच' जिसमें एक दिन में 2 कक्षाएँ होंगी और संपूर्ण पाठ्यक्रम लगभग 80 दिनों में पूरा हो जाएगा।

इस सत्र में उत्तर प्रदेश पीसीएस के विशिष्ट टॉपिक्स (जो IAS के पाठ्यक्रम से अलग हैं) भी कराए जाएंगे।

प्रयागराज शाखा

तीव्र सत्र (प्रतिदिन दो कक्षाएँ)

आरंभ : 23 दिसंबर

सुबह 8:30 से 11:00 तथा 11:30 से 2:00 बजे

दृष्टि आई.ए.एस. (प्रयागराज शाखा) का पता

ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज

Contact

8448485518, 8750187501, 8929439702

दिल्ली (मुखर्जी नगर) एवं प्रयागराज (सिविल लाइन्स) के अतिरिक्त हमारी कोई शाखा नहीं है। भ्रामक विज्ञापनों से बचें।

टॉपर से बातचीत

कंचन

UP-PSC-2017 परीक्षा में SDM पद पर चयनित

टॉपर का परिचय

नाम: कंचन

पिता का नाम: रूपचन्द्र

माता का नाम: विमला देवी

जन्मतिथि: 12 फरवरी, 1991

शैक्षिक योग्यताएँ:

एम.ए. (JNU) (हिंदी)

एम.फिल. (JNU) (हिंदी)

पी.एच.डी. (JNU) (हिंदी)

पूर्व चयन: असिस्टेंट प्रोफेसर (BPSC)

आदर्श व्यक्तित्व: डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, डॉ. भीमराव अम्बेडकर

व्यक्तित्व के सकारात्मक पक्ष: दृढ़ निश्चय, सत्यनिष्ठा

व्यक्तित्व के नकारात्मक पक्ष: भावुकता, अपेक्षा से कम मिलने पर असंतुष्ट होना

रुचियाँ: लोकगीत

परिणाम से संबंधित कुछ जानकारियाँ

परीक्षा का नाम: UPPSC-2017

अनुक्रमांक: 394690

रैंक: 22

परीक्षा का माध्यम: हिंदी

प्रयास संख्या: तीसरा

वैकल्पिक विषय:

(1) हिंदी

(2) समाज कार्य

दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे: सिविल सेवा परीक्षा में उच्च रैंक पर चयनित होने पर आपको 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' की ओर से हार्दिक बधाई। चयनित होकर आपको कैसा लग रहा है?

कंचन: धन्यवाद! जी बेहतर महसूस हो रहा है।

दृष्टि: क्या इस परीक्षा में सफल होना ही आपके जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य था? यदि नहीं, तो आगे आपकी निगाह किन उद्देश्यों पर लगी है?

कंचन: सर्वोच्च लक्ष्य तो नहीं था, किंतु एक प्राथमिक लक्ष्य ज़रूर था। आगे मैं UPSC में सफल होना चाहती हूँ।

दृष्टि: सिविल सेवाओं में ऐसा क्या है कि लाखों युवा इनकी ओर आकर्षित होते हैं? आपके लिये इन सेवाओं में जाने का क्या आकर्षण था?

कंचन: सिविल सेवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो विविधतायुक्त है। अत: इस क्षेत्र में काम करना काफी रोचक है। सिविल सेवा में जाकर सरकारी नीतियों का सही तरीके से क्रियान्वयन कर समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। इसी के साथ नीति-निर्माण में भी योगदान दिया जा सकता है। सिविल सेवक के रूप में नियुक्त होने के पश्चात् आने वाली चुनौतियों से जीवन में सीखने को बहुत कुछ मिलता है।

दृष्टि: अक्सर कहा जाता है कि एक-डेढ़ वर्ष तक कठोर मेहनत करने के बाद भी इस परीक्षा की तैयारी संतोषजनक तरीके से पूरी नहीं हो पाती। क्या यह सच है? क्या आप अपनी तैयारी से संतुष्ट थीं एवं सफलता के प्रति आशावान थीं?

कंचन: तैयारी करते समय तो नहीं लगता कि तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन हाँ, परीक्षा देने के बाद यह आभास हो जाता है कि चयन की उम्मीद है। मैं अपनी सफलता को लेकर आशान्वित थी लेकिन पूरी तरह से निश्चित नहीं थी। चयन की उम्मीद थी लेकिन SDM की उम्मीद नहीं थी।

दृष्टि: यूँ तो कोई भी सफलता कई कारकों पर निर्भर होती है, पर हर सफल व्यक्ति के पास कुछ विशेष सूत्र होते हैं। आपकी सफलता के मूल में कौन-से सूत्र रहे?

कंचन: मुझे लगता है कि सिविल सेवाओं की तैयारी के लिये निरंतरता, धैर्य और अच्छा उत्तर लेखन (उत्कृष्ट लेखन शैली) बेहद महत्त्वपूर्ण है। मेरी सफलता का सूत्र मेरी उत्तर लेखन शैली है।

दृष्टि: आपकी सफलता में निस्संदेह आपके साथ-साथ कुछ अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं का भी योगदान रहा होगा। अपनी योग्यता और परिश्रम के अलावा आप अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगी?

कंचन: मेरी सफलता में माता-पिता, वीरेन्द्र भैया के अलावा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय व दृष्टि कोचिंग तथा विकास दिव्यकीर्ति सर का योगदान है। जवाहरलाल नेहरू वि.वि. ने मुझे सोचने-समझने की एक नई दिशा दी।

दृष्टि: आपका/आपके वैकल्पिक विषय क्या था/थे? क्या आपने इसकी/इनकी पढ़ाई स्नातक या आगे के स्तर पर की थी?

कंचन: मेरे वैकल्पिक विषय समाज कार्य तथा हिंदी साहित्य थे। जी हाँ, मैंने हिंदी साहित्य से एम.ए., एम. फिल व पीएच.डी. किया है।

दृष्टि: कई लोग कहते हैं कि कुछ वैकल्पिक विषय दूसरे विषयों की तुलना में छोटे, आसान व अधिक अंकदायी होते हैं और इसीलिये वे ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं। आपकी राय में क्या यह बात ठीक है? क्या आपने वैकल्पिक विषय/विषयों के चयन में उसकी/उनकी लोकप्रियता को भी आधार बनाया था?

कंचन: छोटे, आसान व अधिक अंकदायी विषय तो लोकप्रियता का कारण ज़रूर होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि विषयों का चुनाव सोच-समझकर करना चाहिये। जिस विषय में अभ्यर्थी सहज

आईएएस प्रिलिम्स ऑनलाइन कोर्स

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी सामान्य जिज्ञासाएँ

प्रिय विद्यार्थियों,

जब से हमने यह पत्रिका शुरू की है, तभी से लगातार हमें ऐसे संदेश मिलते रहे हैं कि बहुत से विद्यार्थी पढ़ाई के लिये दिल्ली नहीं आ सकते हैं और हमें उनके लिये ऑनलाइन शिक्षण के विकल्प का प्रयोग करना चाहिये। वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर भी हज़ारों की संख्या में ऐसे निवेदन आए।

इन निवेदनों को देखते हुए हमारी टीम ने लगभग दो वर्षों के कठोर परिश्रम के बाद अपने 20वें स्थापना दिवस (1 नवंबर, 2019) पर पहला व्यवस्थित पेनड्राइव वीडियो कोर्स आरंभ किया है जो IAS प्रिलिम्स के पाठ्यक्रम को पूरी तरह कवर करता है। इसमें सामान्य अध्ययन की कक्षाएँ भी हैं और सीसैट की भी। साथ में, प्रिलिम्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ की सुविधा निशुल्क दी जा रही है।

हमारा दावा है कि इस कोर्स की कक्षाएँ गंभीरता से करने और टेस्ट सीरीज़ के अभ्यास के बाद किसी विद्यार्थी के लिये प्रिलिम्स में सफल होना मुश्किल नहीं होगा। हमें विश्वास है कि यह कोर्स उस अंतराल को भरने में सफल होगा जो दिल्ली में रहकर तैयारी करने वाले और दिल्ली नहीं आ पाने वाले विद्यार्थियों के बीच बना रहता है।

पिछले 2-3 दिनों में हज़ारों विद्यार्थियों ने दूर-दूर से फोन करके हमसे कुछ सवाल पूछे। हमारी टीम ने उन सवालों और उनके उत्तरों का एक संकलन तैयार कर लिया है ताकि इसे पढ़ने के बाद किसी विद्यार्थी के मन में कोई दुविधा न बचे। आपकी सुविधा के लिये हम यह संकलन यहाँ भी प्रकाशित कर रहे हैं।

वर्ग-1: अध्यापकों व स्टडी मैटीरियल से संबंधित प्रश्न

1. ऑनलाइन कोर्स में कौन अध्यापक पढ़ाएंगे? क्या ये वही अध्यापक हैं जो दृष्टि संस्थान के क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ाते हैं?
2. क्या ये वीडियो कक्षाएँ क्लासरूम प्रोग्राम की ही रिकॉर्डेड कक्षाएँ हैं या इन्हें अलग से तैयार किया गया है?
3. क्या इस कोर्स में उतना विस्तार में और गुणवत्ता के साथ पढ़ाया गया है, जैसा आपके क्लासरूम कोर्स में पढ़ाया जाता है?
4. यदि मुझे किसी अध्यापक की अध्यापन शैली अच्छी न लगे तो इसके लिये क्या विकल्प है?
5. यदि ऑनलाइन कोर्स का कोई विद्यार्थी संदेह समाधान के लिये दृष्टि संस्थान में आकर अध्यापकों से मिलना चाहे तो क्या यह संभव है?
6. क्या ऑनलाइन कोर्स में स्टडी मैटीरियल भी दिया जाएगा? यदि हाँ, तो क्या?
7. क्या इस ऑनलाइन कोर्स के साथ करेंट अफेयर्स की मैगज़ीन भी उपलब्ध कराई जाएगी?
8. क्या इस कोर्स में करेंट अफेयर्स की क्लासेज़ भी शामिल होंगी? यदि हाँ, तो क्या इसके लिये कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होगी?

वर्ग-2: कक्षाओं की अवधि आदि से जुड़े प्रश्न

1. सामान्य अध्ययन के कोर्स की कुल अवधि कितनी होगी? विभिन्न खंडों (जैसे इतिहास, भूगोल आदि) के लिये कितनी-कितनी अवधि की कक्षाएँ होंगी?
2. सीसैट के कोर्स की अवधि कितनी होगी?

वर्ग-3: एडमिशन प्रोसेस, कोर्स डिलीवरी आदि से जुड़े प्रश्न

1. 'IAS प्रिलिम्स ऑनलाइन कोर्स' में एडमिशन की शुरुआत कब से की जाएगी?
2. इस कोर्स में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों को कब से वीडियो क्लासेज़ मिलने लगेंगी? पेन ड्राइव्स भेजे जाने का शेड्यूल क्या होगा?
3. इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिये मुझे क्या करना होगा?
4. क्या विद्यार्थियों के पास कोर्स ड्यूरेशन के दौरान एडमिशन कैंसिल करवाने का विकल्प उपलब्ध रहेगा?
5. क्या यह संभव है कि मैं पूरे पाठ्यक्रम में एडमिशन लेने की बजाय केवल एक या दो खंडों (जैसे भूगोल या अर्थव्यवस्था) में ही एडमिशन ले लूँ?
6. क्या यह संभव है कि मैं अभी यह कोर्स खरीद लूँ और एक/दो साल की गंभीर तैयारी के बाद टेस्ट सीरीज़ की सुविधा का लाभ उठाऊँ?
7. क्या इस कोर्स में शामिल विद्यार्थियों को कोई यूज़र आईडी मिलेगी ताकि वे बिना किसी कठिनाई के संस्थान के संपर्क में रह सकें?

वर्ग-4 : फीस और पेमेंट मैथड से जुड़े प्रश्न

1. इस कोर्स की फीस कितनी है?
2. क्या इस कोर्स की फीस में GST भी शामिल है या उसका भुगतान अलग से करना होगा?
3. क्या फीस का भुगतान किश्तों (installments) में किया जा सकता है?
4. इस कोर्स की फीस के लिये पेमेंट मोड क्या है? क्या ऑनलाइन पेमेंट/चेक/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के ज़रिये पेमेंट की जा सकती है?
5. क्या एडमिशन की प्रक्रिया व फीस का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही संभव है या दृष्टि के ऑफिस में जाकर भी ये प्रक्रियाएँ पूरी की जा सकती हैं?
6. मैं यह कोर्स लेना चाहता हूँ किंतु इसके साथ मिलने वाली पुस्तकें या/और टेस्ट सीरीज़ नहीं लेना चाहता। क्या मुझे इस आधार पर फीस में छूट मिलेगी?
7. कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपसे कम फीस में IAS की तैयारी के लिये ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे में हम दृष्टि के ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन क्यों लें?

वर्ग-5 : ऑनलाइन कोर्स की तकनीक से संबंधित प्रश्न

1. यह कोर्स सिर्फ पेन ड्राइव के विकल्प में ही उपलब्ध है या टैबलेट, ऐप और लाइव स्ट्रीमिंग जैसे विकल्प भी उपलब्ध हैं?
2. क्या आपके द्वारा भेजी गई पेन ड्राइव को मोबाइल, टैब और कंप्यूटर किसी भी डिवाइस में चलाया जा सकेगा?
3. पेनड्राइव का इस्तेमाल करने के समय किन तकनीकी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिये?
4. क्या पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते समय हम अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट व विभिन्न सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग कर सकेंगे?
5. क्या पेनड्राइव का इस्तेमाल करते समय किसी कानूनी पहलू का ध्यान रखना भी ज़रूरी है?
6. क्या पेनड्राइव को इंस्टॉल करने अथवा रन कराने के लिये इंटरनेट की ज़रूरत होगी?
7. क्या प्रत्येक पेन ड्राइव को इसी तरह से इंस्टॉल करना होगा या यह प्रोसेस सिर्फ पहली पेन ड्राइव पर लागू होगा?
8. इस कोर्स की कक्षाओं को पेन ड्राइव के माध्यम से कितनी बार देखा जा सकता है?
9. क्या पेन ड्राइव में उपलब्ध क्लास को एक ही बार में पूरा देखना होगा या रुक-रुक कर भी देख सकते हैं?
10. इस कोर्स के दौरान कुल कितनी पेन ड्राइव्स भेजी जाएंगी? इन्हें भेजे जाने का क्या शेड्यूल होगा?
11. पेन ड्राइव के चलने में दिक्कत होने पर समाधान कैसे होगा?
12. यदि गलती से मेरी पेन ड्राइव खो जाती है या क्रैश हो जाती है, तो क्या मुझे दूसरी पेन ड्राइव मिल सकेगी?
13. मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, वहाँ इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत रहती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे करेंट अफेयर्स की कक्षाएँ भी पेन ड्राइव से मिल जाएँ?

वर्ग-6 : अन्य/विविध प्रश्न

1. क्या यह कोर्स 2020 की प्रिलिम्स परीक्षा के लिये सहायक होगा? क्या उससे पहले हमें सभी कक्षाएँ उपलब्ध हो जाएंगी?
2. अगर मुझे 2021 या उसके बाद परीक्षा देनी हो तो क्या यह कोर्स मेरे लिये उपयोगी होगा?
3. क्या यह कोर्स सिर्फ सामान्य अध्ययन (पेपर-1) के लिये है या सीसैट (पेपर-2) के लिये भी?
4. मुझे अगले वर्ष दृष्टि संस्थान (दिल्ली या प्रयागराज) में कक्षाएँ करनी हैं। क्या यह कोर्स मेरे लिये मददगार होगा? क्या यह कोर्स करने के कारण मुझे क्लासरूम कोर्स की फीस में कुछ छूट मिलेगी?
5. क्या यह कोर्स मुख्य परीक्षा के लिये भी लाभदायक होगा?
6. क्या आपके पास IAS मेन्स के लिये भी सामान्य अध्ययन का ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है?
7. क्या आपके पास मुख्य परीक्षा के लिये निबंध या वैकल्पिक विषयों के लिये कोई ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है?
8. क्या सिर्फ इस ऑनलाइन कोर्स के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हासिल की जा सकती है?
9. कोर्स के दौरान यदि हमारे मन में कोई प्रश्न या संदेह उठता है तो उसका समाधान कैसे होगा?
10. क्या आपके यहाँ पीसीएस के लिये भी ऑनलाइन कोर्स की सुविधा उपलब्ध है?
11. मैं दृष्टि के डिस्टेन्स लर्निंग प्रोग्राम का विद्यार्थी हूँ। क्या मुझे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेना चाहिये?

आईएएस प्रिलिम्स ऑनलाइन कोर्स (FAQs)

वर्ग-1: अध्यापकों व स्टडी मैटीरियल से संबंधित प्रश्न

1. ऑनलाइन कोर्स में कौन अध्यापक पढ़ाएंगे? क्या ये वही अध्यापक हैं जो दृष्टि संस्थान के क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ाते हैं?

उत्तर: हमारे पास शानदार अध्यापकों की एक बड़ी टीम है जिनमें से कुछ दिल्ली शाखा पर पढ़ाते हैं, कुछ प्रयागराज (इलाहाबाद) शाखा में तो कुछ यूट्यूब पर। ऑनलाइन कोर्स के लिये इन टीमों से कुछ ऐसे टीचर्स को चुना गया है जो ऑनलाइन टीचिंग में सहज हैं। इस टीम में शामिल लगभग सभी अध्यापक दृष्टि की किसी-न-किसी शाखा में पढ़ाते हैं।

इस प्रोग्राम के डेमो वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल Drishti IAS की प्लेलिस्ट Online Courses में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप वे वीडियोज़ देखकर अध्यापकों की गुणवत्ता के बारे में अनुमान कर सकते हैं। हमें विश्वास है कि आप डेमो क्लासेज़ देखकर उनके टीचिंग स्टाइल और ज्ञान की गहराई पर मुग्ध हो जाएंगे।

2. क्या ये वीडियो कक्षाएँ क्लासरूम प्रोग्राम की ही रिकॉर्डेड कक्षाएँ हैं या इन्हें अलग से तैयार किया गया है?

उत्तर: ये कक्षाएँ क्लासरूम में रिकॉर्ड नहीं की गई हैं। हमारे मीडिया विंग के पास अपने स्टूडियो हैं जहाँ विभिन्न तकनीकी सुविधाओं की मदद से इन्हें रिकॉर्ड किया गया है।

3. क्या इस कोर्स में उतना विस्तार में और गुणवत्ता के साथ पढ़ाया गया है, जैसा आपके क्लासरूम कोर्स में पढ़ाया जाता है?

उत्तर: दृष्टि के क्लासरूम कोर्स में फिलहाल कोई भी बैच सिर्फ प्रिलिम्स के पाठ्यक्रम के लिये नहीं है, सभी बैच प्रिलिम्स और मेन्स परीक्षाओं के एकीकृत बैच हैं। इसलिये यह तुलना करना उचित नहीं होगा। हाँ, कुछ महीने बाद, जब हम मुख्य परीक्षा का ऑनलाइन कोर्स भी जारी कर देंगे तो निस्संदेह यह दावा कर सकेंगे कि अब यह कोर्स व्यापकता में हमारे क्लासरूम कोर्स के बराबर है।

जहाँ तक इस कोर्स के अध्यापकों व स्टडी मैटीरियल की गुणवत्ता का सवाल है, हम निश्चित रूप से दावा कर सकते हैं कि इसका स्तर ठीक वही है, जैसा हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में होता है। सच तो यह है कि डिजिटल बोर्ड व अन्य तकनीकों के प्रभावी उपयोग के कारण कहीं-कहीं इस प्रोग्राम की गुणवत्ता क्लासरूम प्रोग्राम से भी बेहतर हो गई है।

हमारा विश्वास है कि शिक्षा के क्षेत्र में आने वाला समय ऑनलाइन टीचिंग का ही है। इसलिये, हमने पुरज़ोर कोशिश की है कि हमारा ऑनलाइन कोर्स किसी भी स्तर पर कमज़ोर साबित न हो।

आपको अधिकार है कि आप इस कोर्स में एडमिशन लेने से पहले क्लास की गुणवत्ता को जाँच-परख सकें। इसी उद्देश्य से हमने इस कोर्स के डेमो वीडियोज़ अपने यूट्यूब चैनल Drishti IAS की प्लेलिस्ट Online Courses में अपलोड कर दिये हैं। आप वे वीडियोज़ देखकर अध्यापकों व क्लास की गुणवत्ता का मूल्यांकन कर सकते हैं। हमें विश्वास है कि आप डेमो क्लासेज़ देखकर अध्यापकों के टीचिंग स्टाइल और ज्ञान की गहराई के प्रशंसक हो जाएंगे।

4. यदि मुझे किसी अध्यापक की अध्यापन शैली अच्छी न लगे तो इसके लिये क्या विकल्प है?

उत्तर: इसका सही तरीका यह है कि आप पहले हमारे यूट्यूब चैनल Drishti IAS पर Online Courses प्लेलिस्ट में जाकर सभी विषयों के डेमो वीडियो देख लें और अगर वे पसंद आएँ तो ही एडमिशन लें। एडमिशन लेने के बाद हम ऐसे किसी निवेदन पर विचार करने की स्थिति में नहीं होंगे।

5. यदि ऑनलाइन कोर्स का कोई विद्यार्थी संदेह समाधान के लिये दृष्टि संस्थान में आकर अध्यापकों से मिलना चाहे तो क्या यह संभव है?

उत्तर: दृष्टि संस्थान में संदेह समाधान के लिये एक एकेडमिक सपोर्ट टीम कार्यरत है जिसके अनुभवी सदस्य विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी बताकर उस टीम से अपनी समस्या पर बातचीत कर सके हैं।

6. क्या ऑनलाइन कोर्स में स्टडी मैटीरियल भी दिया जाएगा? यदि हाँ, तो क्या?

उत्तर: जी हाँ। सामान्य अध्ययन के ऑनलाइन प्रोग्राम के साथ स्टडी मैटीरियल के तौर पर विद्यार्थियों को हमारे अपने प्रकाशन (दृष्टि पब्लिकेशन्स) द्वारा प्रकाशित 'क्विक बुक सीरीज़' की 8 पुस्तकें भेजी जाएंगी जो प्रिलिम्स के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करती हैं। प्रत्येक पुस्तक सामान्य अध्ययन के एक खंड, जैसे भारतीय इतिहास, कला-संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, विज्ञान, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था को पूरी तरह कवर करती है। इनके प्रत्येक अध्याय के अंत में वे प्रश्न भी दिये गए हैं जो अभी तक केंद्र और राज्यों की सिविल सेवा परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इन्हें हल करके आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं।

जो विद्यार्थी सीसैट के प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे, उन्हें दृष्टि पब्लिकेशन्स द्वारा प्रकाशित 'सीसैट' नामक पुस्तक भेजी जाएगी जो इस प्रश्नपत्र के संपूर्ण पाठ्यक्रम (रीज़निंग, गणित, बोधगम्यता आदि) को कवर करती है।

कृपया ध्यान दें कि इस प्रोग्राम में शामिल कक्षाओं में अध्यापकों ने इस तरह से पढ़ाया है कि कक्षाओं के साथ क्विक बुक सीरीज़ की उपरोक्त पुस्तकें पढ़ लेने से आपकी तैयारी पूरी हो जाए। वे प्रत्येक क्लास में क्विक बुक के विशिष्ट अध्यायों की चर्चा भी करेंगे और आपको सुझाव देंगे कि उस क्लास के साथ आपको कौन से पृष्ठ पढ़ने हैं। प्रत्येक क्लास के इंडेक्स में भी क्विक बुक के पठनीय चैप्टर्स की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। डेमो क्लास देखकर आप अनुमान कर सकते हैं कि यह समन्वय कैसे साधा गया है।

7. क्या इस ऑनलाइन कोर्स के साथ करेंट अफेयर्स की मैगज़ीन भी उपलब्ध कराई जाएगी?

उत्तर: जी नहीं, मैगज़ीन इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। अगर आप चाहें तो उसे अपने नजदीकी बुक स्टॉल से ले सकते हैं।

गौरतलब है कि इस प्रोग्राम में करेंट अफेयर्स की लगभग 100 घंटे की कक्षाएँ शामिल हैं जो आपको प्रिलिम्स परीक्षा से पहले हमारी एंड्रॉइड एप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। आप करेंट अफेयर्स की तैयारी के लिये उन कक्षाओं तथा दृष्टि की वेबसाइट www.drishtiias.com के करेंट अफेयर्स सेक्शन को आधार बना सकते हैं।

8. क्या इस कोर्स में करेंट अफेयर्स की क्लासेज़ भी शामिल होंगी? यदि हाँ, तो क्या इसके लिये कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होगी?

उत्तर: जी हाँ, इस कोर्स में करेंट अफेयर्स की लगभग 100 घंटे की 30 क्लासेज़ शामिल हैं। इसके लिये आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी होगी।

दृष्टि संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रिलिम्स परीक्षा के ठीक पहले साल भर के करेंट अफेयर्स के लिये 30 क्लासेज़ का विशेष सेशन आयोजित किया जाता है। आमतौर पर करेंट अफेयर्स के सभी प्रश्न इस सेशन में कवर हो जाते हैं। इस कोर्स में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों को दृष्टि की एंड्रॉइड एप के ज़रिये ये क्लासेज़ उपलब्ध कराई जाएंगी।

वर्ग-2 : कक्षाओं की अवधि आदि से जुड़े प्रश्न

1. सामान्य अध्ययन के कोर्स की कुल अवधि कितनी होगी? विभिन्न खंडों (जैसे इतिहास, भूगोल आदि) के लिये कितनी-कितनी अवधि की कक्षाएँ होंगी?

उत्तर: सामान्य अध्ययन के कोर्स की कुल अवधि लगभग 500 घंटे की होगी। यदि कोई विद्यार्थी प्रतिदिन 4–5 घंटे पढ़े तो वह इस कोर्स को लगभग साढ़े तीन महीने में पूरा कर सकेगा।

मोटे तौर पर, सामान्य अध्ययन के कोर्स की अवधि का वर्गीकरण इस प्रकार है–

- भारतीय संविधान व राजव्यवस्था : 80 घंटे
- भारत का इतिहास : 100 घंटे
- भारत की कला व संस्कृति : 40 घंटे
- भारत व विश्व का भूगोल : 90 घंटे
- पर्यावरण व पारिस्थितिकी : 40 घंटे
- विज्ञान व तकनीक : 70 घंटे
- अर्थव्यवस्था : 80 घंटे

इसके अलावा, विद्यार्थियों को प्रारंभिक परीक्षा से एक महीने पहले करेंट अफेयर्स की करीब 30 क्लासेज़ भी एंड्रॉइड एप के ज़रिये (पेन ड्राइव से नहीं) मुहैया कराई जाएंगी जिनकी अवधि लगभग 100 घंटे की होगी।

2. सीसैट के कोर्स की अवधि कितनी होगी?

उत्तर: सीसैट के कोर्स की कुल अवधि लगभग 120+ घंटे की होगी जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है :

- गणित : 50+ घंटे
- रीज़निंग : 50+ घंटे
- कॉम्प्रीहेंशन : लगभग 20 घंटे
- विविध विषय : लगभग 10 घंटे

वर्ग-3 : एडमिशन प्रोसेस, कोर्स डिलीवरी आदि से जुड़े प्रश्न

1. 'IAS प्रिलिम्स ऑनलाइन कोर्स' में एडमिशन की शुरुआत कब से की जाएगी?

उत्तर: इस कोर्स में एडमिशन की शुरुआत 1 नवंबर, 2019 से की जा चुकी है। सबसे पहले एडमिशन लेने वाले 500 विद्यार्थियों को फीस में 20% की विशेष छूट दी जाएगी, उसके बाद सामान्य फीस पर एडमिशन लिया जा सकेगा।

2. इस कोर्स में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों को कब से वीडियो क्लासेज़ मिलने लगेंगी? पेन ड्राइव्स भेजे जाने का शेड्यूल क्या होगा?

उत्तर: 'IAS प्रिलिम्स ऑनलाइन कोर्स' में शामिल विद्यार्थियों के पास पेन ड्राइव्स भेजने की शुरुआत 10 नवंबर, 2019 से की जाएगी। सभी पेन ड्राइव्स एक पूर्वघोषित शेड्यूल के अनुसार भेजी जाएंगी। इन तिथियों में आप 5–7 दिन जोड़ सकते हैं क्योंकि रजिस्टर्ड डाक या कूरियर पैकेट को आपके पते तक पहुँचने में इतना समय लग ही जाएगा।

सामान्य अध्ययन का शेड्यूल

सामान्य अध्ययन की क्लासेज़ कुल 5 पेन ड्राइव्स के माध्यम से भेजी जाएंगी। इन्हें भेजे जाने का शेड्यूल निम्नलिखित रहेगा–

1. **पेन ड्राइव-1:** भारतीय राजव्यवस्था: 10 नवंबर, 2019
2. **पेन ड्राइव-2:** भूगोल + पर्यावरण: 5 दिसंबर, 2019
3. **पेन ड्राइव-3:** अर्थव्यवस्था: 1 जनवरी, 2020
4. **पेन ड्राइव-4:** इतिहास (भाग-1) + विज्ञान-तकनीक (भाग-1): 25 जनवरी, 2020
5. **पेन ड्राइव-5:** इतिहास (भाग-2) + विज्ञान-तकनीक (भाग-2): 25 फरवरी, 2020
6. **करेंट अफेयर्स ऑनलाइन क्लासेज़:** मार्च-अप्रैल के दौरान (इन क्लासेज़ के लिये पेन ड्राइव नहीं भेजी जाएगी। विद्यार्थी हमारी एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल फोन पर इन्हें देख सकेंगे)

सीसैट का शेड्यूल

सीसैट की क्लासेज़ कुल 2 पेन ड्राइव्स के माध्यम से भेजी जाएंगी। इन्हें भेजे जाने का शेड्यूल निम्नलिखित रहेगा-

1. पेन ड्राइव-1: गणित (भाग-1) + रीज़निंग (भाग-1): 5 जनवरी, 2020
2. पेन ड्राइव-2: गणित (भाग-2) + रीज़निंग (भाग-2) + शेष खंड: 5 फरवरी, 2020

3. इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिये मुझे क्या करना होगा?

उत्तर: 'IAS प्रिलिम्स ऑनलाइन कोर्स' में एडमिशन लेने की प्रक्रिया एकदम आसान है। आप यह प्रक्रिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी पूरी कर सकते हैं और दृष्टि ऑफिस (दिल्ली या प्रयागराज) जाकर भी। सीधी बातचीत करने के लिये आप ऑनलाइन टीम के 3 डेडिकेटेड नंबर्स 9319290700, 9319290701 या 9319290702 पर कॉल कर सकते हैं। आप चाहें तो यह भी कर सकते हैं कि **8010600300** नंबर पर सिर्फ मिस्ड कॉल कर दें, उसके बाद हमारी टीम स्वयं आपसे संपर्क कर लेगी।

यदि आप एडमिशन लेने की प्रक्रिया ऑनलाइन तरीके से पूरी करना चाहते हैं तो कृपया दृष्टि की वेबसाइट www.drishtiias.com पर जाएँ, जहाँ होम पेज पर ही आपको इस कोर्स का एक्टिव लिंक दिखेगा। इस लिंक पर क्लिक करते ही एडमिशन पेज खुल जाएगा। एडमिशन फॉर्म में आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसी ज़रूरी सूचनाएँ देनी होंगी। इसके बाद आपके सामने फीस पेमेंट का विकल्प खुल जाएगा। इस पेज पर जाकर आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंक एकाउंट से ऑनलाइन पेमेंट के ज़रिये अपनी फीस का भुगतान कर सकते हैं। फीस की पेमेंट होने के कुछ ही समय में टीम दृष्टि द्वारा आपके एडमिशन की सूचना आपके पास ई-मेल और मैसेज के ज़रिये पहुँच जाएगी। इस संबंध में कोई भी समस्या होने पर आप हमारी ऑनलाइन टीम के डेडिकेटेड मोबाइल नंबर्स 9319290700, 9319290701 या 9319290702 पर फोन करके सहायता ले सकते हैं।

यदि आप एडमिशन लेने की प्रक्रिया दृष्टि ऑफिस (दिल्ली या प्रयागराज) जाकर पूरी करना चाहते हैं, तो कृपया वहाँ की काउंसिलिंग टीम से संपर्क करें। हमारे स्टाफ के सदस्य आपसे एडमिशन फॉर्म भरवाकर सभी प्रक्रियाएँ पूरी कर देंगे। फीस पेमेंट के लिये आप नकद, चेक, ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंक एकाउंट से ऑनलाइन पेमेंट का कोई भी विकल्प चुन सकते हैं।

4. क्या विद्यार्थियों के पास कोर्स ड्यूरेशन के दौरान एडमिशन कैंसिल करवाने का विकल्प उपलब्ध रहेगा?

उत्तर: जी नहीं, एक बार एडमिशन लेने के बाद विद्यार्थी एडमिशन कैंसिल नहीं करा सकेंगे। हमारा सुझाव है कि आप इस कोर्स में एडमिशन लेने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल Drishti IAS पर अपलोड किये गए डेमो वीडियोज़ को देखकर गुणवत्ता के विषय में पूरी तरह संतुष्ट हो जाएँ और उसके बाद ही एडमिशन लेने का निर्णय करें। डेमो वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल Drishti IAS की Online Courses प्लेलिस्ट में देखे जा सकते हैं।

5. क्या यह संभव है कि मैं पूरे पाठ्यक्रम में एडमिशन लेने की बजाय केवल एक या दो खंडों (जैसे भूगोल या अर्थव्यवस्था) में ही एडमिशन ले लूँ?

उत्तर: जी नहीं, फिलहाल यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं कि सिर्फ सीसैट या सिर्फ सामान्य अध्ययन के कोर्स में एडमिशन ले लें, पर इनके खंडों के लिये अलग-अलग एडमिशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

6. क्या यह संभव है कि मैं अभी यह कोर्स खरीद लूँ और एक/दो साल की गंभीर तैयारी के बाद टेस्ट सीरीज़ की सुविधा का लाभ उठाऊँ?

उत्तर: जी हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। कोर्स खरीदते समय आप जो फॉर्म भरेंगे, आप उसमें बता सकते हैं कि आप किस वर्ष की ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ में शामिल होना चाहते हैं।

7. क्या इस कोर्स में शामिल विद्यार्थियों को कोई यूज़र आईडी मिलेगी ताकि वे बिना किसी कठिनाई के संस्थान के संपर्क में रह सकें?

उत्तर: जी हाँ। जैसे ही आप एडमिशन लेंगे, आपका यूनीक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा और आपके मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। हम उम्मीद करेंगे कि हमारी टीम से कोई भी संवाद करते समय आप उसका उल्लेख करेंगे ताकि बिना किसी दुविधा के आपकी सहायता की जा सके।

वर्ग-4 : फीस और पेमेंट मैथड से जुड़े प्रश्न

1. इस कोर्स की फीस कितनी है?

उत्तर: 'IAS प्रिलिम्स ऑनलाइन कोर्स' की फीस की दरें (GST सहित) निम्नलिखित हैं-

सामान्य फीस

- सिर्फ सामान्य अध्ययन : ₹45,000/-
- सिर्फ सीसैट : ₹10,000/-
- सामान्य अध्ययन + सीसैट: ₹49,500/- (कुल राशि पर 10% की विशेष छूट के साथ)

आरंभिक 500 विद्यार्थियों के लिये विशेष छूट

सबसे पहले एडमिशन लेने वाले 500 विद्यार्थियों को फीस में 20% राशि की विशेष छूट दी जाएगी। उनके लिये फीस की निम्नलिखित दरें (GST सहित) लागू होंगी-

- सिर्फ सामान्य अध्ययन: ₹36,000/-
- सिर्फ सीसैट: ₹8,000/-
- सामान्य अध्ययन + सीसैट: ₹39,600/- (20% अतिरिक्त छूट के साथ)

2. क्या इस कोर्स की फीस में GST भी शामिल है या उसका भुगतान अलग से करना होगा?

उत्तर: इस फीस में GST शामिल है। उसके लिये अलग से कोई भुगतान नहीं करना होगा।

3. क्या फीस का भुगतान किश्तों (installments) में किया जा सकता है?

उत्तर: किश्तों में भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिये आपको एक बार में ही पूरा भुगतान करना होगा।

यदि आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर रहे हैं और आपका भुगतान संबंधी ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है, तो पूरी संभावना है कि आपका बैंक आपको किश्तों में भुगतान करने की सुविधा दे देगा। आप चाहें तो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

4. इस कोर्स की फीस के लिये पेमेंट मोड क्या है? क्या ऑनलाइन पेमेंट/चेक/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के ज़रिये पेमेंट की जा सकती है?

उत्तर: यदि आप ऑनलाइन माध्यम से एडमिशन ले रहे हैं तो आपके पास भुगतान के लिये तीन विकल्प उपलब्ध हैं- क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या अपने बैंक अकाउंट के ज़रिये ऑनलाइन पेमेंट। यदि आपको यह तरीका सुविधाजनक लगता है तो कृपया हमारी वेबसाइट www.drishtiias.com को विज़िट करें जहाँ आपको होम पेज पर ही ऑनलाइन कोर्स का एक्टिव लिंक दिखेगा। इस लिंक पर जाएंगे तो Buy Now लिंक के तहत पेमेंट विकल्प मिल जाएंगे।

यदि आप दृष्टि की दिल्ली या प्रयागराज शाखा पर जाकर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके पास उपर्युक्त तीन विकल्प (क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड तथा अपने बैंक अकाउंट के ज़रिये ऑनलाइन पेमेंट) तो हैं ही; साथ ही तीन अन्य विकल्प भी उपलब्ध हैं- चेक, ड्राफ्ट तथा नकद भुगतान। कृपया ध्यान दें कि चेक द्वारा पेमेंट करने पर आपका एडमिशन तभी फाइनल हो सकेगा जब आपका चेक हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा।

5. क्या एडमिशन की प्रक्रिया व फीस का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही संभव है या दृष्टि के ऑफिस में जाकर भी ये प्रक्रियाएँ पूरी की जा सकती हैं?

उत्तर: इस कोर्स में एडमिशन और फीस की पेमेंट ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है। ऑनलाइन एडमिशन लेने और फीस की पेमेंट करने के लिये आप हमारी वेबसाइट www.drishtiias.com विज़िट कर सकते हैं।

यदि आप चाहें तो दृष्टि की दिल्ली या प्रयागराज शाखा पर जाकर भी एडमिशन और फीस पेमेंट की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

6. मैं यह कोर्स लेना चाहता हूँ किंतु इसके साथ मिलने वाली पुस्तकें या/और टेस्ट सीरीज़ नहीं लेना चाहता। क्या मुझे इस आधार पर फीस में छूट मिलेगी?

उत्तर: जी नहीं। फीस की राशि का संबंध केवल वीडियो कोर्स से है। ये सुविधाएँ हम अपनी ओर से उपहारस्वरूप दे रहे हैं। अगर आप इन्हें न लेना चाहें तो मना कर सकते हैं, किंतु इस आधार पर आपको फीस में कोई छूट नहीं मिल सकेगी।

7. कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपसे कम फीस में IAS की तैयारी के लिये ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे में हम दृष्टि के ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन क्यों लें?

उत्तर: हमें नहीं लगता कि यह तुलना तथ्यों की दृष्टि से सही है। फिर भी, अगर इसे सही मान लें, तो हमारी फीस अधिक होने का कारण यह है कि हम गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करते, अतः हमारा खर्च अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से अधिक होता है। चूँकि यह खर्च गुणवत्ता से जुड़ा है, इसलिये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अंततः हमारा कोर्स आपको महंगा प्रतीत नहीं होगा। आप पाएंगे कि आपको भुगतान से अधिक मूल्य की सेवाएँ प्राप्त हुई हैं।

मोटे तौर पर, हमारी फीस के इतना होने के निम्नलिखित कारण हैं-

1. शानदार अध्यापक-समूह
2. स्टेट-ऑफ-द-आर्ट कैमरा और साउंड क्वालिटी
3. कक्षाओं और स्टडी मैटीरियल के बीच सटीक समन्वय
4. कक्षाओं की अवधि का अधिक होना (कई प्लेटफॉर्म्स IAS का प्रिलिम्स और मेन्स का कुल पाठ्यक्रम 150–200 घंटे में पूरा कर देते हैं जबकि हम सिर्फ प्रिलिम्स के लिये 500+ घंटे की क्लासेज़ दे रहे हैं)
5. टेस्ट सीरीज़, स्टडी मैटीरियल और करेंट अफेयर्स की 30 विशेष कक्षाओं का इसी फीस में शामिल होना

वर्ग-5: ऑनलाइन कोर्स की तकनीक से संबंधित प्रश्न

1. यह कोर्स सिर्फ पेन ड्राइव के विकल्प में ही उपलब्ध है या टैबलेट, ऐप और लाइव स्ट्रीमिंग जैसे विकल्प भी उपलब्ध हैं?

उत्तर: फिलहाल, यह कोर्स सिर्फ पेन ड्राइव के विकल्प में ही उपलब्ध है। आने वाले समय में हमारी टीम कोशिश करेगी कि इसे टैबलेट व लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिये भी उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिये आपको कुछ दिनों का इंतज़ार करना होगा। इस संबंध में लेटेस्ट जानकारी के लिये आप कृपया हमारी वेबसाइट www.drishtiias.com तथा हमारे यूट्यूब चैनल Drishti IAS से जुड़े रहें।

2. क्या आपके द्वारा भेजी गई पेन ड्राइव को मोबाइल, टैब और कंप्यूटर किसी भी डिवाइस में चलाया जा सकेगा?

उत्तर: जी नहीं। इन पेन ड्राइव्स को सिर्फ विंडोज़ आधारित कंप्यूटर व लैपटॉप पर ही देखा जा सकेगा। इन्हें मोबाइल फोन, टैबलेट और मैक (एप्पल) कंप्यूटर्स पर देखना संभव नहीं होगा।

कृपया ध्यान दें कि यह पेन ड्राइव सिर्फ एक ही कंप्यूटर पर देखी जा सकेगी। आप इसे जिस कंप्यूटर पर रन करेंगे, यह सिर्फ उसी पर चलेगी, किसी और डिवाइस पर नहीं। अगर आप उसे किसी और डिवाइस

पर चलाने का प्रयास करेंगे तो उसका डेटा क्रैश हो सकता है और उस स्थिति में हम आपकी मदद नहीं कर सकेंगे। हाँ, यह ज़रूर है कि आप उसी कंप्यूटर पर पेन ड्राइव को तीन बार देख सकेंगे।

3. पेनड्राइव का इस्तेमाल करने के समय किन तकनीकी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिये?

उत्तर: इस कोर्स की पेन ड्राइव का इस्तेमाल करना बहुत सरल है। जैसे ही आप पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर से अटैच करेंगे, यह लगभग स्वचालित तरीके से काम करने लगेगी। इस प्रक्रिया में आपका कंप्यूटर आपसे कुछ अनुमतियाँ मांगेगा, जो आपको देनी होंगी।

आपको इस तरह की परेशानियों से बचाने के लिये हमारी टेक्निकल टीम ने एक वीडियो 'How to start our Pen Drive Course in your computer' तैयार किया है जो बेहद आसान तरीके से समझाता है कि पेन ड्राइव को इंस्टॉल/रन कैसे करना है। आप हमारे यूट्यूब चैनल Drishti IAS पर उपलब्ध प्लेलिस्ट Online Courses में उसे देख सकते हैं।

फिर भी, यदि आपको पेन ड्राइव के इस्तेमाल में किसी भी तरह की समस्या आए तो कृपया हमारी ऑनलाइन टीम के डेडिकेटेड मोबाइल नंबर 9319290700, 9319290701 या 9319290702 पर कॉल/मैसेज/वाट्सएप करें। हमारी टेक्निकल टीम तुरंत आपसे संपर्क करके समस्या का निराकरण करेगी।

4. क्या पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते समय हम अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट व विभिन्न सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग कर सकेंगे?

उत्तर: जी नहीं। जैसे ही आप पेन ड्राइव को देखना शुरू करेंगे, आपके कंप्यूटर के बाकी सभी प्रोग्राम बैकग्राउंड में चले जाएंगे। आप उनका उपयोग तभी कर सकेंगे जब आप पेन ड्राइव को बंद करके उसके सॉफ्टवेयर से बाहर आ जाएंगे।

5. क्या पेनड्राइव का इस्तेमाल करते समय किसी कानूनी पहलू का ध्यान रखना भी ज़रूरी है?

उत्तर: जी हाँ, इसमें एक कानूनी पहलू शामिल है। जो कक्षाएँ आप देख रहे हैं, वे कॉपीराइट एक्ट के तहत दृष्टि समूह की बौद्धिक संपदा हैं। यदि कोई व्यक्ति उस कन्टेंट की चोरी, पाइरेसी या व्यावसायिक उपयोग करता है तो उसका यह कृत्य कानूनन जुर्म होगा।

जब आप वीडियो क्लासेज़ देखेंगे तो आपका विशिष्ट स्टूडेंट कोड हर 3-4 सैकेंड में स्क्रीन पर छोटे आकार में फ्लैश होगा। इससे आपको क्लास देखने में दिक्कत नहीं आएगी, किंतु यदि आप क्लास को अपने कैमरे या मोबाइल से रिकॉर्ड करके कहीं भेजते हैं तो उस रिकॉर्डिंग में आपका स्टूडेंट कोड भी दिखेगा। उसके आधार पर हमारी लीगल टीम के पास कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई करने का विकल्प खुला रहेगा।

6. क्या पेनड्राइव को इंस्टॉल करने अथवा रन कराने के लिये इंटरनेट की ज़रूरत होगी?

उत्तर: पहली बार पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर पर रजिस्टर व एक्टिवेट करने के लिये आपको अपने लैपटॉप/डेस्कटॉप कंप्यूटर में इंटरनेट की सुविधा रखनी होगी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा जिस पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आएगा। ओटीपी के वेरिफिकेशन के बाद ही आप वीडियोज़ देख सकेंगे।

एक बार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

7. क्या प्रत्येक पेन ड्राइव को इसी तरह से इंस्टॉल करना होगा या यह प्रोसेस सिर्फ पहली पेन ड्राइव पर लागू होगा?

उत्तर: जी हाँ, प्रत्येक पेन ड्राइव को इसी तरह से इंस्टॉल करना होगा। यह प्रोसेस मुश्किल से 1-2 मिनट का है।

भविष्य में, जब हम पूरा कोर्स एक साथ देने की स्थिति में होंगे, तब इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया एक ही बार पूरी करनी होगी। जब भी यह परिवर्तन लागू होगा, हम अपनी वेबसाइट, यूटयूब चैनल और मैगज़ीन के माध्यम से घोषणा करेंगे।

8. इस कोर्स की कक्षाओं को पेन ड्राइव के माध्यम से कितनी बार और कितने समय तक देखा जा सकता है?

उत्तर: इस कोर्स में दी जाने वाली पेन ड्राइव्स की वैलिडिटी 2 वर्षों की होगी, उसके बाद वे काम नहीं करेंगी। इन दो वर्षों की अवधि में विद्यार्थी किसी भी क्लास को अधिकतम 3 बार देख सकेंगे। उदाहरण के लिये, अगर किसी वीडियो क्लास की ड्यूरेशन 2 घंटे की है, तो आप इस वीडियो को अधिकतम 6 घंटे तक देख सकते हैं।

यदि आप कक्षा देखने के दौरान कुछ समय का ब्रेक लेते हैं, तो ब्रेक का समय आपके कुल समय में से कम नहीं होगा। उस समय व्यू टाइम की गणना वहीं रुक जाएगी। उदाहरण के लिये, यदि आप 2 घंटे के वीडियो को 30 मिनट देखने के बाद रोक देते हैं और फिर अगले दिन उससे आगे देखते हैं तो आपके पास उस वीडियो को साढ़े पाँच घंटे तक देखने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

कृपया ध्यान दें कि यदि कोई विद्यार्थी 2 वर्षों की अवधि में पेन ड्राइव का पूरा इस्तेमाल नहीं करता है तो उसकी पेन ड्राइव की वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी और इस विषय में हमारी टीम कोई मदद नहीं कर सकेगी।

9. क्या पेन ड्राइव में उपलब्ध क्लास को एक ही बार में पूरा देखना होगा या रुक-रुक कर भी देख सकते हैं?

उत्तर: यह आपकी रुचि पर निर्भर करता है। दोनों ही स्थितियों में आपको 'व्यू टाइम' का कोई नुकसान नहीं होगा। आपके पास वीडियो की कुल अवधि का तीन गुणा व्यू टाइम उपलब्ध रहेगा। यदि आप बीच में ब्रेक लेंगे, तो समय की गणना वहीं रुक जाएगी।

10. इस कोर्स के दौरान कुल कितनी पेन ड्राइव्स भेजी जाएंगी? इन्हें भेजे जाने का क्या शेड्यूल होगा?

उत्तर: सामान्य अध्ययन की क्लासेज़ कुल 5 पेन ड्राइव्स के माध्यम से भेजी जाएंगी। इन्हें भेजे जाने का शेड्यूल निम्नलिखित रहेगा-

1. **पेन ड्राइव-1:** भारतीय राजव्यवस्था: 10 नवंबर, 2019
2. **पेन ड्राइव-2:** भूगोल + पर्यावरण: 05 दिसंबर, 2019
3. **पेन ड्राइव-3:** अर्थव्यवस्था: 01 जनवरी, 2020
4. **पेन ड्राइव-4:** इतिहास (भाग-1) + विज्ञान-तकनीक (भाग-1): 25 जनवरी, 2020
5. **पेन ड्राइव-5:** इतिहास (भाग-2) + विज्ञान-तकनीक (भाग-2): 25 फरवरी, 2020
6. **करेंट अफेयर्स ऑनलाइन क्लासेज़:** मार्च-अप्रैल के दौरान (इन क्लासेज़ के लिये पेन ड्राइव नहीं भेजी जाएगी। विद्यार्थी हमारी एंड्रॉइड एप के माध्यम से अपने मोबाइल फोन पर इन्हें देख सकेंगे)

सीसैट की क्लासेज़ कुल 2 पेन ड्राइव्स के माध्यम से भेजी जाएंगी। इन्हें भेजे जाने का शेड्यूल निम्नलिखित रहेगा-

1. **पेन ड्राइव-1:** गणित (भाग-1) + रीज़निंग (भाग-1): 05 जनवरी, 2020
2. **पेन ड्राइव-2:** गणित (भाग-2) + रीज़निंग (भाग-2) + शेष खंड: 05 फरवरी, 2020

11. पेन ड्राइव के चलने में दिक्कत होने पर समाधान कैसे होगा?

उत्तर: हमारे पास एक मज़बूत टेक्निकल टीम है जो ऐसी किसी भी तकनीकी समस्या का समाधान करने के लिये तत्पर रहती है। पेन ड्राइव में किसी भी तरह की समस्या आने पर आप कृपया हमारी ऑनलाइन टीम के डेडिकेटेड मोबाइल नंबर 9319290700, 9319290701 या 9319290702 पर कॉल/मैसेज/वाट्सएप करें। हमारी टेक्निकल टीम तुरंत आपसे संपर्क करके समस्या का निराकरण करेगी।

साथ ही, आप हमें onlinesupport@groupdrishti.com आईडी पर ई-मेल भी भेज सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम स्वयं आपसे संपर्क करके समस्या का निराकरण करेगी। गंभीर समस्या होने पर आपकी पेन ड्राइव वापस लेकर उसे नई पेन ड्राइव से बदला जा सकेगा।

12. यदि गलती से मेरी पेन ड्राइव खो जाती है या क्रैश हो जाती है, तो क्या मुझे दूसरी पेन ड्राइव मिल सकेगी?

उत्तर: पेन ड्राइव को संभालने की ज़िम्मेदारी आपकी होगी और यदि वह खो जाती है, तो हम आपको दूसरी पेन ड्राइव मुहैया नहीं करा सकेंगे।

हाँ, अगर आपकी पेन ड्राइव किसी तकनीकी वजह से क्रैश कर जाती है, तो उस स्थिति में हमारी टेक्निकल टीम आपकी समस्या का समाधान करेगी। अगर कोई समाधान नहीं निकलता है तो हमारी टीम आपकी पेन ड्राइव वापस लेकर उसके बदले नई पेन ड्राइव मुहैया कराएगी।

13. मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, वहाँ इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत रहती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे करेंट अफेयर्स की कक्षाएँ भी पेन ड्राइव से मिल जाएँ?

उत्तर: करेंट अफेयर्स की कक्षाएँ प्रिलिम्स परीक्षा से कुछ ही दिन पहले आयोजित होती हैं क्योंकि, हम कोई महत्त्वपूर्ण घटना छोड़ नहीं सकते। परीक्षा नज़दीक होने के कारण उस समय यह संभव नहीं होता कि हम 30 दिनों तक इंतज़ार करें और फिर आपके पास पेन ड्राइव भेजें। अगर हम ऐसा करना चाहेंगे तो भी पेन ड्राइव आपके लिये उपयोगी सिद्ध नहीं होगी। अत: करेंट अफेयर्स की कक्षाएँ हमारी ऐप पर ही उपलब्ध हो सकेंगी।

वर्ग-6 : अन्य/विविध प्रश्न

1. क्या यह कोर्स 2020 की प्रिलिम्स परीक्षा के लिये सहायक होगा? क्या उससे पहले हमें सभी कक्षाएँ उपलब्ध हो जाएंगी?

उत्तर: जी हाँ, इस कोर्स का शेड्यूल इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि 2020 में प्रिलिम्स परीक्षा दे रहे विद्यार्थी अपनी तैयारी परीक्षा से पहले ही पूरी कर सकेंगे। हम फरवरी 2020 तक विद्यार्थियों को सभी कक्षाएँ उपलब्ध करा देंगे। कक्षाओं का पूरा शेड्यूल आप वर्ग-3 (एडमिशन प्रोसेस, कोर्स डिलीवरी आदि से जुड़े प्रश्न) के अंतर्गत देख सकते हैं।

2. अगर मुझे 2021 या उसके बाद परीक्षा देनी हो तो क्या यह कोर्स मेरे लिये उपयोगी होगा?

उत्तर: यह कोर्स इस तरह से तैयार किया गया है कि किसी भी वर्ष की परीक्षा के लिये सहायक सिद्ध होगा। यदि कोई विद्यार्थी इस कोर्स को ठीक से करने के बाद सिर्फ करेंट अफेयर्स हर साल अपडेट करता रहे तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी।

यदि आप अभी इंटर या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपके लिये इस कोर्स को करने का सर्वश्रेष्ठ समय अभी ही है। इस कोर्स की बदौलत आप ग्रेजुएशन करते-करते ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि सिर्फ 6-8 महीने के फिनिशिंग टच के बाद IAS की प्रारंभिक परीक्षा में गंभीर दावा प्रस्तुत कर सकें।

3. क्या यह कोर्स सिर्फ सामान्य अध्ययन (पेपर-1) के लिये है या सीसैट (पेपर-2) के लिये भी?

उत्तर: इस कोर्स में दोनों प्रश्नपत्रों के सभी खंड पढ़ाए जाएंगे, हालाँकि विद्यार्थियों के पास निम्नलिखित तीन विकल्प उपलब्ध होंगे-

1. वे चाहें तो सिर्फ सामान्य अध्ययन का कोर्स ले सकते हैं;
2. वे चाहें तो सिर्फ सीसैट का कोर्स ले सकते हैं;
3. वे दोनों प्रश्नपत्रों का कोर्स भी ले सकते हैं। यदि वे दोनों प्रश्नपत्रों का कोर्स लेते हैं तो उन्हें फीस में काफी छूट मिलेगी जिसकी जानकारी फीस से जुड़े प्रश्नों (वर्ग-4) में देखी जा सकती है।

4. मुझे अगले वर्ष दृष्टि संस्थान (दिल्ली या प्रयागराज) में कक्षाएँ करनी हैं। क्या यह कोर्स मेरे लिये मददगार होगा? क्या यह कोर्स करने के कारण मुझे क्लासरूम कोर्स की फीस में कुछ छूट मिलेगी?

उत्तर: यह कोर्स डिज़ाइन करने का एक बड़ा उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी दिल्ली आने से पहले मूलभूत तैयारी कर सकें। जो विद्यार्थी इस कोर्स को करने के बाद दिल्ली आएंगे, उनके लिये दिल्ली में संपूर्ण पाठ्यक्रम 9-10 माह में पूरा करना मुश्किल नहीं होगा।

हमारी टीम निकट भविष्य में 9–10 माह के ऐसे क्लासरूम कोर्स डिज़ाइन करने वाली है जिन्हें हम 'एडवांस फाउंडेशन कोर्स' कहेंगे।

जो विद्यार्थी ऑनलाइन कोर्स करने के बाद दिल्ली/प्रयागराज आकर सामान्य अध्ययन (फाउंडेशन कोर्स) क्लासरूम प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे, उन्हें उनके द्वारा दी गई ऑनलाइन फीस की 50% राशि की छूट दी जाएगी। इसकी तीन शर्तें हैं-

1. उन्हें एडमिशन लेते समय अपने आधार कार्ड/पासपोर्ट/मतदाता कार्ड की डिटेल्स देनी होंगी ताकि जब वे क्लासरूम कोर्स में एडमिशन लेने के लिये आएँ तो उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके;
2. उन्हें ऑनलाइन कार्यक्रम की अपनी फीस की रसीद संभालकर रखनी होगी और क्लासरूम कोर्स में एडमिशन लेते समय दिखानी होगी;
3. यह छूट सिर्फ सामान्य अध्ययन (फाउंडेशन कोर्स) क्लासरूम प्रोग्राम में एडमिशन के लिये उपलब्ध होगी, वैकल्पिक विषयों या निबंध आदि प्रोग्राम के लिये नहीं।
4. अगर कोई विद्यार्थी, जिसने सीसैट का ऑनलाइन कोर्स किया है, वह सीसैट का ही क्लासरूम कार्यक्रम करने के लिये आता है, तो उसे भी सीसैट की ऑनलाइन फीस की 50% छूट मिलेगी।

5. क्या यह कोर्स मुख्य परीक्षा के लिये भी लाभदायक होगा?

उत्तर: यह कोर्स मूलत: प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिये डिज़ाइन किया गया है, इसलिये यह मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिये पर्याप्त नहीं होगा। हाँ, यह ज़रूर है कि कुछ खंडों (जैसे- इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था आदि) में आपकी समझ इतनी गहरी हो जाएगी कि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में सहजता महसूस करेंगे।

मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के जो टॉपिक्स प्रिलिम्स के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हैं (जैसे एथिक्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विश्व इतिहास आदि), उनके लिये यह कोर्स प्रत्यक्ष मदद नहीं करेगा।

पूरी संभावना है कि निकट भविष्य में हम मुख्य परीक्षा के लिये भी ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत करेंगे। उसके लिये आपको कुछ दिनों का इंतज़ार करना होगा। इस संबंध में लेटेस्ट जानकारी के लिये आप कृपया हमारी वेबसाइट www.drishtiias.com तथा हमारे यूट्यूब चैनल Drishti IAS से जुड़े रहें।

6. क्या आपके पास IAS मेन्स के लिये भी सामान्य अध्ययन का ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है?

उत्तर: फिलहाल, हमारे पास मुख्य परीक्षा के लिये सामान्य अध्ययन का ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध नहीं है, पर पूरी संभावना है कि कुछ ही महीनों में हम ऐसे कोर्स की शुरुआत करेंगे। वह इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि प्रिलिम्स का ऑनलाइन कोर्स करने के बाद उसके माध्यम से आसानी से मुख्य परीक्षा की तैयारी घर बैठे की जा सके। इस संबंध में लेटेस्ट जानकारी के लिये आप कृपया हमारी वेबसाइट www.drishtiias.com तथा हमारे यूट्यूब चैनल Drishti IAS से जुड़े रहें।

7. क्या आपके पास मुख्य परीक्षा के लिये निबंध या वैकल्पिक विषयों के लिये कोई ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है?

उत्तर: वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, पर निकट भविष्य में हमारी कोशिश रहेगी कि निबंध और विभिन्न वैकल्पिक विषयों के लिये ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध करा सकें। इस संबंध में लेटेस्ट जानकारी के लिये आप कृपया हमारी वेबसाइट www.drishtiias.com तथा हमारे यूट्यूब चैनल Drishti IAS से जुड़े रहें।

8. क्या सिर्फ इस ऑनलाइन कोर्स के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हासिल की जा सकती है?

उत्तर: जी हाँ, यह एकदम संभव है। यदि आप इस कोर्स का अध्ययन पूरी गंभीरता से करते हैं तो परीक्षा में आपकी सफलता की संभावना उतनी ही मज़बूत होगी जितनी दिल्ली में कक्षाएँ करने वाले विद्यार्थियों की होती है। फिर भी, इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती क्योंकि सफलता आपकी मेहनत, लगन और रणनीति समेत बहुत सारे अन्य कारकों पर निर्भर करती है।

हमारा इतना दावा ज़रूर है कि इस कोर्स के ज़रिये आपको परीक्षा की तैयारी की सही दिशा प्राप्त हो जाएगी और परीक्षा में सफल होने की आपकी दावेदारी पहले की अपेक्षा कहीं अधिक मज़बूत हो जाएगी।

9. कोर्स के दौरान यदि हमारे मन में कोई प्रश्न या संदेह उठता है तो उसका समाधान कैसे होगा?

उत्तर: इस कोर्स को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आपको प्राय: अपने मन में उठने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर क्लास में ही मिल जाएगा। क्लास टॉपिक के साथ क्विक बुक का संबंधित चैप्टर पढ़ लेने के बाद निस्संदेह कोई समस्या नहीं बचेगी।

इसके बावजूद, कभी ऐसी समस्या आ ही जाए तो आप अपनी जिज्ञासा या संदेह लिखकर हमें onlinesupport@groupdrishti.com पर ईमेल से भेज सकते हैं। हमारी टीम खुद आप से संवाद करेगी।

10. क्या आपके यहाँ पीसीएस के लिये भी ऑनलाइन कोर्स की सुविधा उपलब्ध है?

उत्तर: फिलहाल, यह सुविधा उपलब्ध नहीं है; लेकिन निकट भविष्य में हमारी टीम विभिन्न पीसीएस परीक्षाओं के लिये भी ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी।

यह ज़रूर है कि इस कोर्स को कर लेने पर आपकी पीसीएस की तैयारी की अधिकांश समस्याएँ सुलझ जाएंगी क्योंकि इस कोर्स में उन सभी विषयों के आधारभूत टॉपिक्स विस्तार व गहराई के साथ समझाए गए हैं जो सभी पीसीएस परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल हैं।

इस संबंध में लेटेस्ट जानकारी के लिये आप कृपया हमारी वेबसाइट www.drishtiias.com तथा हमारे यूट्यूब चैनल Drishti IAS से जुड़े रहें।

11. मैं दृष्टि के डिस्टेन्स लर्निंग प्रोग्राम का विद्यार्थी हूँ। क्या मुझे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेना चाहिये?

उत्तर: डिस्टेन्स लर्निंग प्रोग्राम में आप विभिन्न पुस्तकें पढ़ते हैं जबकि ऑनलाइन वीडियो प्रोग्राम में आप साक्षात क्लास का हिस्सा बन जाते हैं। अगर डिस्टेन्स लर्निंग प्रोग्राम की पुस्तकें पढ़कर आप आत्मविश्वास महसूस कर पा रहे हैं तो वह पर्याप्त है। इसके विपरीत, अगर आपको अवधारणाएँ समझने के लिये क्लास की ज़रूरत महसूस होती है तो ऑनलाइन वीडियो प्रोग्राम आपके लिये काफी मददगार सिद्ध होगा। सबसे अच्छी स्थिति यह होगी कि आप वीडियो क्लास करें और नोट्स के तौर पर डिस्टेन्स लर्निंग प्रोग्राम की पुस्तकों को आधार बनाएँ।

लेख खंड

शोधपरक, सारगर्भित और परीक्षोन्मुखी लेखों का संग्रह

20 **विशेष लेख**
- हम 'धर्मनिरपेक्ष' हैं या 'पंथनिरपेक्ष'?

—डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

25 **राजनीतिक लेख**
- सरोगेसी (विनियमन) विधेयक : समग्र विश्लेषण

—अंकित 'ममता' त्यागी

28 **अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आधारित लेख**
- भारत चीन रिश्तों का बदलता परिदृश्य

—प्रतीक राज यादव, आँचल यादव

31 **ऑडियो लेख**
- भारत की ऊर्जा सुरक्षा

—दिपाली तायडे

हम 'धर्मनिरपेक्ष' हैं या 'पंथनिरपेक्ष'?

-डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

यह लेख मूल रूप से प्रधान संपादक डॉ. विकास दिव्यकीर्ति द्वारा 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' के फरवरी 2016 अंक के लिये लिखा गया था। चूँकि 'सेक्युलरिज़्म' का मुद्दा आजकल पुनः सामाजिक-राजनीतिक बहस की धुरी बना हुआ है और सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में भी इससे बार-बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिये हमें उचित लगा कि इस लेख को पुनर्प्रकाशित किया जाए। उम्मीद है कि इस लेख से आपको यह विषय समझने में सुविधा होगी।

कुछ शब्द अपनी प्रकृति में चंचल होते हैं। चूँकि उनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, इसलिये सभी लोग अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार उनके अर्थ निकालते रहते हैं। 19वीं-20वीं सदी की वैश्विक राजनीति ने ऐसे कई शब्दों को जन्म दिया, जिनमें सबसे पेचीदा है- सेक्युलरिज़्म। अंग्रेज़ों के हाथों इंग्लैंड से भारत पहुँचे इस शब्द का इस्तेमाल इतने अलग-अलग अर्थों में किया गया है कि अब इसका कोई वस्तुनिष्ठ अर्थ बचा ही नहीं है। हर राजनीतिक दल अपने-आप को सच्चा सेक्युलर मानता है। कॉन्ग्रेस कहती है कि वह धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर पार्टी है जबकि भाजपा सांप्रदायिक दल है। इसके विपरीत, भाजपा कहती है कि कॉन्ग्रेस छद्म धर्मनिरपेक्ष या 'सूडो सेक्युलर' (Pseudo Secular) है। उसका दावा है कि सही अर्थों में सेक्युलर का मतलब 'धर्मनिरपेक्ष' नहीं, 'पंथनिरपेक्ष' होता है और उस अर्थ में हम ही सच्चे सेक्युलर हैं।

इस लेख का उद्देश्य सेक्युलरिज़्म से जुड़े संपूर्ण विवाद को सरल शब्दों में सुलझाना है। इसके लिये हमें कई प्रश्नों को क्रमिक रूप से देखना होगा, जैसे यह कि सेक्युलरिज़्म का मूल अर्थ क्या है? भारत के विचारकों ने उसे उसी अर्थ में स्वीकार किया है या अपनी सुविधा के अनुसार उसे बदल लिया है? उसके बाद ही इस सवाल पर विचार करना संभव होगा कि सेक्युलरिज़्म का सटीक अनुवाद 'धर्मनिरपेक्ष' होना चाहिये या 'पंथनिरपेक्ष', और हम कितनी मात्रा में उस आदर्श तक पहुँच सके हैं?

सेक्युलरिज़्म क्या है?

इस बहस में लगातार यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि 'धर्मनिरपेक्ष' और 'पंथनिरपेक्ष' दोनों शब्द सेक्युलरिज़्म के अनुवाद हैं और दोनों के समर्थकों का दावा है कि उन्हीं का अनुवाद सही है। अनुवाद की प्रामाणिकता समझने का सही तरीका यही है कि पहले मूल शब्द का अर्थ समझ लिया जाए। अतः पहले यही देखते हैं कि इंग्लैंड में जो विचार सेक्युलरिज़्म के रूप में पनपा था, उसका अर्थ क्या था?

इंग्लैंड (या व्यापक रूप से यूरोप) में इस विचार के पनपने की लंबी पृष्ठभूमि रही है। वहाँ मध्यकाल में धर्म अत्यंत नकारात्मक किंतु ताकतवर रूप में उपस्थित था जिसके कारण उस संपूर्ण दौर को 'अंधकार युग' (Dark Age) कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में शुरू हुए पुनर्जागरण (रेनेसाँ) के परवर्ती चरणों के रूप में प्रबोधन, धर्म सुधार एवं वैज्ञानिक क्रांति जैसी प्रक्रियाएँ अस्तित्व में आईं और इस पूरे दौर में यूरोप के लोगों को समझ आया कि उनके पिछड़ेपन का मूल कारण धर्म का ज़रूरत से ज़्यादा हावी होना है। अब उन्हें लगने लगा कि उनके लिये परंपरागत कैथोलिक धर्म की रूढ़िवादी मानसिकता और चर्च के वर्चस्व से मुक्त होना ज़रूरी है ताकि वे खुली हवा में साँस ले सकें, कला से लेकर राजनीति तक के हर क्षेत्र में विकास की सीढ़ियाँ चढ़ सकें। इसी कसमसाहट ने लंबी प्रक्रिया में सेक्युलरिज़्म के विचार को जन्म दिया।

16वीं शताब्दी से यूरोप के चिंतन में इस विचार की पृष्ठभूमि दिखने लगती है। इस शताब्दी में इटली के विचारक मैकियावेली ने पहली बार सीधे तौर पर घोषित किया कि राजा को चर्च के अधीन रहने की ज़रूरत नहीं है, चर्च को ही राजा के अधीन रहना चाहिये। इसी शताब्दी में फ्राँस का विचारक जीन बोदाँ भी लगभग यही बात कह रहा था। उसका विचार था कि राज्य की शक्ति सर्वोच्च तथा असीमित होनी चाहिये और धर्म की शक्ति उसके अधीन रहनी चाहिये। 17वीं, 18वीं तथा 19वीं शताब्दियों में धर्म से मुक्ति का यह भाव बढ़ता गया, हालाँकि इस दौर में धर्म तथा चर्च ने अपनी पूरी ताकत झोंककर अपने ढहते हुए साम्राज्य को बचाने की कोशिश की। उसने गैलीलियो को प्रताड़ित किया, न्यूटन और डार्विन पर असहनीय दबाव बनाया और ब्रूनो को तो चौराहे पर सरेआम ज़िंदा जला दिया। इस लंबे संघर्ष के बाद 19वीं शताब्दी में धर्म की शक्ति निर्णायक रूप से कम होने लगी। इसी शताब्दी में इंग्लैंड में जॉन ऑस्टिन जैसा विचारक हुआ जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति के सामने धर्म को रत्ती भर महत्त्व देने को भी तैयार नहीं था। इसी शताब्दी में कार्ल मार्क्स जर्मनी छोड़कर इंग्लैंड आया था और धर्म को अफीम तथा शोषण का यंत्र बता रहा था। ठीक इसी समय जे.एस. मिल अपने उदारवाद के माध्यम से तो चार्ल्स डार्विन अपने विकासवाद के माध्यम से धर्म की सत्ता को चुनौती दे रहे थे। इस पृष्ठभूमि पर कुछ विचारकों ने 1851 में सेक्युलरिज़्म को एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। यूँ तो इन विचारकों की संख्या अधिक थी, पर इस समूह के दो विचारक काफी प्रसिद्ध हुए। पहला था जॉर्ज जैकब होलिओक और दूसरा था चार्ल्स ब्रैडलॉफ। इन दोनों में एकाध मुद्दे पर मतभेद था किंतु सामान्यतः सेक्युलरिज़्म के अर्थ को लेकर सहमति थी।

इन विचारकों की राय में सेक्युलरिज़्म के कुछ खास लक्षण थे जिनकी उपस्थिति में किसी व्यक्ति को सेक्युलर माना जा सकता था। पहला लक्षण था कि व्यक्ति धर्म के प्रति या तो उपेक्षा बरते या उसका विरोध करे। होलिओक का मानना था कि धर्म के प्रति उपेक्षा बरती जानी चाहिये

सरोगेसी (विनियमन) विधेयक : समग्र विश्लेषण

अंकित 'ममता' त्यागी

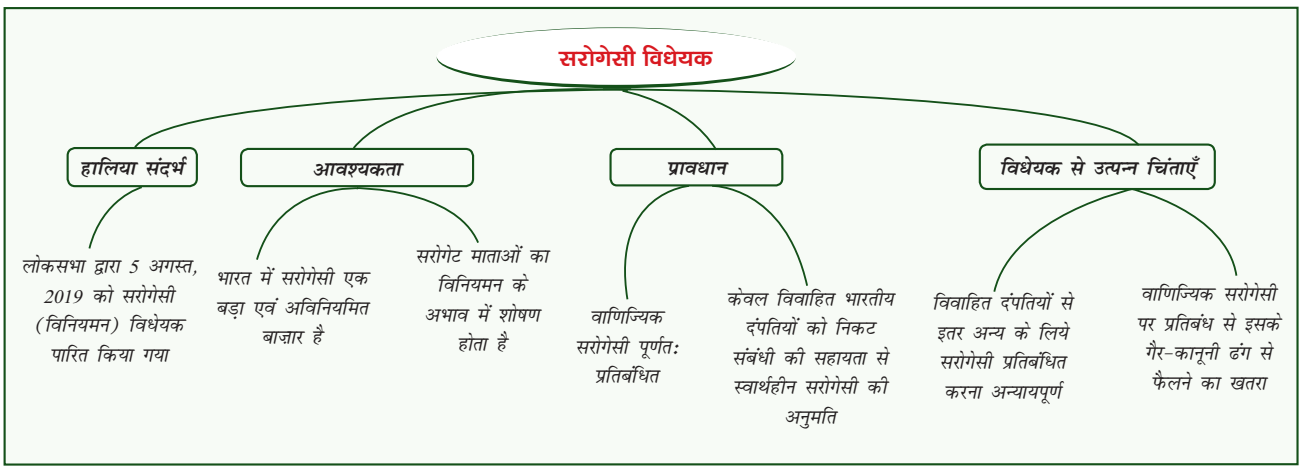

दुनिया हर दिन हर क्षण बदलती रहती है, विकास व आधुनिकता के नए-नए आयाम इन बदलावों के साथ ही गढ़े जाते रहते हैं। परंतु, कुछ चीज़ें होती हैं जो समय के साथ स्वरूप में थोड़ी बहुत भले ही बदल जाएँ पर उनकी प्रकृति आदिकाल से नहीं बदली है और न इसके बदलाव की कोई संभावना दिखती है। परिवर्तन की परिकल्पना के परे इन्हीं चीज़ों में कुछ भाव व इच्छाएँ भी शामिल होती हैं, और इन्हीं इच्छाओं में से एक है संतान प्राप्ति की इच्छा। इतिहास ने दुनिया में कई परिवर्तन देखे हैं पर जीवों में (विशेष रूप से मनुष्यों में) संतान-प्राप्ति की इच्छा इन परिवर्तनों से कमोबेश अप्रभावित रही है। हालाँकि, कई बार प्राकृतिक व जैविक बाधाओं के चलते सदा से ही कुछ लोगों को उनकी जैविक संतान के सुख से वंचित रहना पड़ता था परंतु विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विकास ने इस समस्या का समाधान करते हुए दुनिया के समक्ष 'सरोगेसी' की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे आमतौर पर 'किराये की कोख' के नाम से जाना जाता है। साधारण शब्दों में 'सरोगेसी' उस प्रथा को कहा जाता है जिसमें एक स्त्री किसी और के बच्चे को जन्म के बाद उसे वापस सौंप देने के इरादे से गर्भ में धारण करती है। आविर्भाव के साथ ही 'सरोगेसी' प्रथा दुनिया भर में काफी लोकप्रिय हुई, भारत में भी 'सरोगेसी' प्रथा के माध्यम से संतान प्राप्त करने वालों की संख्या में तेज़ी से इज़ाफा हुआ। भारत में, सरोगेसी की लोकप्रियता, यहाँ इस प्रक्रिया के किफायती होने के कारण विदेशियों में भी तेज़ी से बढ़ी और धीरे-धीरे भारत विश्व में 'सरोगेसी हब' के रूप में विख्यात हो गया। हालाँकि भारत में यह प्रक्रिया लंबे समय तक अविनियमित ढंग से चलती रही है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि भारत में सरोगेसी चाहने वाले दंपतियों व सरोगेट माताओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। मुख्य रूप से इसी समस्या को दूर करने व सरोगेसी प्रक्रिया से संबंधित अस्पष्टताएँ समाप्त करने के उद्देश्य से 15 जुलाई, 2019 को सरोगेसी (विनियमन) विधेयक लोकसभा द्वारा पारित कर दिया। प्रस्तुत लेख में हम सरोगेसी की अवधारणा व इसके विनियमन की आवश्यकता को समझते हुए विधेयक के प्रमुख प्रावधानों व विधेयक से उत्पन्न चिंताओं का विश्लेषण करेंगे।

क्या है 'सरोगेसी'?

सरोगेसी के तकनीकी पक्ष का बहुत विश्लेषण न करते हुए सामान्य शब्दों में समझें तो सरोगेसी वह प्रक्रिया है जिसमें एक महिला किसी और के बच्चे को अपने गर्भ में इस इरादे से धारण करती है कि वह बच्चे के जन्म के बाद उसे उसके मूल माता-पिता को वापस लौटा देगी। इस प्रकार की सरोगेसी व्यवस्था प्रकृति में 'स्वार्थहीन (Altruistic) या 'वाणिज्यिक (Commercial)' हो सकती है। वाणिज्यिक सरोगेसी में सरोगेट माँ को नकद या अन्य किसी रूप में मुआवज़ा तथा गर्भावस्था के दौरान होने वाले व इससे संबंधित सभी मेडिकल व बीमा संबंधी खर्चे उपलब्ध कराए जाते हैं। दूसरी ओर 'स्वार्थहीन सरोगेसी' के अंतर्गत सरोगेट माता को इच्छुक दंपति द्वारा केवल गर्भावस्था से संबंधित मेडिकल व बीमा खर्चे उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्तमान में भारत में भारतीय नागरिकों को वाणिज्यिक सरोगेसी की अनुमति है।

सरोगेसी विनियमन की विकास यात्रा

2005 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research-ICMR) द्वारा सरोगेसी व्यवस्था के विनियमन के लिये कुछ दिशा-निर्देश जारी किये गए थे। इनमें सरोगेट माँ को मुआवज़े का हकदार बनाना व यह घोषणा करना कि इस प्रक्रिया से जन्मे बच्चे पर सरोगेट माँ का कोई अधिकार नहीं होगा, प्रमुख थे। इसके बाद अगस्त 2009 में विधि आयोग ने अपनी 228वीं रिपोर्ट में 'वाणिज्यिक सरोगेसी' को पूर्णतः प्रतिबंधित करने, केवल 'स्वार्थहीन सरोगेसी' की अनुमति देने तथा सरोगेसी के विनियमन हेतु एक कानून बनाने की सिफारिश दी। आयोग की सिफारिशों पर अमल करते हुए 21 नवंबर, 2016

भारत चीन रिश्तों का बदलता परिदृश्य

प्रतीक राज यादव (सिविल सेवा परीक्षा-2017 में चयनित), आँचल यादव

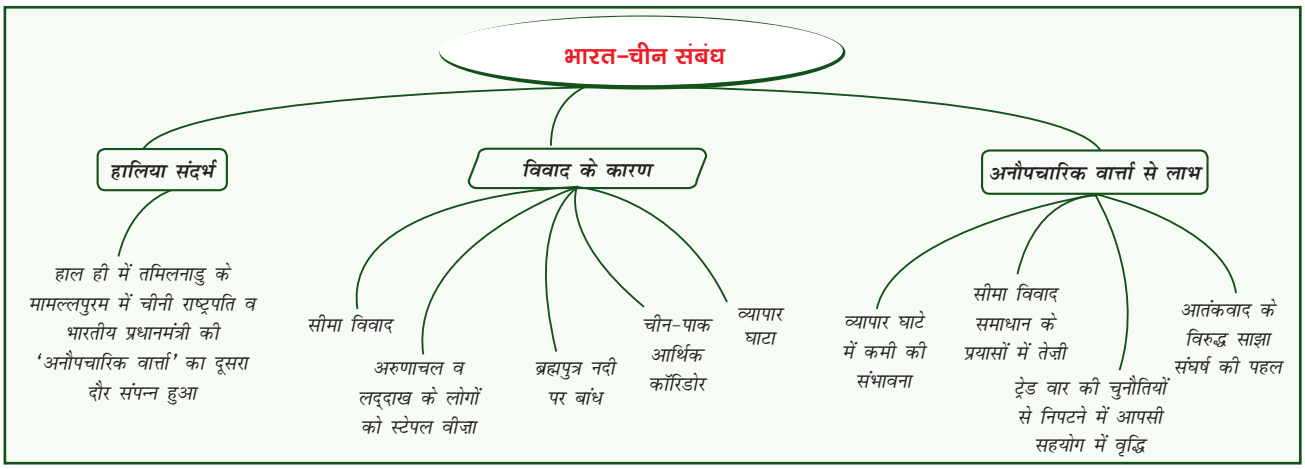

हाल ही में तमिलनाडु के मामल्लपुरम में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग व भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'अनौपचारिक वार्त्ता' का दूसरा दौर संपन्न हुआ। जहाँ दोनों देशों ने 'मतभेदों' को विवाद नहीं बनने देने पर व सहयोग का नया दौर शुरू करने पर सहमति जताई।

इस अनौपचारिक वार्त्ता को 'चेन्नई कनेक्ट' व पिछली प्रथम वार्त्ता को 'वुहान स्पिरिट' के नाम से चिह्नित किया गया।

अनौपचारिक वार्त्ता से तात्पर्य

दरअसल अनौपचारिक वार्त्ता से तात्पर्य ऐसी वार्त्ता से है जिसमें दोनों नेता किसी भी विषय पर बात करने के लिये स्वतंत्र होते हैं। उनके पास कोई निश्चित एजेंडा नहीं होता कि उसके हिसाब से ही बात करना आवश्यक हो।

दोनों देशों के बीच विवाद के विषय

ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद रहा है। चीन मैकमोहन रेखा को अवैध मानता है तथा अरुणाचल व अक्साई चिन के हिस्सों पर अपना अधिकार जताता रहा है।

अरुणाचल व लद्दाख क्षेत्रों के लिये अलग से 'स्टेपल वीज़ा' (नत्थी वीज़ा) जारी करना, ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाकर जल बहाव को रोकना, दलाई लामा के भारत में शरण लिये जाने पर एतराज़ जताना आदि विवाद के विषय रहे हैं।

- आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के विरुद्ध जाना। मसूद के मामले में संयुक्त राष्ट्र में वीटो करना।
- दलाई लामा व तिब्बत को लेकर भारत पर चीन का अविश्वास होना।
- **नदी जल:** ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाकर जल बहाव को रोकना।
- **स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स:** जिसमें चीन द्वारा कोकोस (म्याँमार), चटगाँव (बांग्लादेश), हंबनटोटा (श्रीलंका) और ग्वादर (पाकिस्तान) जैसे बंदरगाहों व नौसैनिक अड्डों का विकास किया गया है।

साथ ही, चीन की 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) व दक्षिण चीन सागर में वियतनाम के साथ मिलकर भारतीय गैस कंपनियों का कार्य भी विवाद के कारण रहे हैं।

- बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत CPEC चीन-पाकिस्तान इकॉनमिक कॉरिडोर जो कि भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है, इसे चीन द्वारा भारत की क्षेत्रीय अखंडता में हस्तक्षेप के रूप में देखा गया है।
- भारत के क्वाड्रीलैटरल वार्त्ता (क्वाड) में शामिल होने पर भी चीन की अंदरूनी नाराज़गी व असहजता है। इसमें अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया अन्य सदस्य हैं।
- दक्षिणी चीन सागर में वियतनाम के साथ मिलकर भारतीय गैस कंपनियों के कार्य पर भी चीन का हमेशा एतराज़ रहा है।
- चीनी वस्तुओं की डंपिंग व भारत के पक्ष में व्यापार घाटा आर्थिक मतभेद रहे हैं।

इसके अलावा चीन द्वारा भारत को परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (NSG) में प्रवेश करने के प्रयास को कमज़ोर करना, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान जैसे देशों को चीन द्वारा भारतीय हितों के विरुद्ध उकसाना इत्यादि अन्य मतभेद के विषय रहे हैं।

वर्तमान में इन विवादों को सुलझाने के लिये औपचारिक वार्त्ताओं के साथ-साथ समानांतर में अनौपचारिक वार्त्ताओं का नया सकारात्मक प्रयास शुरू हुआ है।

वुहान समिट के सकारात्मक परिणाम

वुहान समिट में भारतीय प्रधानमंत्री ने आपसी संबंधों की बेहतरी के लिये पाँचसूत्रीय एजेंडा पेश किया था; जिसमें समान दृष्टिकोण, बेहतर संवाद, मज़बूत रिश्ता, साझा विचार व साझा समाधान हैं।

- दोनों देशों द्वारा सीमा विवाद संबंधी मामलों के प्रबंधन में संचार को सुदृढ़ करने व सेनाओं को संयम बरतने संबंधी आंतरिक निर्देश जारी किये गए।
- दोनों देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों के प्रति अपने प्रतिरोध को दर्शाया।
- व्यापार घाटे के संतुलित करने संबंधी उपायों पर भी चर्चा की गई। भारत से चीन को कृषि और फार्मास्यूटिकल उत्पादों को निर्यात करने को प्रोत्साहित करने पर चर्चा की गई।
- दोनों देशों के नेताओं ने अफगानिस्तान में एक संयुक्त आर्थिक परियोजना बनाने पर चर्चा की।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा

दिपाली तायडे

(ऑडियो आर्टिकल शृंखला दृष्टि के यूट्यूब चैनल 'Drishti IAS' पर प्रसारित की जाती है जिसमें महत्त्वपूर्ण विषयों पर अंग्रेज़ी अखबारों और पत्रिकाओं में छपे लेखों का सार प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत ऑडियो आर्टिकल The Hindu में प्रकाशित लेख "Fire to fuel: On attacks against Saudi oil facilities" तथा The Indian Express में प्रकाशित लेख "Raise the bar" का सम्मिलित सार है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं।)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 2022 तक 175 गीगावाट से आगे 450 गीगावाट तक बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा है कि भारत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और पनबिजली जैसे गैर-परंपरागत ईंधन के उत्पादन में अपनी हिस्सेदारी को और ज़्यादा बढ़ाएगा। वहीं प्रधानमंत्री ने ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज़ से अमेरिका के टेक्सास में तेल और गैस उद्योग की कई बड़ी अमेरिकी कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरे में भारत की पेट्रोनेट कंपनी और LNG कंपनी टेलुरियन के बीच एक समझौता भी हुआ। इसके तहत पेट्रोनेट 2.5 अरब डॉलर का निवेश कर टेलुरियन के प्रस्तावित ड्रिफ्टवुड एलएनजी टर्मिनल में 18 फीसदी की हिस्सेदारी हासिल करेगी, जिसे ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज़ से अहम माना जा रहा है।

दूसरी तरफ, विश्व आर्थिक मंच की बैठक में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि सस्ती और भरोसेमंद तेल आपूर्ति सुनिश्चित करना भारत जैसे 'संवेदनशील' आयातक देशों का शीर्ष एजेंडा है। बीते दिनों सऊदी अरब के तेल प्रतिष्ठानों पर ड्रोन हमलों के बाद से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। चूँकि भारत अपनी तेल ज़रूरतों का एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब से आयात करता है ऐसे में तेल आपूर्ति और कीमतों को लेकर अनिश्चितता का मौहाल बना हुआ है। इन हालात में भारत की ऊर्जा सुरक्षा की चिंता एक अहम मसला बनकर उभरा है।

सबसे पहले जान लेते हैं कि ऊर्जा सुरक्षा क्या है और उससे जुड़े आयाम क्या हैं? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार के लिये ऊर्जा सुरक्षा बेहद अहम होती है। भारत में ऊर्जा सुरक्षा को 3A- अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता, एक्सेस यानी पहुँच और अफोर्डेबिलिटी यानी वहन करने योग्य या कम खर्च के तौर पर परिभाषित किया जाता है। यानी सस्ती कीमतों पर ऊर्जा की निर्बाध उपलब्धता को ऊर्जा सुरक्षा या Energy Security कहा जाता है। आसान शब्दों में समझें तो ऊर्जा सुरक्षा किफायती कीमतों पर बिना किसी अवरोध या बाधा के ऊर्जा मुहैया कराया जाना है। ऊर्जा सुरक्षा के दो प्रमुख आयाम Long-term energy security और Short-term energy security हैं। जहाँ Long-term energy security यानी दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय ज़रूरतों के अनुरूप ऊर्जा की आपूर्ति के लिये दीर्घकालिक निवेश से जुड़ी है तो वहीं Short-term energy security यानी अल्पकालिक ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और मांग संतुलन में अचानक आए किसी बदलाव का तुरंत समाधान करने के लिये ऊर्जा प्रणाली की क्षमता से जुड़ी है। चूँकि ऊर्जा संसाधनों के बूते ही किसी देश के आर्थिक विकास का पहिया घूमता है, इसलिये ऊर्जा सुरक्षा पुख्ता होना ज़रूरी है। वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने के लिये भारत को अपनी ऊर्जा ज़रूरतें पूरी करने में आत्मनिर्भर बनना होगा ताकि बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने, आधारभूत ढाँचा मज़बूत करने, कौशल विकास, रोज़गार सृजन और विनिर्माण क्षमता विकास के मामले में ऊर्जा की कमी आड़े न आए। चूँकि भारत फिलहाल अपनी ऊर्जा ज़रूरतें पूरी करने के लिये तेल आयात पर निर्भर है, ऐसे में ज़रूरी है कि हम ऊर्जा ज़रूरतों को लेकर तैयार रहें।

ऊर्जा के प्रकार

ऊर्जा के स्रोतों को दो प्रकारों- पारंपरिक ऊर्जा स्रोत यानी conventional sources of energy और गैर- पारंपरिक ऊर्जा स्रोत यानी non-conventional sources of energy में बाँटा जाता है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत ऐसे स्रोत हैं जिनका इस्तेमाल पारंपरिक रूप से होता रहा है, जैसे- कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जैसे- जीवाश्म ईंधन। ये स्रोत प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, अगर इनका लगातार इस्तेमाल होता रहा तो ये एक दिन खत्म हो जाएंगे और फिर इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनके दोबारा बनने में लाखों साल लगते हैं। यानी ये गैर-नवीकरणीय (non-renewable) होते हैं। इन पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से जल, वायु और थल प्रदूषण होता है जो पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रभावित करता है और यह ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण भी है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दुष्प्रभावों के कारण अब हम दूसरे प्रकार के स्रोत यानी गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत ऐसे ऊर्जा संसाधन हैं जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करते हैं। ये संसाधन कभी खत्म नहीं होंगे और न ही इनसे पर्यावरण प्रदूषण होता है। ये पृथ्वी पर असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, प्रकृति इनका पुनर्भरण करती रहती है, इसलिये ये नवीकरणीय या अक्षय (Renewable) ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। ये प्रदूषणहीन हैं, इसलिये इन्हें इको फ्रेंडली ईंधन भी कहा जाता है। इसमें सौर ऊर्जा, भू-तापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा आदि को शामिल किया जाता है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के मुकाबले ये सस्ते ऊर्जा साधन हैं। गैर-पारंपरिक स्रोत ही भविष्य के ऊर्जा स्रोत हैं, क्योंकि पारंपरिक स्रोत घटते जा रहे हैं और आने वाले समय मे विलुप्त हो जाएंगे।

ऊर्जा सुरक्षा के लिये भारत सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास

संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकार किये गए सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) में ऊर्जा सुरक्षा की बात की गई है। सतत् विकास का सातवाँ लक्ष्य सभी के लिये सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना है। इसका मकसद 2030 तक सभी को स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के ज़रिये सस्ती बिजली मुहैया कराना है। भारत सरकार इन लक्ष्यों को पाने की दिशा में प्रयास कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने के लिये 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' जैसी योजना की शुरुआत की गई है। इसका मकसद खाना पकाने के लिये एलपीजी के इस्तेमाल को

करेंट अफेयर्स

(21 सितंबर-20 अक्तूबर, 2019 तक कवरेज़)

अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम 33-36

- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर उच्चस्तरीय बैठक 34
- वर्ल्ड बैंक : सपोर्टिंग इंडियाज़ ट्रांसफॉर्मेशन 35
- राज्यों की स्वास्थ्य प्रणाली पर रिपोर्ट 36

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम 37-42

- अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण ★★★ 37
- उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय पीठें ★★★ 38
- राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति ★★★ 39
- छठी अनुसूची ★★★ 40
- ग्रामीण स्वच्छता रणनीति (2019-2029) ★★ 40
- पशु बलि पर प्रतिबंध ★★ 41
- इंटरनेट तक पहुँच का अधिकार ★★ 42
- डाक-विभाग में शिकायत निवारण प्रणाली ★ 42

आर्थिक घटनाक्रम 43-49

- राज्य वित्त पर RBI की रिपोर्ट ★★★ 43
- लघु उद्योगों पर ILO की रिपोर्ट ★★★ 43
- वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2019 ★★★ 44
- 20वीं पशुधन जनगणना ★★★ 44
- वॉटरफॉल अप्रोच तथा पूंजी बाज़ार ★★★ 45
- विश्व कपास दिवस ★★ 46
- CSR फंड ★★ 46
- कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती ★★ 47
- भारत ऊर्जा मंच ★★ 48
- भागीदारी गारंटी योजना ★★ 48
- 'वन नेशन वन फास्टैग' स्कीम ★★ 49
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक ★★ 49

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 50-57

- वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक-2019 ★★★ 50
- सीरिया-तुर्की ★★★ 51
- एकात्मक कर प्रणाली ★★★ 51
- इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट ★★ 52
- भूल जाने का अधिकार ★★ 52
- G-4 और UNSC ★★ 53
- नेबरहुड माइनस वन ★★★ 54
- भारत-चीन ★★★ 54
- भारत-बांग्लादेश ★★★ 56
- भारत-नेपाल संबंध और चीन ★★ 56
- भारत-नीदरलैंड्स ★★ 57

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 58-61

- एक्सोप्लैनेट और डार्क मैटर ★★★ 58
- मीथेन संचालित रॉकेट इंजन ★★ 58
- चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार ★★★ 59
- नियंत्रित मानव संक्रमण मॉडल ★★ 60
- स्वदेशी ईंधन सेल प्रणाली ★★★ 60
- लीथियम-आयन बैटरी और नोबेल पुरस्कार ★★★ 61

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 62-66

- जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन ★★★ 62
- पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन और व्यापार ★★★ 63
- फॉरेस्ट-प्लस 2.0 कार्यक्रम ★★★ 64
- जलवायु सुभेद्यता मानचित्र ★★★ 65
- सुंदरबन में जैव-पुनर्स्थापन ★★ 66

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन 67-72

- AMOC ★★★ 67
- पृथ्वी के मेंटल के पास महाद्वीप ★★★ 68
- कार्बन संतुलन एवं ज्वालामुखी ★★★ 68
- उत्तर-पूर्वी मानसून ★★★ 69
- मृदा अपरदन मापन नई विधि ★★ 70
- समुद्र का बढ़ता तापमान ★★ 71
- हिंदू-कुश हिमालय क्षेत्र ★★ 71
- आपदा उपरांत आवश्यकता मूल्यांकन ★★★ 72

सामाजिक मुद्दे 73-78

- वैश्विक भुखमरी सूचकांक-2019 ★★★ 73
- स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन रिपोर्ट ★★★ 74
- वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट-2019 ★★★ 75
- कुपोषण : बच्चों की मौत का बड़ा कारण ★★★ 75
- बच्चों से संबंधित चिंताएँ ★★ 76
- स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक रिपोर्ट ★★ 77

कला एवं संस्कृति 79-80

- संगमकालीन नगरीय बस्ती की खोज ★★★ 79
- राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव ★★★ 79
- यूनेस्को एशिया-प्रशांत पुरस्कार ★★★ 80
- उर्दू कविता की 'मर्सिया' परंपरा ★★ 80
- बथुकम्मा ★★ 80
- रंगदुम बौद्ध मठ ★★ 80

आंतरिक सुरक्षा 81-82

- आतंकवाद पर मीडिया का कवरेज ★★★ 81
- मणिपुर में तनाव ★★★ 81
- INS नीलगिरि तथा INS खंडेरी ★★ 82
- भारतीय तटरक्षक पोत 'वराह' ★★ 82

संक्षिप्तियाँ 83-95

1 अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर उच्चस्तरीय बैठक

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र के दौरान 23 सितंबर, 2019 को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक (UN-HLM) का आयोजन किया गया। यह बैठक **'सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज: एक स्वस्थ दुनिया बनाने के लिये एक साथ आगे बढ़ना'** (UHC: Moving Together to Build a Healthier World) की थीम के तहत आयोजित की गई थी।

प्रमुख बिंदु

- **सतत् विकास के लिये एजेंडा-2030** के तहत सभी देशों ने वर्ष 2030 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिये प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- यह बैठक इस दिशा में स्वास्थ्य एजेंडे के लिये अधिकतम राजनीतिक समर्थन जुटाने और एक सामंजस्यपूर्ण तरीके से स्वास्थ्य क्षेत्र में सतत् निवेश बनाए रखने पर विचार करने का अवसर प्रदान करती है।
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर संयुक्त राष्ट्र की यह उच्च स्तरीय बैठक संयुक्त राष्ट्र में **इस विषय पर पहली और सबसे महत्त्वपूर्ण राजनीतिक बैठक है।** क्योंकि यह वर्ष 2023 (एजेंडा-2030 की मध्यावधि) से पहले सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने का एक अंतिम अवसर है।
- इस घोषणापत्र से **संचारी रोगों और एड्स, तपेदिक एवं जैसे रोगों** के साथ ही **अन्य गैर-संचारी रोगों और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की** चुनौती से भी निपटने में सहायता मिलेगी।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage-UHC)

- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का अर्थ है- **देश में रहने वाले सभी लोगों और समुदायों की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक समतापूर्ण पहुँच हो।**
- UHC का उद्देश्य लोगों की जाति, धर्म, लिंग, आय स्तर, सामाजिक स्थिति की परवाह किये बिना सभी की वहनीय, उत्तरदायी, गुणवत्तापूर्ण एवं यथोचित स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना है। स्वास्थ्य सेवाओं में रोगों की रोकथाम, उपचार एवं पुनर्वास देखभाल शामिल है।

UHC सुनिश्चित करने में प्रमुख बाधाएँ

- अवसंरचनात्मक और बुनियादी सुविधाओं की **अपर्याप्तता।**
- स्वास्थ्य खर्च में आउट-ऑफ-पॉकेट **व्यय का अधिक** होना।
- दक्ष एवं योग्य मानव संसाधनों की **कमी** और इनकी **अकुशल तैनाती।**
- अच्छी गुणवत्ता वाली दवाओं और चिकित्सा उत्पादों का महँगा होना एवं सीमित रूप में उपलब्धता।
- डिजिटल स्वास्थ्य और अभिनव प्रौद्योगिकियों तक पहुँच का अभाव आदि।

UHC: भारतीय संदर्भ

- भारत में UHC के सूत्रीकरण के लिये निम्नलिखित **दस सिद्धांतों** को अपनाया गया है- सार्वभौमिकता, समता, गैर-बहिष्कार एवं गैर-भेदभाव, तर्कसंगत एवं गुणवत्तापूर्ण व्यापक देखभाल, वित्तीय सुरक्षा, रोगियों के अधिकारों का संरक्षण, मज़बूत सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये प्रावधान, जवाबदेही एवं पारदर्शिता, सामुदायिक सहभागिता, स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुँच।
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य के मामले में भारत ने एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है जो निम्नलिखित चार मुख्य स्तंभों पर आधारित है- **निवारक स्वास्थ्य देखभाल, वहनीय स्वास्थ्य देखभाल, आपूर्ति पक्ष में सुधार** और **मिशन मोड में कार्यान्वयन।**

UHC की दिशा में भारतीय प्रयास

- **आयुष प्रणालियों पर विशेष ज़ोर** एवं **1.25 लाख से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के निर्माण** से निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा मिला है। इससे जीवन-शैली संबंधी बीमारियों जैसे-मधुमेह, रक्तचाप, अवसाद आदि को नियंत्रित करने में सहायता मिल रही है।
- **ई-सिगरेट पर प्रतिबंध, स्वच्छ भारत अभियान और टीकाकरण अभियानों** के माध्यम से जागरूकता के कारण भी स्वास्थ्य संवर्द्धन में सहायता मिल रही है।
- सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिये भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी **स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत** शुरू की है। इस योजना के तहत 50 करोड़ गरीबों को सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई है।
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिशन मोड हस्तक्षेपों में माँ और बच्चे की पोषण की स्थिति में सुधार पर केंद्रित **राष्ट्रीय पोषण मिशन** और **वैश्विक लक्ष्य 2030 से** पाँच वर्ष पहले 2025 तक क्षय रोग को खत्म करने की प्रतिबद्धता उल्लेखनीय पहलें हैं।
- भारत ने कई अन्य देशों, **विशेष रूप से अफ्रीकी देशों को टेली-मेडिसिन** के माध्यम से **वहनीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ** उपलब्ध कराने के लिये भी प्रयास किये हैं। ■■■

2 संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण ★★★

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय** द्वारा **अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (All India Survey on Higher Education-AISHE) रिपोर्ट 2018-19 जारी** की गई है।

प्रमुख निष्कर्ष

- **सकल नामांकन अनुपात (GER)** वर्ष 2017-18 में 25.8% से बढ़कर वर्ष **2018-19 में 26.3% हो गया है।** इसी समयावधि में निरपेक्ष रूप से नामांकन 3.66 करोड़ से बढ़कर 3.74 करोड़ तक पहुँच गया है।
- **अनुसूचित जातियों** के लिये GER 21.8% से बढ़कर **23%,** जबकि **अनुसूचित जनजातियों** के लिये यह 15.9% से बढ़कर **17.2%** हो गया है।

GER

सकल नामांकन अनुपात (GER) को 18-23 वर्ष आयु वर्ग में जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किये गए स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध-स्तर के अध्ययन में नामांकित छात्रों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारत ने वर्ष **2020 तक 30% GER प्राप्त करने का लक्ष्य** निर्धारित किया है।

- कुल नामांकन में **महिला नामांकन** का हिस्सा **वर्ष 2017-18 में 47.6% से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 48.6% हो गया** है। इस कारण लिंग समता सूचकांक में सुधार हुआ है।
- **उत्तर प्रदेश और कर्नाटक** दो राज्यों में उच्च शिक्षा के लिये नामांकन के संदर्भ में **छात्रों की तुलना में छात्राओं की संख्या अधिक** है।
- **विश्वविद्यालयों की संख्या** वर्ष 2017-18 के 903 से बढ़कर 2018-19 में **993** और इसी अवधि में **कुल उच्च शिक्षण संस्थानों** की संख्या 49,964 से बढ़कर **51,649** हो गई है।
- स्नातक (Undergraduate-UG) स्तर पर कुल **नामांकन में से 35.9% ने कला/मानविकी संकाय** के विषयों को प्राथमिकता दी है।
- 93.49 लाख छात्रों ने कला संकाय में प्रवेश लिया है जिनमें से 53.03% महिलाएँ हैं।
- **16.5%** विद्यार्थियों ने **विज्ञान संकाय** और **14.1%** विद्यार्थियों ने **वाणिज्य संकाय** में नामांकन कराया है। अभियांत्रिकी अर्थात् इंजीनियरिंग चौथे स्थान पर है।
- **B.Tech और M.Tech कार्यक्रमों** में नामांकन में **काफी गिरावट** दर्ज की गई है।
- स्नातकोत्तर (Postgraduate-PG) स्तर पर जहाँ एक-तिहाई स्नातक छात्रों ने मानविकी विषय में प्रवेश लिया वहीं प्रबंधन भी स्नातकोत्तर स्तर पर एक पसंदीदा संकाय है।
- **कॉलेजों की सर्वाधिक संख्या** के मामले में **उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और हरियाणा शीर्ष 5 राज्य** हैं।
- 18-23 वर्ष आयु वर्ग की प्रति लाख आबादी पर कॉलेजों की संख्या अर्थात् **कॉलेज घनत्व भी भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न** है।
- 28 के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले **बिहार जैसे राज्य में** जहाँ यह **मात्र 7 है, तो वहीं कर्नाटक में 53** है।
- 60.53% कॉलेज **ग्रामीण इलाकों** में स्थापित हैं।
- **11.04% कॉलेज अनन्य (Exclusive)** रूप से **महिलाओं के लिये समर्पित** हैं। ऐसे कुल 16 विश्वविद्यालय हैं जिनमें से राजस्थान में सर्वाधिक 3 और तमिलनाडु में 2 विश्वविद्यालय हैं।
- विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में **छात्र-शिक्षक अनुपात 29** है।
- केवल **2.5% कॉलेज Ph.D कार्यक्रम** चलाते हैं, जबकि स्नातकोत्तर (PG) स्तर के कार्यक्रम चलाने वाले कॉलेजों की संख्या 34.9% है।
- **राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों में छात्राओं की सबसे कम भागीदारी** रिपोर्ट का चिंताजनक निष्कर्ष है। इसके बाद राज्य स्तरीय निजी मुक्त विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों (सरकारी) में छात्राओं की सबसे कम भागीदारी है।

उच्च शिक्षा हेतु किये गए सरकारी प्रयास

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षा क्षेत्र के समग्र विकास के लिये कई नीतिगत और योजनागत उपाय किये हैं। कुछ पहलें निम्नलिखित हैं-

- **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA):** इसका उद्देश्य राज्य उच्च शिक्षा विभागों और संस्थानों को महत्त्वपूर्ण केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करना है। रूसा के तहत अनुदान को राज्य उच्चतर शिक्षा विभाग और संस्थानों के शासन, शैक्षिक और प्रशासनिक सुधारों से जोड़ा गया है।
- रूसा की शुरुआत से पहले GER 20.8 (2012) था जो वर्तमान में **26.3%** तक पहुँच गया है।
- **राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की स्थापना** देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में सभी प्रवेश परीक्षाओं के संचालन हेतु एक स्वायत्त एवं आत्मनिर्भर प्रीमियर परीक्षण संगठन के रूप में गई है।
- अत्याधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध करने के लिये भारतीय प्रतिभा के उपयोग हेतु 2018-19 की शुरुआत के साथ सात वर्षों की अवधि के लिये **प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो** (PMRF) योजना शुरू की गई है।

3 आर्थिक घटनाक्रम

राज्य वित्त पर RBI की रिपोर्ट ★★★

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा **'राज्य वित्त: वर्ष 2019-20 के बजट का अध्ययन'** (State Finances: A Study of Budgets of 2019-20) शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। यह एक **वार्षिक प्रकाशन है जो राज्य सरकारों के वित्त की सूचना, विश्लेषण और आकलन उपलब्ध कराता** है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट के अनुसार पिछले दो वर्षों (2017-18 व 2018-19) में राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा (GFD) **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन** (FRBM) **अधिनियम** द्वारा निर्धारित सीमा अर्थात् **GDP के 3%** की सीमा में रहा। हालाँकि यह राज्यों द्वारा पूंजीगत खर्च **में** अत्यधिक कमी के कारण संभव हुआ।
- राज्यों का बकाया ऋण पिछले पाँच वर्षों में **GDP के 25%** तक बढ़ गया है जो इसकी मध्यावधिक स्थिरता के लिये एक **चुनौती** है। FRBM समीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुरूप इसे **GDP के 20% तक लाना** राज्यों की मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए चुनौतीपूर्ण होगा।
- वर्ष 2019-20 के लिये राज्यों ने **अत्यल्प राजस्व अधिशेष** (Marginal Revenue Surplus) के साथ GDP के 2.6% के समेकित GFD का बजट बनाया है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि **राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय** (Capital Expenditure) **में अत्यधिक कमी से आर्थिक विकास की गति और गुणवत्ता** पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
- गौरतलब है कि राज्यों द्वारा किया गया **सार्वजनिक व्यय केंद्र सरकार के खर्च की तुलना में अर्थव्यवस्था की भौतिक और सामाजिक पूंजी अवसंरचना की गुणवत्ता को** अधिक प्रभावित करता है।

राज्य-वित्त पर दबाव के कारण

- राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के माध्यम से पूंजीगत व्यय में तेज़ी ला रहे हैं। हालाँकि राज्य इन उद्यमों की उधारियों पर गारंटी देकर इनकी सहायता करते हैं लेकिन **बिजली और परिवहन जैसे क्षेत्रों में कमज़ोर लागत वसूली तंत्र के कारण राजकोषीय जोखिम बढ़** जाते हैं।
- **उदय योजना** (UDAY Scheme) के तहत राज्यों को विद्युत वितरण कंपनियों का वृद्धिशील घाटा उठाना पड़ता है जो कि पहले से ही **कमज़ोर राज्य-वित्त पर और दबाव डालता** है।
- कॉर्पोरेट करों में उच्च कटौती और **GST** संग्रह कम होने से राज्यों को **कर अंतरण** (Tax Devolution) भी प्रभावित होगा।
- इसके अलावा **आयुष्मान भारत की राजकोषीय लागत** को लेकर भी चिंताएँ बनी हुई हैं।
- राज्यों को अपनी राजस्व क्षमताओं को साकार करने में **कम कर लचीलापन** (Tax Buoyancy) में कमी, **GST की व्यवस्था के तहत कम राजस्व स्वायत्तता** और **एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर** (IGST) **तथा अनुदानों के हस्तांतरण से जुड़ी अनिश्चितताओं** जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है।
- केंद्र अपने व्यय के वित्तपोषण के लिये **उपकर और अधिभार** (Cesses and Surcharges) **की उगाही पर निर्भर** रहा है। इन स्रोतों से अर्जित **राजस्व विभाज्य कर पूल का हिस्सा नहीं** बनता है और इसे राज्यों के साथ साझा **नहीं** किया जाता है।
- केंद्र ने **15वें वित्त आयोग** को **रक्षा और आंतरिक सुरक्षा** के लिये भी **धन आवंटन** करने की संभावना पर विचार करने को कहा है। इसे राज्यों के हिस्से में आने वाली राशि में कटौती से पूरा किये जाने की संभावना है।

दबाव कम करने हेतु रणनीति

- राज्यों को **केवल कर दरों में वृद्धि के बजाय अधिकतम दक्षता सुनिश्चित** करने के लिये **राजस्व संग्रहण को बढ़ाने की दिशा** में प्रयास करने की आवश्यकता है क्योंकि जब तक राजस्व में वृद्धि **नहीं** होगी, राज्यों को बाध्य होकर **पूंजीगत व्यय में कटौती** करनी होगी जो **आर्थिक मंदी** को **बढ़ावा** देगा। इस तरह **राजस्व में कमी का दुष्चक्र शुरू** हो जाता है। इस परिदृश्य में राज्यों को संसाधन जुटाने पर ध्यान देना चाहिये।
- लेकिन कर राजस्व बढ़ाने की सीमा के मद्देनज़र उन्हें **बिजली और सिंचाई से संबंधित अपनी टैरिफ नीतियों की समीक्षा करने की आवश्यकता** है। इन सेवाओं पर तार्किक उपयोगकर्त्ता शुल्क लगाकर गैर-कर राजस्व बढ़ाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- राज्यों को **कर आधार का विस्तार** करने के लिये धीरे-धीरे **GST डेटाबेस का उपयोग करने** पर भी ध्यान देना चाहिये।

लघु उद्योगों पर ILO की रिपोर्ट ★★★

चर्चा में क्यों

10 अक्तूबर, 2019 को **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा विकसित और विकासशील देशों के संदर्भ में लघु उद्योगों की प्रासंगिकता** पर एक **रिपोर्ट** जारी की गई है।

प्रमुख बिंदु

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, **अल्प-विकसित और विकासशील देशों** में **कुल रोज़गार का दो-तिहाई से अधिक हिस्सा लघु आर्थिक इकाइयों** द्वारा प्रदान किया जाता है।
- ILO द्वारा जारी इस रिपोर्ट में इस तर्क पर ज़ोर दिया गया है कि **लघु उद्योग समर्थित दृष्टिकोण निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिये आवश्यक** है, जहाँ बहुसंख्यक लोग लघु आर्थिक इकाइयों में कार्यरत हैं।

4 अंतर्राष्ट्रीय संबंध

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक-2019 ★★★

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व आर्थिक मंच **(WEF)** द्वारा जारी **वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक-2019 (Global Competitiveness Index-2019)** में भारत को 141 देशों की सूची में **68वाँ** स्थान प्राप्त हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- **वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मक सूचकांक 4.0** में विश्व की **141 अर्थव्यवस्थाओं** को शामिल किया गया था।
- **सिंगापुर** ने संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रतिस्थापित कर इस सूचकांक में **प्रथम स्थान प्राप्त किया है।**
- **28वें स्थान के साथ** चीन को **ब्रिक्स देशों के समूह** में **सर्वोच्च स्थान** प्राप्त हुआ है।
- **अमेरिका** को दूसरा, **हॉन्गकॉन्ग** को तीसरा, **नीदरलैंड्स** को चौथा और **स्विट्ज़रलैंड** को पाँचवाँ स्थान मिला है।
- एशिया-प्रशांत क्षेत्र में कई प्रतिस्पर्द्धी देशों की उपस्थिति इस क्षेत्र को विश्व में सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाती है।

भारत का प्रदर्शन

- इस वर्ष भारत वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मक सूचकांक-2019 में **10 स्थान नीचे खिसक गया** है जबकि वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मक सूचकांक-2018 में भारत 58वें स्थान पर था।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत **व्यापक आर्थिक स्थिरता और बाज़ार के आकार के** मामले में **उच्च स्थान** पर है।
- **बाज़ार के आकार और अक्षय ऊर्जा विनियमन** के लिये भारत को **तीसरा** स्थान प्राप्त हुआ है।
- **कॉरपोरेट गवर्नेंस** के मामलों में भारत **15वें स्थान पर** है जबकि **शेयरहोल्डर** गवर्नेंस के मामलों में इसका स्थान **दूसरा है।**
- इसके अलावा **नवाचार के** मामले में भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में **सबसे आगे** है।
- **योग्यता और प्रोत्साहन** के मामले में भारत को **118वें स्थान** तथा **कौशल उपलब्धता** मामले में **107वें** स्थान पर रखा गया है।

वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक

वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (World Economic Forum) द्वारा जारी की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट है जिसे पहली बार वर्ष **1979 में** लॉन्च किया गया था। यह सूचकांक **12 स्तंभों** एवं **103 संकेतकों** पर आधारित हैं। ये स्तंभ निम्नलिखित हैं-

- संस्थान (Institutions)
- उपयुक्त आधारभूत संरचना (Appropriate Infrastructure)
- स्थिर समष्टि आर्थिक ढाँचा (Stable Macroeconomic Framework)
- अच्छा स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा (Good Health and Primary Education)
- उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण (Higher Education and Training)
- कुशल माल बाज़ार (Efficient Goods Markets)
- कुशल श्रम बाज़ार (Efficient Labor Markets)
- वित्तीय बाज़ारों का विकास (Developed Financial Markets)
- मौजूदा प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की क्षमता (Ability to Harness Existing Technology)
- बाज़ार आकार-घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों (Market size-Both Domestic and International)
- सबसे परिष्कृत उत्पादन प्रक्रियाओं का उपयोग करके विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं का उत्पादन (Production of New and Different Goods Using the Most Sophisticated Production Processes)
- नवाचार (Innovation)

भारत के संदर्भ में चिंता के मुद्दे

- ब्राज़ील (71वें स्थान) के साथ भारत ने ब्रिक्स देशों में **सबसे खराब प्रदर्शन** किया है।
- सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी अनुकूलन, स्वास्थ्य की खराब स्थिति एवं निम्न जीवन प्रत्याशा जैसे प्रतिस्पर्द्धी के कुछ मानकों पर **भारत की स्थिति कमज़ोर** है।
- WEF के अनुसार, **जीवन प्रत्याशा** में भारत को कुल 141 देशों में से **109वें** स्थान पर रखा गया है जो अफ्रीका की तुलना में कम और दक्षिण एशियाई देशों के औसत से काफी नीचे है।
- व्यापार के नियमों की अस्पष्टता, श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा में कमी, अपर्याप्त रूप से विकसित श्रम बाज़ार की नीतियाँ तथा महिलाओं की कम भागीदारी के कारण भारत की बाज़ार उत्पादन क्षमता कम है।
- **महिला श्रमिकों एवं पुरुष श्रमिकों के अनुपात** अर्थात् 0.26 के साथ भारत को **128वाँ** स्थान दिया गया है।

आगे की राह

- भारत को अपने **कौशल आधार को मज़बूत** करने की आवश्यकता है।
- सूचकांक के अनुसार **कोरिया, जापान, फ्राँस** जैसी मज़बूत नवाचार क्षमता वाली अर्थव्यवस्थाओं तथा **भारत, ब्राज़ील जैसी** उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को अपने **श्रम बाज़ार की कार्यप्रणाली** एवं **मानव संसाधन आधार** में **सुधार लाना** चाहिये।

5 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

अंतरिक्ष

एक्सोप्लैनेट और डार्क मैटर ★★★

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस** द्वारा वर्ष 2019 का भौतिकी (Physics) का नोबेल पुरस्कार **बिग बैंग से संबंधित सिद्धांत** और **एक्सोप्लैनेट की खोज** के लिये दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस वर्ष माइकल मेयर, डीडीएर क्वेलोज़ व जेम्स पीबल्स को संयुक्त रूप से इस पुरस्कार के लिये चुना गया है।
- माइकल मेयर व डीडीयर क्वेलोज़ को सौरमंडल के बाहर एक ऐसे ग्रह की खोज के लिये चुना गया है जो कि सूर्य जैसे तारे की परिक्रमा करता है। वही जेम्स पीबल्स को भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान में सैद्धांतिक खोज के लिये चुना गया है।

एक्सोप्लैनेट क्या है?

- सौरमंडल से बाहर पाए जाने वाले ग्रह एक्सोप्लैनेट कहलाते हैं। मेयर एवं क्वेलोज़ ने वर्ष 1995 में प्रथम एक्सोप्लैनेट **51 पेगासी बी** की खोज की थी।
- **51 पेगासी बी पेगासस तारामंडल में अवस्थित एक तारा है जो पृथ्वी से लगभग 50 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है।**
- यह एक गैसीय ग्रह है, जो बृहस्पति के आकार का लगभग आधा है। इसी कारण इसे डिमिडियम नाम दिया गया था, जिसका अर्थ $\frac{1}{2}$ भाग होता है।
- यह केवल चार दिनों में अपने तारे की परिक्रमा पूरी कर लेता है।

पीबल्स का योगदान

- बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड की स्थिति क्या थी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन माना जाता है कि यह अत्यंत सघन, अपारदर्शी एवं गर्म था।
- बिग बैंग के लगभग 4,00,000 वर्ष बाद ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और इसके तापमान में कुछ हज़ार डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। इसके कारण ब्रह्मांड में पारदर्शिता बढ़ी एवं प्रकाश का गमन संभव हुआ।
- ब्रह्मांड का यह विस्तार व ठंडा होना जारी रहा एवं इसका वर्तमान तापमान लगभग 2 केल्विन अर्थात् $-271°C$ है।
- बिग बैंग के बचे हुए कणों को **कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड** (CMB) कहा गया। इसके बारे में पहली बार 1964 में पता चला था, इस खोज को वर्ष 1978 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया।
- पीबल्स ने बताया है कि CMB के तापमान को मापकर बिंग बैंग के दौरान निर्मित पदार्थ की मात्रा का पता लगाया जा सकता है। ब्रह्मांड के विस्तार के कारण CMB में सूक्ष्मतरंग विकिरण पाया जाता है जोकि अदृश्य होता है।
- इस खोज से ब्रह्मांड एवं आकाशगंगाओं की उत्पत्ति तथा डार्क मैटर की गुत्थी को सुलझाने में सहायता मिलेगी।

डार्क मैटर को समझने में पीबल्स की भूमिका?

- आकाशगंगाओं की घूर्णन गति के अध्ययन के दौरान यह अनुमान लगाया गया कि ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण द्वारा आकाशगंगाओं को एक साथ व्यवस्थित बनाए रखने के लिये बहुत अधिक द्रव्यमान की आवश्यकता है।
- हालाँकि इस द्रव्यमान के एक हिस्से को देखा जा सकता था तथापि एक बड़ा हिस्सा अदृश्य था, जिसे **डार्क मैटर** कहा गया।
- पहले न्यूट्रीनो को ही अदृश्य द्रव्यमान माना जाता था। पीबल्स ने स्पष्ट किया कि यह डार्क मैटर ही अदृश्य द्रव्यमान है।
- डार्क मैटर को केवल गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। क्योंकि यह प्रकाश के साथ अंर्तक्रिया नहीं करता है। ब्रह्मांड का 25% भाग डार्क मैटर से निर्मित है।

बिग बैंग सिद्धांत

- इसका प्रतिपादन एडविन हब्बल ने किया था।
- इस सिद्धांत के अनुसार, आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है, अति छोटे गोलक (एकाकी परमाणु) के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे।
- जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ।
- इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, जो अब भी जारी है। बिग बैंग के आरंभिक तीन मिनट के अंर्तगत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ।

मीथेन संचालित रॉकेट इंजन ★★

चर्चा में क्यों?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) **मीथेन संचालित रॉकेट इंजन** विकसित करने की योजना बना रहा है।

6 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन ★★★

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2019** का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु संकट से निपटने के लिये वैश्विक प्रयासों में तेज़ी लाने हेतु इस सम्मेलन का आयोजन किया था।

पर्यावरण संबंधी चिंताएँ

- उल्लेखनीय है कि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन निर्बाध गति से रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच रहा है।
- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के अनुसार, **उच्च ऊर्जा मांग के कारण वर्ष 2018 में CO_2 से संबंधित वैश्विक ऊर्जा उत्सर्जन 1.7% की वृद्धि के साथ बढ़कर 33.1 गीगाटन** के ऐतिहासिक स्तर पर पहुँच गया है। वर्ष 2013 के बाद यह वृद्धि की उच्चतम दर है।
- **पिछले 4 वर्ष रिकॉर्ड स्तर पर सबसे गर्म वर्ष** थे, वहीं **वर्ष 1990 के बाद से आर्कटिक में शीत ऋतु का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस बढ़** गया है।
- समुद्री जल स्तर प्रत्येक वर्ष लगभग 1 इंच के 1/8 की दर से बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में समुद्र का स्तर 1993 के औसत से 2.6 इंच ऊपर था।
- वायु प्रदूषण, हीट वेव और खाद्य सुरक्षा जैसे जोखिमों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है।
- संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि **पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये दुनिया को अपने प्रयासों को 3 से 5 गुना बढ़ाने की आवश्यकता** है।

पृष्ठभूमि

- नवीनतम विश्लेषणों से पता चलता है कि उचित कार्रवाइयों द्वारा 12 वर्षों के भीतर कार्बन उत्सर्जन को कम करते हुए वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस या उससे से भी कम (पूर्व-औद्योगिक स्तर तक) किया जा सकता है।
- हालाँकि **पेरिस समझौता एक दूरदर्शी, व्यवहार्य और नीतिगत ढाँचा उपलब्ध कराता है जो** यह बताता है कि **जलवायु संकट को रोकने तथा इसके प्रभाव को उलटने हेतु वास्तव में क्या किया जाना चाहिये। किंतु महत्त्वाकांक्षी कार्रवाई के बिना यह समझौता निरर्थक ही है।**

सम्मलेन के प्रमुख बिंदु

संयुक्त राष्ट्र ने कार्रवाई हेतु **छह ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता** दी है, जिनमें ग्रीनहाउस गैस **उत्सर्जन पर अंकुश लगाने की उच्च क्षमता विद्यमान** है और साथ ही ये पेरिस समझौते तथा सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

ऊर्जा संक्रमण

- **ऊर्जा दक्षता से कार्बन उत्सर्जन में लगभग 40% तक की कमी लाई जा सकती है**, इसके बावजूद कुछ गिने-चुने देश ही जलवायु संबंधी योजनाओं में ऊर्जा दक्षता सुधार हेतु योजनाएँ बना पाते हैं।
- उल्लेखनीय है कि ऊर्जा दक्षता प्राप्त करने के लिये इस सम्मेलन में एक **3% क्लब की शुरुआत** की गई।
- इस क्लब में **ऐसे देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं, जो अपनी अर्थव्यवस्थाओं की ऊर्जा दक्षता में 3% वार्षिक वृद्धि के** लिये प्रतिबद्ध हैं।
- **भारत के साथ ही अर्जेंटीना, कोलंबिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, इथियोपिया, घाना, होंडुरास, हंगरी, आयरलैंड, इटली, केन्या, पुर्तगाल, सेनेगल और यूनाइटेड किंगडम** इस क्लब के सदस्य देश हैं।
- इसके साथ ही भारत ने वर्ष 2022 तक अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने (175 गीगावॉट से अधिक) की भी प्रतिज्ञा की है।

प्राकृतिक समाधान

- सम्मेलन में **'प्रकृति-आधारित समाधान गठबंधन'** (चीन और न्यूज़ीलैंड के सह-नेतृत्व) द्वारा विकसित नई पहलों को अपनाने की भी मांग की गई।
- इनमें समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण एवं पुनर्स्थापन, पुनर्योजी कृषि को बढ़ावा देने, आपूर्ति शृंखला को टिकाऊ बनाने के प्रयासों के साथ-साथ प्रकृति-आधारित समाधानों को बढ़ावा देने हेतु नवीन वित्तपोषण तंत्र को उन्नत करने के प्रयास शामिल हैं।
- इन समाधानों के तहत शासन, वित्त और निर्णयन में प्रकृति के महत्त्व को भी रेखांकित किया गया है।

शहर और स्थानीय कार्रवाई

- जलवायु की स्थिति में सुधार लाने और राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिये शहर महत्त्वपूर्ण कुंजी हैं। विश्व की लगभग दो-तिहाई से अधिक ऊर्जा की खपत शहरों में होती है।
- **कम उत्सर्जन वाली इमारतें, बड़े पैमाने पर सार्वजनिक परिवहन,** शहरी **बुनियादी ढाँचे तथा हाशिये पर स्थित शहरी लोगों हेतु प्रतिबद्धता** के साथ शहरी और स्थानीय स्तरों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम किया जा सकता है।

लचीलापन और अनुकूलन

- IPCC द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुकूलन हेतु **परिवर्तनकारी कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता** है, किंतु इसके लिये **किये जा रहे प्रयास अब भी अपर्याप्त** हैं।

7 भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

भूगोल

AMOC ★★★

नेचर क्लाइमेट चेंज नामक पत्रिका में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार, पिछले 15 वर्षों (वर्ष 2004 से 2019) में अटलांटिक मेरिडिओनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) की प्रक्रिया धीमी हुई है।

AMOC क्या है?

अटलांटिक मेरिडिओनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) समुद्री धाराओं की एक वृहद् प्रणाली है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से गर्म जल को उत्तर अटलांटिक की ओर ले जाती है।

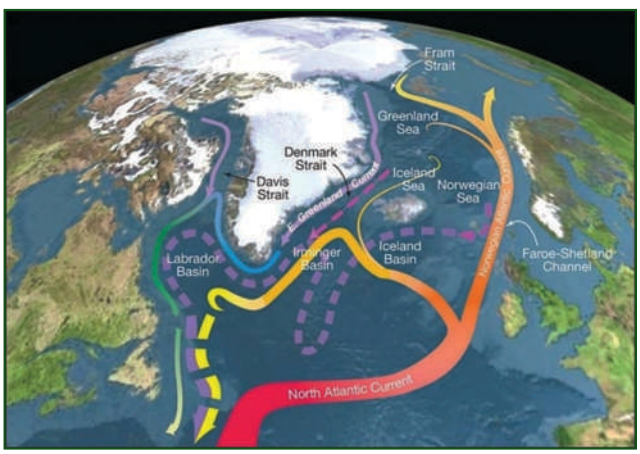

AMOC की कार्यप्रणाली

- AMOC एक कन्वेयर बेल्ट यानी वाहक बेल्ट के समान कार्य करता है, जो जल के तापमान तथा लवणता के बीच अंतर अर्थात् जल के घनत्व द्वारा प्रेरित होता है।
- जैसे-जैसे गर्म जल उत्तर की ओर प्रवाहित होता है तो वह ठंडा होता जाता है तथा उसमें वाष्पीकरण भी होता है, परिणामस्वरूप जल की लवणता बढ़ जाती है।
- कम तापमान और अधिक लवणता के कारण जल का घनत्व बढ़ जाता है और अधिक घनत्व वाला यह जल महासागर में नीचे की ओर पहुँचता है तथा वहाँ से धीरे-धीरे कई किलोमीटर की दूरी तक दक्षिण की ओर फैलता है। अंत में यह जल ऊपर की ओर यानी सतह पर वापस पहुँच जाता है और 'अपवेलिंग' नामक इस प्रक्रिया के साथ महासागरीय जल का परिसंचरण पूरा हो जाता है।

महत्त्व

यह वैश्विक प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि दुनिया के महासागर लगातार आपस में मिश्रित होते हैं जिससे ऊष्मा और ऊर्जा पृथ्वी के चारों ओर वितरित होती है। ऊष्मा और ऊर्जा का यह वितरण हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली जलवायु में योगदान देता है।

AMOC में परिवर्तन

- समुद्र-विज्ञानी वर्ष 2004 से लगातार AMOC को मापते रहे हैं। मापों से पता चला है कि AMOC में साल-दर-साल परिवर्तन हो रहा है लेकिन इसके दीर्घकालिक रुझानों के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाज़ी होगी।
- वर्ष 2004 से पहले AMOC की माप केवल कुछ बार ही की गई थी और अतीत में वापस जाने के लिये अप्रत्यक्ष साक्ष्यों (उदाहरण के लिये समुद्र तल पर तलछट) को भी देखने की ज़रूरत है।
- अप्रत्यक्ष साक्ष्य हमेशा विवरणों पर सहमत नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अतीत में (उदाहरण के लिये हिमयुग के अंत के आस-पास) AMOC में कुछ बड़े और तीव्र बदलाव हुए होंगे।

AMOC के कमज़ोर होने का परिणाम

- नेचर क्लाइमेट चेंज पत्रिका के अनुसार, AMOC के कमज़ोर पड़ने से यूरोप और अटलांटिक रिम के कई हिस्सों में इसके व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं।
- येल विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के अनुसार, AMOC अंतिम बार 15,000 से 17,000 वर्ष पहले अस्थिर हुआ था। अनुमानत: इस अस्थिरता के कारण यूरोप में अत्यधिक सर्दी पड़ी तथा अफ्रीका का सहेल (Sahel) क्षेत्र सूखाग्रस्त हो गया था।

जलवायु परिवर्तन का AMOC पर प्रभाव

जलवायु मॉडल यह दर्शाते हैं कि ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ने से AMOC कमज़ोर हो जाएगा। ऐसा इसलिये है क्योंकि जैसे-जैसे वायुमंडल गर्म होता है, महासागरों की सतह का तापमान भी बढ़ता जाता है। इस बीच अत्यधिक बारिश और साथ ही बर्फ के पिघलने की दर में वृद्धि का तात्पर्य यह है कि महासागरीय जल में ताज़े जल का समावेशन भी होता है। ये सभी परिवर्तन समुद्र के जल को हल्का बनाते हैं, परिणामस्वरूप 'कन्वेयर बेल्ट' में जल के अवरोहण की प्रवृत्ति कम हो जाती है, अंतत: एक कमज़ोर AMOC का निर्माण होता है। इसलिये यह कहा जा सकता है कि AMOC के कमज़ोर होने की संभावना बहुत अधिक होती है।

हिंद महासागर की भूमिका

- हिंद महासागर क्षेत्र के ज़्यादा गर्म होने से यहाँ अतिरिक्त वर्षा हो रही है। इस क्षेत्र में अधिक प्रबल निम्न दाब का निर्माण हो रहा है जिससे

8 सामाजिक मुद्दे

वैश्विक भुखमरी सूचकांक-2019 ★★★

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आयरलैंड स्थित एजेंसी **कंसर्न वर्ल्डवाइड** और जर्मनी के **वेल्ट हंगर हिल्फे** द्वारा संयुक्त रूप से **वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) 2019** जारी किया गया है। यह इस श्रेणी की **14वीं रिपोर्ट** है।

क्या है GHI?

- वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भुखमरी के मापन हेतु GHI को विकसित किया गया है ताकि सतत् विकास लक्ष्यों के तहत **'2030 तक शून्य भुखमरी' (Zero Hunger by 2030)** के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
- GHI का **आकलन मुख्यतः चार मानकों के आधार पर** किया जाता है-
  - **अल्पपोषण, शारीरिक दुर्बलता/चाइल्ड वेस्टिंग, बौनापन (Child Stunting), बाल मृत्यु दर**

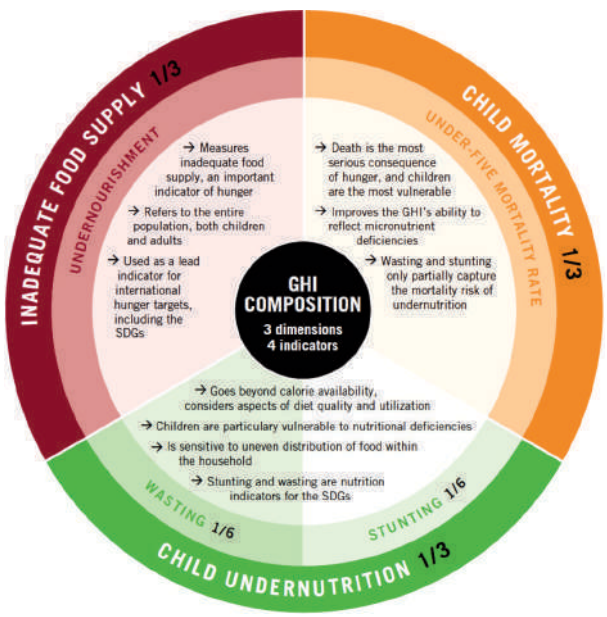

- 100-अंक की GHI स्केल पर शून्य अंक सबसे अच्छा प्रदर्शन (नो हंगर) माना जाता है और 100 अंक सबसे खराब स्थिति का सूचक है।
- 10 से कम अंक **कम भुखमरी,** 20 से 34.9 के बीच का स्कोर भुखमरी की **गंभीर स्थिति** का संकेत देता है।
- 35 से 49.9 तक का अंक **चिंताजनक** तथा 50 या उससे अधिक अंक **अत्यंत चिंताजनक** स्थिति को सूचित करते हैं।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- वैश्विक स्तर पर भुखमरी से पीड़ित लोगों की संख्या वर्ष 2015 में 785 मिलियन से बढ़कर वर्तमान में 822 मिलियन हो गई है।
- 117 देशों की सूची में **मध्य अफ्रीकी गणराज्य (Central African Republic) देश पहले स्थान** पर हैं और यह देश भुखमरी के **अत्यंत चिंताजनक** स्तर पर है।
- चार देशों- चाड, मेडागास्कर, यमन और जाम्बिया में भुखमरी **चिंताजनक स्तर** पर है।
- 117 देशों में से 43 देशों में भुखमरी की गंभीर स्थिति दर्ज की गई है।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि **जलवायु परिवर्तन के कारण भुखमरी की समस्या और गंभीर होती जा रही है** क्योंकि जलवायु परिवर्तन खाद्यानों की गुणवत्ता और पोषणात्मक मान (Nutritional Value) को प्रभावित करता है।
- इससे विश्व के सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना कठिन हो गया है।
- वैश्विक तापन, जल संकट, वातावरण में CO_2 की सांद्रता में वृद्धि तथा हीट वेव, सूखा और बाढ़ जैसी चरम घटनाएँ कुछ ऐसे कारक हैं जिनके कारण **खाद्य उत्पादन में गिरावट** आ सकती है।
- वर्तमान में भी चरम घटनाओं, पादप रोगों की बीमारियों और घटते जल संसाधनों के कारण मक्का और गेहूं जैसी प्रमुख खाद्य फसलों की पैदावार घट रही है।

भारत का प्रदर्शन

- 30.3 अंकों के साथ 117 देशों की सूची में **भारत को 102वाँ** स्थान मिला है।
- **वर्ष 2018 में** भारत 119 देशों में से **103वें स्थान पर** था।
- भारत का GHI स्कोर भी कम हो गया है। वर्ष 2005 के 38.9 से वर्ष 2010 में 32 और वर्ष 2010 से 2019 के बीच यह 32 से 30.3 पर आ गया है।
- भारत ने पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर, बौनेपन और भोजन की कमी के कारण अल्पपोषण के मानकों पर सुधार किया है।

अन्य देशों से तुलना

- **ब्रिक्स देशों के समूह और दक्षिण एशियाई देशों में भारत का प्रदर्शन सबसे खराब है।**
- भारत अपने पड़ोसी देशों- श्रीलंका (66), नेपाल (73), पाकिस्तान (94), म्याँमार (69) और बांग्लादेश (88) से भी पीछे है। हालाँकि इन देशों को भी भुखमरी की गंभीर स्थिति की श्रेणी में रखा गया है।

9 कला एवं संस्कृति

संगमकालीन नगरीय बस्ती की खोज ★★★

चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु पुरातात्त्विक विभाग ने **शिवगंगा** ज़िले में **वैगई नदी के तट पर** अवस्थित **कीलाडी** में कई चरणों की खुदाई से मिले साक्ष्यों के आधार पर **'कीलाडी-वैगई नदी के तट पर एक संगमकालीन नगरीय बस्ती'** नामक **रिपोर्ट प्रकाशित** की है।

प्रमुख बिंदु

- पहले यह माना जाता था कि संगमकालीन स्थल कीलाडी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के काल का है। लेकिन रिपोर्ट में नवीन साक्ष्यों के आधार पर इसका **काल-निर्धारण छठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईस्वी के बीच** किया गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु स्थित **वैगई मैदान में भी द्वितीय नगरीकरण छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा के मैदानों में हुए द्वितीय नगरीकरण के समकालीन** था। ध्यातव्य है कि सिन्धु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीकरण माना जाता है।
- खुदाई में प्राप्त गाय, बैल, भैंस, भेड़-बकरी, नीलगाय, कृष्ण मृग, जंगली सुअर और मोर के कंकालों से यह ज्ञात होता है कि कीलाडी समाज में जानवरों का प्रयोग मुख्यत: कृषि कार्यों में किया जाता था।
- यहाँ मिले स्थानीय कच्ची मिट्टी से बने मृदभांडों पर तमिल-ब्राह्मी लिपि उत्कीर्णित होने की भी जानकारी मिली है।

तमिल-ब्राह्मी लिपि (Tamil-Brahmi Script)

- सर्वप्रथम तमिलों द्वारा प्रयोग की गई लिपि **ब्राह्मी** थी।
- प्रारंभिक मध्यकाल से तमिलों ने एक नई कोणीय लिपि का प्रयोग शुरू किया जिसे ग्रंथ लिपि (Grantha Script) कहा गया। इस ग्रंथ लिपि से ही आधुनिक तमिल शब्द निकला है।

वैगई नदी (Vaigai River)

- वैगई नदी का **उद्गम मदुरै ज़िले से** होता है और यह **पूर्व दिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है।**
- वैगई नदी द्रोणी कावेरी नदी और कन्याकुमारी के मध्य अवस्थित 12 महत्त्वपूर्ण द्रोणियों में से एक है।
- इसका बेसिन **पूर्व में पाक जलडमरूमध्य** और **पश्चिम में इलायची तथा पालनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है।**

संगम काल (Sangam Age)

- **संगम, संस्कृत शब्द संघ का तमिल रूप** है जिसका अर्थ होता है **'कवियों का सम्मेलन'**। ऐसे सम्मेलनों में रचित साहित्य को संगम साहित्य कहा गया।
- **पांड्य राजाओं के संरक्षण** में तमिल कवियों के **तीन संगमों का आयोजन** हुआ था। लेकिन तीसरा संगम ही अधिकांश संगम साहित्य का स्रोत है।

संगम	अध्यक्ष	स्थान
प्रथम	अगस्त्य ऋषि	मदुरै
द्वितीय	तोलकाप्पियर (प्रारंभ में अगस्त्य ऋषि)	कपाटपुरम
तृतीय	नक्कीर	उत्तरी मदुरै

संगमकालीन प्रमुख रचनाएँ निम्नलिखित हैं:

- **तोलकाप्पियम द्वितीय संगम की उपलब्ध एकमात्र रचना** है जिसके **रचयिता तोलकाप्पियर** हैं। यह एक **व्याकरण से संबंधित ग्रंथ** है।
- **पत्तुपातु (दशगीत)** दस कविताओं का संग्रह है और यह **तृतीय संगम का ग्रंथ है।**
- आठ रचनाओं का समूह **एत्तुतौके** भी **दूसरे संगम की रचना है।**
- **पदिने किल्लकणक्कू** 18 कविताओं वाला एक **आचारमूलक ग्रंथ** है तथा यह **तृतीय संगम साहित्य से संबंधित है।**
- **शिलप्पादिकारम्, मणिमैखलै** और **जीवक चिंतामणि** संगमकालीन प्रमुख **महाकाव्य** हैं।

राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव ★★★

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार के **संस्कृति मंत्रालय** द्वारा **मध्य प्रदेश के जबलपुर में** 14-21 अक्तूबर, 2019 को **राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 10वें संस्करण का आयोजन** किया गया।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन **एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत** किया जाता है।
- संस्कृति मंत्रालय के प्रमुख उत्सव के रूप में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की **शुरुआत वर्ष 2015 में** हुई थी।
- इसके तहत देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के सभी समृद्ध एवं विविध आयामों जैसे- हस्तशिल्प, पाककला, चित्रकारी, वास्तुकला एवं लोक, जनजातीय, शास्त्रीय सहित अन्य समसामयिक प्रदर्शन कलाओं का एक ही स्थान पर प्रदर्शन किया जाता है।
- पिछले राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन टिहरी (उत्तराखंड) में किया गया था।
- **अक्टूबर 2016 में** देश की **विभिन्न संस्कृतियों और राज्यों के लोगों के बीच** पारस्परिक **समझ, सद्भाव और संबंधों को बढ़ावा** देते हुए देश की एकता और अखंडता बनाए रखने हेतु **एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की शुरुआत** की गई थी।

10 आंतरिक सुरक्षा

आतंकवाद पर मीडिया का कवरेज ★★★

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के प्रमुखों की एक बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद पर मीडिया कवरेज को लेकर पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्ग्रेट थैचर (Margret Thatcher) के बयान का उल्लेख किया।

क्या कहा था मार्ग्रेट थैचर ने?

मार्ग्रेट थैचर ने कहा था, "आतंकवाद से लड़ने में मीडिया की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका है, यदि आतंकवादी किसी घटना को अंजाम देते हैं और मीडिया शांत है तो आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। आतंकवादी लोगों में दहशत पैदा करते हैं। यदि मीडिया इस विषय पर नहीं लिखेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा।"

मार्ग्रेट थैचर के कथन का तत्कालीन संदर्भ

जून 1985 में हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन्स के एक हवाई जहाज़ को अगवा कर लिया था जिसमें 150 यात्री सवार थे। इस प्रकरण में अगवा किये गए यात्रियों को इज़राइल की जेलों में बंद आतंकवादियों को रिहा करने के बदले में छोड़ा गया। इस घटना को पूरी दुनिया की मीडिया ने कवर किया था।

आतंकवाद से निपटने में मीडिया की भूमिका

- हमारा समाज मीडिया की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने में यकीन नहीं रखता लेकिन मीडिया को स्वयं एक ऐसे आचार सहिंता पर सहमत होना चाहिये जहाँ वह कुछ भी ऐसा न दिखाए जिससे किसी आतंकवादी के हितों या लक्ष्यों की प्राप्ति हो।
- आतंकवादी अपनी लोकप्रियता चाहते हैं; इसके बिना उनका महत्त्व कम हो जाता है। वे देखते हैं कि किस तरह हिंसा व आतंक, अखबारों तथा टीवी चैनलों की स्क्रीन पर पूरी दुनिया को दिखाया जाता है। इस प्रकार की खबरें घटना के शिकार लोगों के पक्ष में सहानुभूति तथा सरकार पर दबाव बनाती हैं कि हिंसा के शिकार लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए भले ही उसका परिणाम जो भी हो। आतंकवादी इसका दुरुपयोग करते हैं क्योंकि हिंसा व अत्याचार से उन्हें लोकप्रियता मिलती है।
- आतंकवादी बल प्रयोग करते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि लोकतांत्रिक तरीके से उन्हें न्याय नहीं मिल सकता। इसलिये उनका उद्देश्य लोगों में भय पैदा करना तथा उनके खिलाफ होने वाले प्रतिरोध में कमी करना होता है।

वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में हो रही आतंकवादी गतिविधियों के प्रसार के संदर्भ में देखें तो दृष्टिगोचर होता है कि मीडिया तथा सोशल मीडिया का एक बड़ा भाग आतंकवादी गतिविधियों को परोक्ष रूप से लाभान्वित कर रहा है।
- मीडिया आज भी आतंकी गतिविधियों को प्रसारित कर रहा है। प्रौद्योगिकी के उन्नयन से उनकी पहुँच और भी व्यापक हुई है। फलतः बढ़ती हिंसा तथा आतंक के कारण लोगों में असुरक्षा का भाव बना रहता है।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक व यूट्यूब ने आतंकियों के प्रभाव को बढ़ाने के लिये एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में कार्य किया है। इन प्लेटफॉर्मों की सहायता से वे समाज में कट्टरता तथा धार्मिक हठधर्मिता का प्रसार करते हैं।

निष्कर्ष

आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिये मीडिया तथा सरकार दोनों को ही मिलकर व्यापक नीति निर्माण करने की आवश्यकता है। इस प्रकार की नीतियों के निर्माण से मीडिया आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण के लिये सरकार के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाएगा। साथ ही सोशल मीडिया कंपनियों को भी सरकार के साथ ताल-मेल बिठाते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिये कि हिंसा तथा कट्टरता को बढ़ावा देने वाली सामग्रियों को नियंत्रित किया जाए।

मणिपुर में तनाव ★★★

चर्चा में क्यों?

कुकी उग्रवादियों के कुछ समूहों ने मणिपुर में कुकी और नगाओं के बीच बढ़ते तनाव को खत्म करने के लिये प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है।

वर्तमान तनाव का कारण

- कुकी और नगा समुदायों के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। दरअसल, कुकी नामक गाँव में दोनों समुदायों के बीच अपने-अपने पूर्वजों की स्मृति में पत्थर के स्मारक स्थापित करने को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों समुदायों के बीच तनाव को देखते हुए मणिपुर सरकार ने स्मारकों को हटाने का आदेश दे दिया है।
- कुकी इंपी चुराचंदपुर (Kuki Inpi Churachandpur-KIC) के तत्त्वावधान में एक समिति द्वारा आंग्ल-कुकी युद्ध की शताब्दी मनाई गई। KIC जो कि विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों में कुकी समुदाय की सर्वोच्च संस्था है, ने सभी कुकी लोगों को में गाँवों को शिलालेख के साथ पत्थर के स्मारक स्थापित करने के लिये कहा था। लेकिन नगा समुदाय के लोगों ने नगाओं की पैतृक भूमि पर इन पत्थरों को स्थापित करने का विरोध किया।

11 संक्षिप्तियाँ

(यूपीएससी एवं राज्य पीसीएस प्रारंभिक परीक्षाओं पर केंद्रित)

सवैधानिक / प्रशासनिक घटनाक्रम

- **राजकीय खेल विश्वविद्यालय:** हाल ही में दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली में **भारत का पहला राजकीय खेल विश्वविद्यालय** स्थापित करने के लिये एक विधेयक को मंज़ूरी दी है। यह विधेयक **खेल विश्वविद्यालय को खेल स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना का अधिकार** देता है। खेल विश्वविद्यालय अन्य खेलों के साथ क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करेगा। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय (Delhi Sports University) को एक राजकीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव है और यह सीबीएसई (Central Board of Secondary Education-CBSE) से संबद्ध दिल्ली खेल विद्यालय होगा, जो खेल में छात्रों का कॅरियर बनाने के लिये खेल शिक्षा प्रदान करने पर ज़ोर देगा।
- **ध्रुव कार्यक्रम:** हाल ही में **केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय** ने **प्रधानमंत्री नवीन शिक्षण कार्यक्रम 'ध्रुव'** (Pradhan Mantri Innovative Learning Programme-DHRUV) की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को चिह्नित कर उन्हें देश भर के उत्कृष्ट केंद्रों में प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा परामर्श और शिक्षा प्रदान कर उनकी क्षमता का विकास करना है। **ध्रुव कार्यक्रम देश में प्रतिभाशाली छात्रों की खोज के लिये एक मंच के रूप में काम करेगा और ऐसे छात्रों को विज्ञान, ललित कला तथा रचनात्मक लेखन आदि जैसी उनकी रुचि के विषयों में उत्कृष्टता हासिल करने में सहायक होगा।** इसके माध्यम से प्रतिभाशाली छात्र अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए समाज के लिये भी योगदान कर पाएंगे। इस कार्यक्रम का नाम 'ध्रुव' तारे के नाम पर 'ध्रुव' रखा गया है और प्रत्येक चयनित छात्र 'ध्रुव तारा' कहलाएगा। इस कार्यक्रम में दो क्षेत्र-विज्ञान और ललित कला शामिल हैं। **इसमें कुल 60 छात्र होंगे, जिसमें से प्रत्येक क्षेत्र में 30 छात्र होंगे। छात्रों का चयन सरकारी और निजी स्कूलों की 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों में से किया जाएगा।**
- **इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम:** **केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा चंडीगढ़ में तीन नागरिक केंद्रित सेवाओं का शुभारंभ किया गया। इन सेवाओं में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम- डॉयल 112** (Emergency Response Support System-Dial 112), **ई-बीट बुक** (E-Beat Book) सिस्टम और ई-साथी एप (E-Saathi App) **शामिल हैं।** ERSS निर्भया फंड के तहत क्रियान्वित केंद्रीय गृह मंत्रालय की प्रमुख परियोजनाओं में से एक है। इससे विशेषकर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। ERSS एक एकल आपातकालीन नंबर 112 प्रदान करता है, जो कंप्यूटरीकृत प्रणाली के प्रयोग के माध्यम से तुरंत आवश्यक मदद करता है।
- **शोध शुद्धि:** **21 सितंबर, 2019 को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय** ने **'शोध शुद्धि'** (Shodh Shuddhi) **सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। 'शोध शुद्धि' साहित्यिक चोरी निरोधी सॉफ्टवेयर** (Plagiarism Detention Software-PDS) है। **यह सेवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के एक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र** (Inter University Centre-IUC), **सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क** (Information and Library Network-INFLIBNET) **द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।** यह सॉफ्टवेयर शोधार्थियों के मूल विचारों एवं लेखों की मौलिकता को सुनिश्चित करते हुए अनुसंधान परिणामों की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद करेगा।
- **प्रकाश पोर्टल:** विद्युत संयंत्रों को की जाने वाली **कोयला आपूर्ति में सुधार हेतु सरकार ने प्रकाश पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल खानों में कोयला स्टॉक की मैपिंग के साथ ही हितधारकों को विद्युत संयंत्रों में कोयले की उपलब्धता की निगरानी में भी मदद करेगा।** प्रकाश पोर्टल का पूरा नाम "Prakash-Power Rail Koyla Availability through Supply Harmony" है। सरकार का मुख्य उद्देश्य विद्युत संयंत्रों को कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विद्युत, कोयला और रेलवे मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करना है। इस पोर्टल के माध्यम से कोयला कंपनियों को प्रभावी उत्पादन योजना हेतु पावर स्टेशनों पर स्टॉक और आवश्यकता को ट्रैक करने में सहायता मिलेगी क्योंकि एक निश्चित मात्रा से अधिक कोयला भंडारित करने पर आग लगने की संभावना बनी रहती है। हालाँकि विद्युत मंत्रालय की हाल ही में लॉन्च अन्य वेबसाइटों के विपरीत यह पोर्टल आम जनता के लिये सुलभ नहीं है।
- **परफॉर्मेंस स्मार्ट-बोर्ड:** 02 अक्तूबर को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** ने एक स्वचालित रियल टाइम परफॉर्मेंस स्मार्ट-बोर्ड लॉन्च किया। **इस स्मार्ट-बोर्ड का उद्देश्य सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे डिजिटल इंडिया, आधार और डिजिटल भुगतान की प्रभावी निगरानी करना है।** इसके अतिरिक्त स्मार्ट-बोर्ड केंद्र, राज्य या ज़िला विशिष्ट परियोजनाओं के लिये नागरिकों को एकल खिड़की सुविधा तक पहुँच भी प्रदान करेगा। यह मंत्रालय के महत्त्वपूर्ण और उच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों को वास्तविक समय पर गतिशील विश्लेषणात्मक परियोजना निगरानी (Dynamic Analytical Project Monitoring) प्रदान करेगा। स्मार्ट-बोर्ड डेटा इंटीग्रेशन के माध्यम से विश्लेषण दक्षता को बढ़ाएगा, इसके लिये API/वेब सर्विस सेवाओं का उपयोग करके केंद्रीकृत तथा आसान-पहुँच वाले प्लेटफॉर्मों के डेटा का प्रयोग किया जाएगा। यह स्वचालित रियल टाइम स्मार्ट-बोर्ड पारदर्शिता को बढ़ावा देगा। गौरतलब है कि **एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्लाइंट या अलग-अलग सर्वर के बीच एक इंटरफेस या संचार प्रोटोकॉल है।**

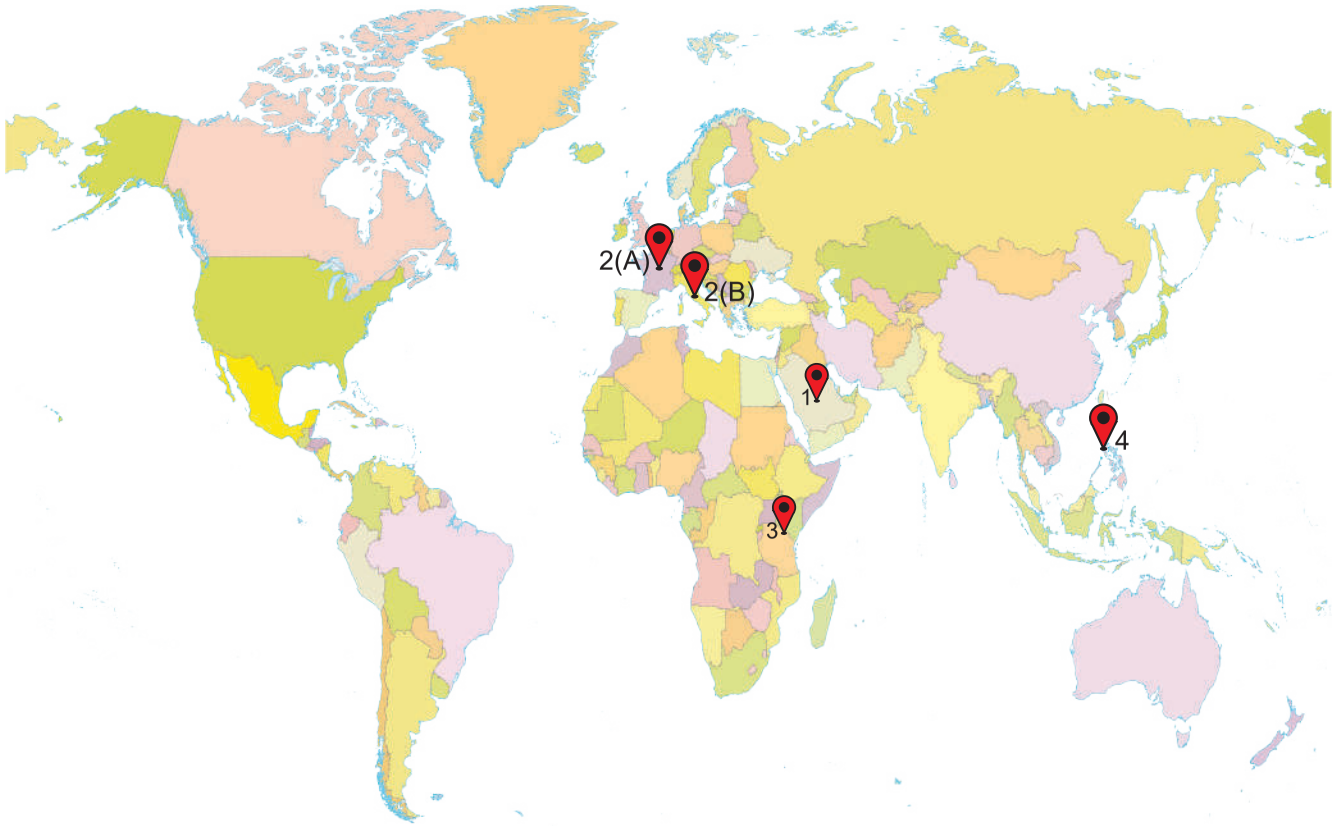

मानचित्र–1 (विश्व)

प्रश्न

1. उस देश की पहचान कीजिये जहाँ हाल ही में महिलाओं को सशस्त्र बलों में भर्ती की अनुमति प्रदान की गई है।
2. यूरोपीय संघ के उन सदस्यों की पहचान कीजिये जिन्होंने इंटरनेट टेक कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाया है।
3. अफ्रीका के सबसे ऊँचे पर्वत की पहचान कीजिये।
4. फिलीपींस स्थित उस शहर की पहचान कीजिये जहाँ हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा महात्मा गांधी की अर्द्ध-प्रतिमा का अनावरण किया गया है।

(इस मानचित्र के उत्तर पेज-100 पर देखें)

मानचित्र

जाँचिये कि क्या आप इन नक्शों में

से सीखें

रेखांकित स्थानों को पहचानते हैं?

मानचित्र–2 (भारत)

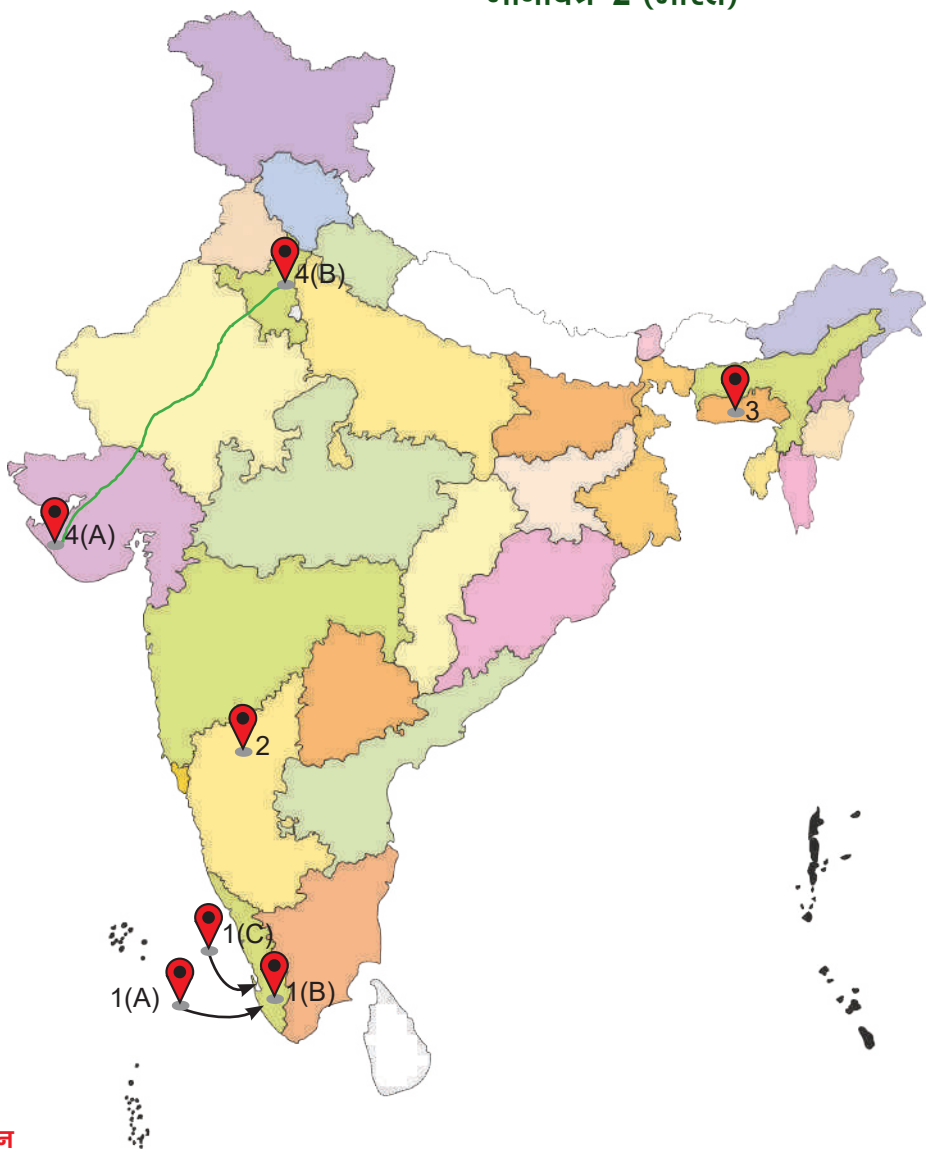

प्रश्न

1. केरल स्थित रामसर स्थलों की पहचान कीजिये।
2. उस स्थान की पहचान कीजिये जहाँ हाल ही में चालुक्य शासकों के कब्रगाह का पता चला है।
3. उस राज्य की पहचान कीजिये जहाँ हाल ही में संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों से 'अनरिप्रजेंटेड ट्राइब्स' को बाहर करने का निर्णय लिया गया है।
4. उन स्थानों की पहचान कीजिये जिनके मध्य केंद्र सरकार ने विस्तृत ग्रीन वॉल (Green Wall) के निर्माण की योजना बनाई है।

(इस मानचित्र के उत्तर पेज-100 पर देखें)

पुस्तक समीक्षा

-शान कश्यप

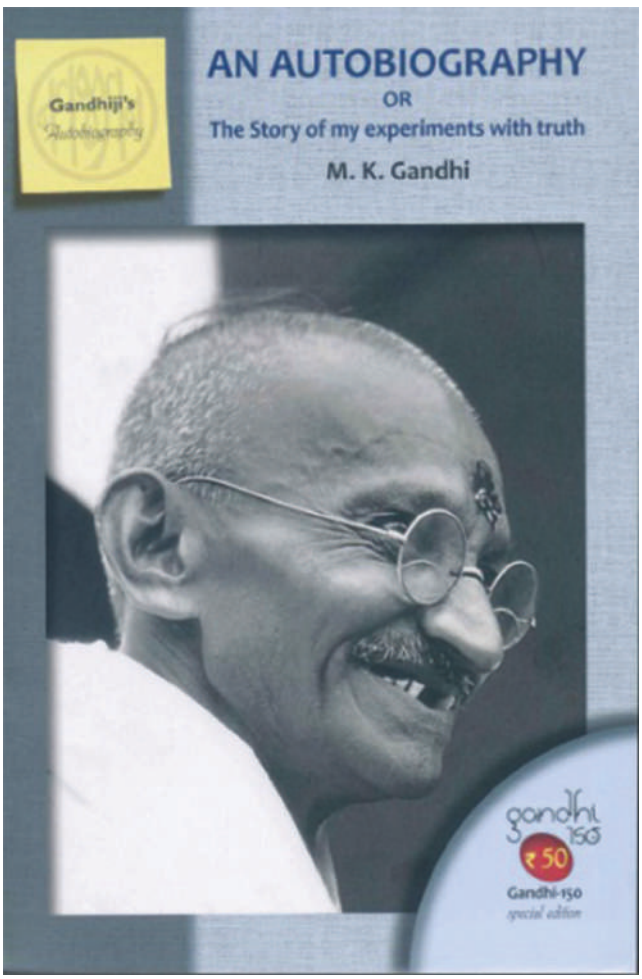

मोहनदास करमचंद गांधी,
एन ऑटोबायोग्राफी ऑर द स्टोरी ऑफ
माइ एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ,
नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद
पृष्ठ 100, ₹448, पेपरबैक

एक बार श्री अरबिंदो ने अपने शिष्य के.आर. श्रीनिवास आयंगर द्वारा लगातार उनकी जीवनी लिखने का प्रस्ताव किये जाने पर कहा था, "कोई भी मेरे जीवन को कलमबद्ध नहीं कर सकता क्योंकि वह मनुष्यों के देखने की खातिर सतह पर मौजूद नहीं है।" श्रीनिवास आयंगर ने श्री अरबिंदो की मृत्यु के बाद 1972 में उनकी जीवनी लिखी। यह टिप्पणी कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्न खड़े करती है। क्या वाकई किसी का भी जीवन अपनी संपूर्णता में दूसरों के सामने प्रकट होता है? विशेषकर अगर व्यक्ति का कार्यक्षेत्र निरंतर लोक जीवन से संवाद में हो, तब क्या उसके लोक जीवन की परिधि ही उसकी आत्मकथा या जीवनी होनी चाहिये?

इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने कई बार यह कहा है कि दक्षिण एशिया में जीवनी लेखन के लिये पर्यावरण उपयुक्त नहीं है। कई बार लेखक अपने अहंवाद और राजनीतिक छवि के कारण जीवनी नहीं लिख पाते तो कई बार राजनेताओं और विभिन्न महत्त्वपूर्ण लोगों के प्रति पाठक के मन में रचे-बसे सम्मान को जीवनी से प्रकट होने वाली दूसरी छवि मंजूर नहीं होती, चाहे वह छवि तथ्यपरक तरीके से स्रोतों के आधार पर ही क्यों न निर्मित की गई हो। ऐसे में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले राजनेताओं का संदर्भ थोड़ा भिन्न है। उनमें से कई लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखी है। समस्या फिर भी बनी रहती है क्योंकि श्री अरबिंदो की टिप्पणी आत्मकथा के मामले में भी सटीक है। ऐसे में यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो उठता है कि क्या जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, एम. एन. रॉय, भीमराव अंबेडकर या सरोजिनी नायडू की आत्मकथाओं से उनके जीवन की संपूर्णता का पता चलता है? इन विभिन्न उदाहरणों में एक ओर भीमराव अंबेडकर की सबसे छोटी आत्मकथा है (वेटिंग फॉर अ वीज़ा) और जवाहरलाल नेहरू की बहुत सघन और ब्योरेवार आत्मकथा भी है। कुछ आत्मकथाएँ आधी-अधूरी भी हैं।

अब प्रश्न यह है कि आत्मकथाओं की इस फेहरिस्त में महात्मा गांधी के 'सत्य के साथ मेरे प्रयोग' को कहाँ टिकाया जाए? इसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न है कि क्या यह आत्मकथा गांधी के जीवन के जिस कालखंड को प्रस्तुत करती है, वहाँ जीवन संपूर्णता में है या नहीं? इसे लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? लेखक के अनुसार इसके संभावित पाठक कौन थे? ये सभी प्रश्न इस तथ्य के आलोक में महत्त्वपूर्ण हैं कि स्वतंत्रता पूर्व जहाँ भारत में साक्षरता दर 10-12% तक थी, ये सभी आत्मकथाएँ किन उद्देश्यों को प्रकट कर रही थीं? इन प्रश्नों का उत्तर देने के क्रम में गांधी एक 'मॉडल' अपने पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हैं। गांधी पुस्तक की अपनी 'विदाई' में पाठकों के लिये लिखते हैं, "एक आत्मकथा के लिये एक उपयुक्त निष्कर्ष है कि वह कभी आत्मकथा होने का इरादा नहीं करती, लेकिन जीवन के साथ और सच्चाई के साथ प्रयोगों की एक कहानी है।" इससे ज़ाहिर होता है कि गांधी (यहाँ कदाचित हम उनके समकालीनों को भी जोड़ सकते हैं) अपनी आत्मकथा एक कहानीकार की भूमिका में लिख रहे थे। आत्मकथा को केवल लोक जीवन में प्रवेश करने की यात्रा, उसकी

जिस्ट
उपयोगी पत्र-पत्रिकाओं के लेखों का सार

खंड संयोजन- निधि सिंह

संपूर्ण योजना (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) का सार

महात्मा गांधी के 150 वर्ष

संपूर्ण कुरुक्षेत्र (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) का सार

कृषि क्षेत्र में सुधार

राजव्यवस्था एवं समाज

- भारत के बुज़ुर्गों को आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा
- आवास संकट
- महिला शिक्षा और बाल पोषण

स्रोत: EPW, The Hindu, NCBI

अर्थव्यवस्था

- युवा भारत के लिये रोज़गार सृजन
- कोयला खनन में विदेशी निवेश
- वाहन उद्योग का संकट
- बैंकों का विलय

स्रोत: The Hindu, EPW, The Economic Times

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- प्रौद्योगिकी विज़न 2035
- झूठे समाचारों (फेक न्यूज़) का विनियमन
- ओज़ोन छिद्र

स्रोत: EPW, Down to Earth

पर्यावरण

- भारत में अपशिष्ट जल प्रबंधन
- क्या भारत एकल उपयोग प्लास्टिक से मुक्त हो पाएगा

स्रोत: Down to Earth, The Economic Times

अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा शासन व्यवस्था

- परमाणु हथियार पहले उपयोग न करने की नीति (नो फर्स्ट यूज़)
- अलग-थलग पड़े ईरान में चीन को अवसर

स्रोत: IDSA, ORF Website

एथिक्स

- भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सृजनशीलता
- राजनीतिक नैतिकता

स्रोत: Psychology Today, Harward University

संपूर्ण योजना (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) का सार

महात्मा गांधी के 150 वर्ष

परिचय

- गांधीजी का समग्र मूल्यांकन करने के लिये हमें एक ओर तो नमक सत्याग्रह के समय के उल्लासमय जोश को ध्यान में रखना पड़ेगा तो दूसरी ओर देश के विभाजन से पहले हुई हिंसा की मायूसी के क्षणों के साथ जुड़ना होगा।
- 20वीं सदी के पूर्वार्द्ध में गांधीजी ने प्रेम, सत्य और अहिंसा के अपने अनोखे हथियारों से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से सफलतापूर्वक लोहा लेने में देश का नेतृत्व किया।

स्वदेशी और स्वराज के पारिस्थितिकीय तंत्र में संभावना

- गांधीजी ने पूंजीवाद और साम्यवाद के विकल्प के रूप में ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का विकास किया। 1990 से यह दुनिया बदल गई। साम्यवाद के प्रयोग का दौर लगभग खत्म हो गया है। ऐसा लग रहा था कि पूंजीवाद ही मानवता का एकमात्र मसीहा है और इसका कोई विकल्प नहीं है। इस संदर्भ में गांधीजी के ट्रस्टीशिप यानी न्यासी के विचार को समझना महत्त्वपूर्ण होगा।
- **बुनियादी तर्क:** पूंजीवाद और साम्यवाद विचारधाराओं के विपरीत ट्रस्टीशिप का सिद्धांत अहिंसा की बुनियाद पर खड़ा है। इस सिद्धांत की मूल परिकल्पना न्यासी की ईमानदारी और निष्ठा पर आधारित है।
- **अहिंसा पर आधारित है ट्रस्टीशिप:** अहिंसा की स्वाभाविक परिणति सत्याग्रह है। ट्रस्टीशिप के एक रूप का परीक्षण आचार्य विनोबा भावे ने आज़ादी के तुरंत बाद किया जो ज़मीन से संबंधित था। यह भूदान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी दौरान भारत सरकार ने देश में कई भूमि सुधार कानून लागू किये। इनमें ज़मींदारी उन्मूलन अधिनियम, भूमि किरायेदारी कानून और भूमि की अधिकतम सीमा कानून शामिल थे।
- **ट्रस्टीशिप में संपत्ति सृजन की इजाज़त:** ट्रस्टीशिप की व्यवस्था में संपत्ति का सृजन और स्वामित्व न्यायोचित है।
- **ट्रस्टीशिप और प्रकृति:** अगर उद्योग समग्र रूप से अधिक उपयुक्त मूल्य निर्धारण का निर्णय करते हैं तो उस वस्तु की मांग होने पर ही उसका उत्पादन किया जाना चाहिये। गांधीजी मशीनों और टेक्नोलॉजी के अंधाधुंध और बेमतलब उपयोग के विरोधी थे।
- **उपभोग में ट्रस्टीशिप:** उपभोग के दो अलग-अलग स्तर होते हैं: व्यक्तिगत और समाज संबंधी। व्यक्तिगत स्तर पर ट्रस्टीशिप व्यक्ति की उपभोग संबंधी आवश्यकताओं और ज़रूरतों को कहते हैं। अपरिग्रह या असंग्रह के सिद्धांत के अंतर्गत ऐसी चीज़ें हासिल करने और उनका उपयोग करने की मनाही है जो किसी व्यक्ति के लिये किसी काम की नहीं हैं।

वैकल्पिक दृष्टि की खोज

- गांधीवादी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वराज और सर्वोदय के लक्ष्यों को हासिल करना था, जिसका आम बोलचाल में मतलब है मानवता का चहुँमुखी और समग्र विकास करना।
- गांधीजी ने 1946 में जवाहरलाल नेहरू को एक संदेश में इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने अपनी पहली पुस्तक 'हिंद स्वराज' में जो कुछ लिखा है उस पर पूरा यकीन करते हैं और उसमें किसी भी तरह का सुधार करना आवश्यक नहीं समझते।
- रेचल कार्सन की 'द साइलेंट स्प्रिंग' (1962), मेरिलिन फर्ग्यून की 'दि एक्वेरियन कॉन्सपिरेसी' (1980), डेनिस मीडोज, डोनेला मीडोज और जोर्गन रेंडर्स की 'द लिमिट्स टू ग्रोथ' (1972), ई.एफ. शूमाकर की 'स्मॉल इज ब्यूटीफुल' (1973) एवं 'ए गाइड फॉर द परप्लेक्स्ड' (1977) और एल्विन टॉफ्लर की 'द थर्ड वेव' (1980) इनमें से कुछ हैं। इन चिंतकों ने भौतिक प्रकृति और मानव जीवन के विभिन्न अन्य पहलुओं पर मानवीय आक्रामकता के विनाशकारी असर का सजीव चित्रण करते हुए कहा है कि इससे अस्तित्व के लिये संकट उत्पन्न हो गया है।

स्वयं से हटकर दूसरों की चिंता

प्रत्यक्ष हिंसा के बारे में गांधीजी का उत्तर

- गांधीजी की अहिंसा का मूलभूत सिद्धांत अद्वैत पर आधारित है। गांधीजी 'स्व' और 'पर' में कोई भेद नहीं करते। अद्वैत का पालन करते हुए उनकी अहिंसा इस बात की पुष्टि करती है कि 'पर' या अन्य जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर कुछ है तो वह आत्म या उसका ही कोई अन्य रूप है। इसलिये अन्य लोगों के खिलाफ हिंसा वस्तुत: अपने ही खिलाफ हिंसा है।
- हिंसा व्यक्ति की मूल गरिमा और महत्त्व को स्वीकार नहीं करती। हिंसा की कोई सीमा नहीं होती और यह अंतत: अपना औचित्य खुद सिद्ध करने लगती है।
- जब हिंसा अभ्यस्त हो जाती है और संस्थागत रूप धारण कर लेती है तो यह समाज में संघर्ष के किसी भी प्रकार के मुद्दे के समाधान का सामान्य उपाय/तरीका बन जाती है।
- इस तरह गांधीजी अहिंसा को अपनी रोज़मर्रा की निजी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने का सुझाव देते हैं और व्यक्तिगत जीवन में इसे अपनाने के लिये भी आमंत्रित करते हैं। अपनी अहिंसा की परीक्षा के लिये वे तर्क देते हैं कि हर किसी को खतरों और मौत का सामना करना और इंद्रियों का दमन करना सीखना चाहिये तथा हर तरह की मुश्किलों को झेलने की क्षमता हासिल करनी चाहिये।

संपूर्ण कुरुक्षेत्र (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) का सार

कृषि क्षेत्र में सुधार

परिचय

- हाल ही में प्रधानमंत्री ने 'भारतीय कृषि में सुधार' के लिये मुख्यमंत्रियों की एक उच्चाधिकार समिति गठित की है। इस समिति में सात राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री सहित नीति आयोग के सदस्य शामिल होंगे।
- समिति कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के उपायों पर विचार-विमर्श करेगी। समिति ई-नैम, ग्राम और अन्य संबंधित केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के साथ बाज़ार सुधारों को जोड़ने के उपाय सुझाने के साथ-साथ कृषि निर्यात बढ़ाने, खाद्य प्रसंस्करण के विकास में तेज़ी लाने और आधुनिक विपणन सुविधा के लिये निवेश आकर्षित करने, मूल्य शृंखलाओं आदि के बारे में नीतिगत उपाय सुझाएगी।

किसानों की आय दुगनी करने के लिये कृषि क्षेत्र में सुधार

उत्पादन में बढ़ोतरी

- मोटे अनाज, दालें, तिलहन, पोषण-युक्त अनाजों, व्यावसायिक फसलों के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)।
- फल-फूल और सब्ज़ियों से जुड़ी फसलों की ऊँची वृद्धि दर के लिये एकीकृत बागबानी विकास मिशन।
- तिलहन और पाम ऑयल (ताड़ का तेल) का उत्पादन बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन।

जुताई की लागत में कटौती

- खाद के उचित और संतुलित इस्तेमाल के लिये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना।
- यूरिया के नियंत्रित इस्तेमाल के लिये नीम कोटेड यूरिया को बढ़ावा दिया।
- 'हर खेत को पानी' लक्ष्य के तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)।

छोटे और सीमांत किसानों को मदद

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान (पीएम-किसान) निधि योजना के तहत किसान परिवारों को ₹6,000 सालाना दिये जा रहे हैं। शुरू में इस योजना के दायरे में सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों को ही रखा गया था हालाँकि, अब केंद्र सरकार ने इस योजना के दायरे में सभी किसानों को शामिल करते हुए ज़मीन संबंधी शर्त (2 हेक्टेयर या इससे कम ज़मीन संबंधी प्रावधान) हटा दी है।
- सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PM-KMY) भी शुरू की है। इसके तहत योजना से जुड़ी शर्तों को पूरा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों की उम्र 60 साल होने पर उन्हें न्यूनतम ₹3,000 प्रति महीना पेंशन दिये जाने का प्रावधान है।

लाभकारी रिटर्न सुनिश्चित करना

- राष्ट्रीय कृषि बाज़ार योजना (ई-नैम) के ज़रिये 'एक देश, एक बाज़ार' की दिशा में बढ़ने का उद्देश्य है।
- किसान उत्पादक संगठन ई-नैम पोर्टल से जुड़े हैं और इन संगठनों ने अपने वेब पते से व्यापार के लिये अपनी उत्पाद संबंधी सूचना अपलोड करना शुरू किया है।
- कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन संवर्द्धन और सुगमता मॉडल कानून, 2017 का मकसद किसानों को बेहतर कीमत दिलाने के लिये वैकल्पिक प्रतिस्पर्द्धी विपणन माध्यमों को बढ़ावा देना और सक्षम विपणन आधारभूत संरचना तथा मूल्य शृंखला विकसित करने के लिये निजी निवेश प्रोत्साहित करना है।

जोखिम प्रबंधन और टिकाऊ प्रणाली

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना।
- कम अवधि वाले ₹3 लाख तक के कर्ज़ पर सरकार द्वारा 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी।
- देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये परंपरागत कृषि विकास योजना को लागू किया जा रहा है।
- देश के उत्तर-पूर्वी हिस्से में जैविक खेती की संभावना का लाभ उठाने के लिये उत्तर-पूर्व में जैविक खेती मिशन-एमओवीसीडी (MOVCD-NER)।

संबद्ध गतिविधियाँ

- खेती की ज़मीन पर फसलों के साथ पौधरोपण को प्रोत्साहित करने के लिये 2016-17 के दौरान 'हर मेड़ पर पेड़' कार्यक्रम शुरू किया गया।
- बाँस क्षेत्र में मूल्य शृंखला आधारित संपूर्ण विकास के मकसद से केंद्रीय बजट 2018-19 में राष्ट्रीय बाँस मिशन की शुरुआत की गई।
- एकीकृत बागबानी विकास मिशन के तहत मधुमक्खी पालन को बढ़ावा।
- डेयरी के विकास के लिये तीन प्रमुख योजनाएँ हैं, राष्ट्रीय डेयरी योजना-1 (NDP-1), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) और डेयरी उद्यमिता विकास योजना।
- मछली पालन में बड़ी संभावनाओं को देखते हुए बहुआयामी गतिविधियों के साथ नीली क्रांति को लेकर काम किया जा रहा है।
- गायों और भैंसों की देसी नस्ल को बढ़ावा देने के लिये दिसंबर 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई। 2014-15 में राष्ट्रीय पशुधन मिशन की शुरुआत की गई।

राजव्यवस्था एवं समाज

भारत के बुज़ुर्गों को आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा

संदर्भ

जनसंख्या के आयुवार आँकड़े यह दर्शाते हैं कि जब तक भारत में युवा-आयु निर्भरता 30 वर्ष से कम होगी, तब तक इसकी बुज़ुर्ग-आयु निर्भरता 15 से ऊपर पहुँचने की संभावना है। इसका मतलब है कि भारत की आयु संरचना से अर्जित लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि हम बुज़ुर्गों को कितना स्वस्थ और सक्रिय रख पाते हैं ताकि वे अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकें।

बुज़ुर्गों की बढ़ती आबादी और भारत

- हालाँकि इस बात पर कोई सहमति नहीं है कि किसे बुज़ुर्ग व्यक्ति माना जाना चाहिये, भारत की जनगणना के अनुसार 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति को बुज़ुर्ग माना जाता है (ओआरजीआई 2011)। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछली शताब्दी (1900-2000) में बढ़ते औद्योगिकीकरण, आर्थिक विकास और चिकित्सा क्षेत्र की उन्नति के साथ-साथ जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, प्रजनन क्षमता में गिरावट और जनसांख्यिकी में संरचनात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं।
- 2030 तक, बुज़ुर्गों की आबादी (1.4 बिलियन) 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की आबादी (1.3 बिलियन) से अधिक हो जाएगी, और यह 2050 तक किशोरों की आबादी (2.1 बिलियन) व युवाओं की आबादी (2.0 बिलियन) से भी अधिक हो जाएगी (यूएन 2015ए)। इस प्रकार, बुज़ुर्गों की बढ़ती आबादी को जनसांख्यिकीय परिवर्तन का एक अपरिहार्य परिणाम माना जाता है, यह परिवर्तन समय और वृद्धि दर के आधार पर विभिन्न देशों में भिन्न होता है (बोंगार्ट्स 2004)।
- हालाँकि, विकसित और विकासशील देशों में बुज़ुर्गों की आबादी बढ़ने की दर अलग-अलग है। फ्राँस और स्वीडन में बुज़ुर्ग आबादी का प्रतिशत 7% से 14% तक दोगुना बढ़ने में क्रमशः 110 वर्ष और 80 वर्ष लगे, जबकि चीन और भारत में बुज़ुर्ग आबादी दोगुनी होने में क्रमशः 25 वर्ष और 20 वर्ष लगने का अनुमान है।
- प्रजनन दर में गिरावट से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ है (जेम्स एंड गोलि 2016; आईआईपीएस तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 2017)।
- प्रजनन दर में गिरावट के कारण, भारत की जनसंख्या की आयु-संरचना में तेज़ गति से बदलाव देखा जा रहा है। इन दोनों कारकों के परिणामस्वरूप बुज़ुर्ग आबादी के अनुपात में तेज़ी से वृद्धि हुई है और सहायक अनुपातों में तेज़ी से बदलाव हुआ है (राजन एवं अन्य 2005; ब्लूम एवं अन्य 2010; जनसंख्या संदर्भ ब्यूरो 2012)।
- देश में बुज़ुर्ग लोगों की संख्या 1951 में 19.8 मिलियन से बढ़कर 2011 से 103.8 मिलियन हो गई (ओआरजीआई 2011) थी। यद्यपि अखिल भारतीय स्तर पर कुल आबादी में बुज़ुर्गों की आबादी का हिस्सा 8.6% है, लेकिन विभिन्न राज्यों में इसमें काफी भिन्नता है।

बुज़ुर्ग जनसंख्या के कल्याण के लिये भारत सरकार की नीतियाँ

- **वृद्धजनों के लिये एकीकृत कार्यक्रम (आईपीओपी), 1992:** आईपीओपी के तहत गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों और पंचायती राज संस्थाओं को वृद्धाश्रमों, देखभाल गृहों, बहु-सेवा केंद्रों, चलती-फिरती चिकित्सा इकाइयों, अल्ज़ाइमर एवं डिमेंशिया के रोगियों के लिये डे-केयर सेंटर और वृद्धजनों के लिये फिजियोथेरेपी क्लीनिकों के रखरखाव के लिये वित्तीय सहायता (जम्मू और कश्मीर, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों को 95% तक तथा देश के शेष राज्यों को 90% तक) प्रदान की जाती है।
- **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस), 1995:** ग्रामीण विकास मंत्रालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) का कार्यान्वयन कर रहा है। यह योजना 1995 में शुरू की गई थी (60-79 वर्ष के वृद्धजनों के लिये ₹200 प्रतिमाह तथा 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वृद्धजनों के लिये ₹500 प्रतिमाह)।
- **वृद्धजनों के लिये राष्ट्रीय नीति (एनपीओपी), 1999:** वृद्धजनों के लिये राष्ट्रीय नीति में यह परिकल्पना की गई है कि सरकार वृद्धजनों के लिये मौद्रिक और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आवास और अन्य ज़रूरतों, विकास में उचित भागीदारी, दुर्व्यवहार और शोषण से रक्षा और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिये सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये सहायता देगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भी वर्ष 1992 से केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'आईपीओपी' का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य वृद्धजनों को आवास, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करके तथा वृद्धावस्था में उन्हें उत्पादक और सक्रिय बनाए रखने को प्रोत्साहित करके उनके जीवन स्तर में सुधार करना है।

अन्य कार्यक्रम

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 11वीं योजना अवधि के दौरान वृद्धजनों की स्वास्थ्य देखभाल के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीएचसीई) शुरू किया था।
- वित्त मंत्रालय आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वृद्धजनों को कर लाभ प्रदान करता है।
- रेल मंत्रालय वृद्धजनों को किराये में छूट प्रदान करता है और उनके लिये नीचे की बर्थ आवंटित करने के लिये प्रावधान करता है।
- नागर विमानन मंत्रालय भी वृद्धजनों की यात्रा को आसान बनाने के लिये कुछ प्रोत्साहन और सुविधाएँ प्रदान करता है।

अर्थव्यवस्था

युवा भारत के लिये रोज़गार सृजन

संदर्भ

- सरकार द्वारा 2017-18 में कराए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण से पता चलता है कि देश में बेरोज़गारी 6.1% की सर्वकालिक उच्च दर पर पहुँच गई।
- आधिकारिक रोज़गार सर्वेक्षणों और जनगणना के आधार पर हमारे अनुमान यह दर्शाते हैं कि 2018 में भारत में 471.5 मिलियन लोगों को रोज़गार मिला हुआ था और 30.9 मिलियन लोग बेरोज़गार थे।
- भारत में बेरोज़गारी की समस्या के केंद्र में 15 से 29 वर्ष के युवा बेरोज़गार पुरुष थे, जिनकी संख्या 21.1 मिलियन या देश के कुल बेरोज़गारों की 68.3% थी।

नौकरी चाहने वालों की बढ़ती संख्या

- भारत में कामकाजी उम्र की आबादी तेज़ी से बढ़ने के कारण श्रम आपूर्ति में बढ़ोतरी हो रही है। 2000 के दशक में 15-59 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों की आबादी में प्रति वर्ष 14 मिलियन की दर से बढ़ोतरी हुई।
- शिक्षा में युवा वयस्कों के बढ़ते नामांकन और नौकरी की बढ़ती आकांक्षाओं के साथ-साथ श्रम आपूर्ति की प्रकृति में भी बदलाव आ रहा है। भारत में 15-29 वर्ष के आयु वर्ग की सभी महिलाओं में से 2005 में 16.3% महिलाएँ स्कूलों या कॉलेजों में पढ़ाई कर रही थीं, जिनकी संख्या 2018 में बढ़कर 31% तक पहुँच गई।
- भारत में कृषि (और उससे संबद्ध गतिविधियों) करने वाले लोगों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है: 2005 में इनकी संख्या 258.8 मिलियन थी जो 2018 में 197.3 मिलियन रह गई (जो अभी भी देश में कुल कार्यबल का 41.9% है)। इस गिरावट के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-
  - लोगों द्वारा कम उत्पादकता वाली कृषि को छोड़ना, इस क्षेत्र में 1990 के दशक से सार्वजनिक निवेश में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।
  - कस्बों और शहरों में रोज़गार के नए अवसरों के प्रति लोगों का आकृष्ट होना भी है।
  - आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार रोज़गार प्राप्त लोगों में एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की हो सकती है जो वस्तुत: कृषि में 'प्रच्छन्न बेरोज़गारी' में शामिल हैं।
- भारत में गैर-कृषि क्षेत्रों के लिये संभावित श्रमिकों की आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये 15-59 वर्ष के आयु वर्ग के ऐसे लोग हैं जो न तो छात्र हैं और न ही कृषि में लगे हुए हैं।
- हमारे अनुमान यह दर्शाते हैं कि भारत में संभावित गैर-कृषि कार्यबल में 2005 से 2012 के बीच प्रति वर्ष 14.2 मिलियन की दर से बढ़ोतरी हुई, जो 2012 से 2018 के बीच और बढ़कर प्रति वर्ष 17.5 मिलियन हो गई।

दृष्टि इनपुट: रोज़गार सृजन के लिये सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- मुद्रा बैंक (Micro Units Development Refinance Agency-MUDRA Bank)
- स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया योजना
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)
- मेक इन इंडिया कार्यक्रम।

श्रम की मांग

- हालाँकि, 2012 के बाद भारत में कृषि आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर काफी कम हो गई। 2005 से 2012 के बीच ग्रामीण भारत के निर्माण क्षेत्र में 18.9 मिलियन नए लोगों को रोज़गार मिला, जो 2012 से 2018 के बीच गिरकर 1.6 मिलियन तक रह गया।
- भारत में 2012 से 2018 के बीच अनौपचारिक क्षेत्र की सूक्ष्म और लघु फर्मों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिसके कारण विनिर्माण क्षेत्र के कार्यबल में एक मिलियन तक की गिरावट दर्ज की गई। दूसरी ओर इसी अवधि के दौरान सेवा क्षेत्र के कुछ घटकों, विशेष रूप से शिक्षा और पेशा, व्यवसाय और उससे संबद्ध सेवाओं में 2012 के बाद रोज़गार में रिकॉर्ड तेज़ी देखने को मिली।
- 2012 से 2018 के बीच, गैर-कृषि क्षेत्रों में नौकरी चाहने वालों की आपूर्ति में लगातार बढ़ोतरी हुई (प्रति वर्ष 17.5 मिलियन तक), लेकिन इन क्षेत्रों में वास्तव में नौकरी पाने वालों की संख्या में लगातार गिरावट आई (प्रति वर्ष 4.5 मिलियन तक)।
- भारत में 2012 से 2018 के बीच गैर-कृषि क्षेत्र में रोज़गार के सभी नए अवसरों में से 90.4% पर 30-59 वर्ष के आयु वर्ग के पुरुषों का कब्ज़ा हो गया, इस प्रकार महिलाओं और युवा पुरुषों के लिये रोज़गार के नए अवसर बहुत कम बचे।
- अर्थव्यवस्था में रोज़गार के नए अवसर कम होने के कारण महिलाओं ने स्वयं को श्रम बाज़ार से पूरी तरह से अलग कर लिया। भारत में 15-59 वर्ष के आयु वर्ग की सभी महिलाओं में से 2005 में 42.8% महिलाओं को रोज़गार मिला हुआ था, जिनकी संख्या 2018 में मात्र 23% रह गई।
- इसके विपरीत, उन महिलाओं के अनुपात में तेज़ वृद्धि हुई जिन्होंने यह बताया कि वे अपने घरों में ही घरेलू काम करती हैं। इसी अवधि के दौरान, अर्थव्यवस्था में नौकरियों की धीमी बढ़ोतरी के बावजूद युवा पुरुष श्रम बाज़ार में नौकरियों की तलाश करते रहे।
- 15-29 वर्षीय पुरुषों में, बेरोज़गारों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जो 2012 में 6.7 मिलियन से बढ़कर 2018 में 21.1 मिलियन हो गई। यह वास्तव में भारत में कुल बेरोज़गारी में अचानक वृद्धि का मुख्य कारण था।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

प्रौद्योगिकी विज़न 2035

संदर्भ

- भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत स्वायत्त निकाय प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं आकलन परिषद (TIFAC) ने 2016 की शुरुआत में 'प्रौद्योगिकी विज़न 2035' जारी किया था जिसे 'टीवी 2035' और 'टीआईएफएसी 2015' के नाम से भी जाना जाता है।
- यह दस्तावेज़ 2035 में हम जनता के रूप में और एक देश के रूप में क्या हो सकते हैं (और हमें क्या होना चाहिये), का एक विवरण है। 'प्रौद्योगिकी विज़न 2035' देश की प्रगति करने के साथ-साथ 2035 में भारत के लोगों की सामूहिक आकांक्षाओं, हमारे युवाओं की महत्त्वाकांक्षाओं और देशवासियों की संभावित उम्मीदों के बारे में दावा करता है।

विज़न 2035

- इसमें 2035 के भारतीयों को क्रमशः छह गैर-अनन्य खंडों में विभाजित किया गया है, जो क्रमश हैं:-
  - अपने स्थान पर जमे हुए (Rooted) और दूरस्थ (Remote)
  - भूमंडलीकृत और प्रवासी
  - पीछे छोड़ दिये गए या पीछे छूट गए
  - वैकल्पिक जीवनशैलियाँ और वैश्विक दृष्टिकोण
  - सृजनात्मक, नवाचारी एवं कल्पनाशील
  - व्यावसायिक स्थल (Beehives) और उत्पादन स्थल (Production Lines)
- प्रौद्योगिकी विज़न 2035 के साथ 'टेक्नोस्केप (Technoscape)' नामक एक छोटी पुस्तिका भी है जिसमें 12 क्षेत्रों के लिये रोड मैप दिया गया है, जिन पर इसमें विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है।
- टेक्नोस्केप के अनुसार भारत में खाद्य और कृषि का भविष्य विशेष रूप से तकनीकी होगा और उसमें भी कतिपय प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाएगा, जैसे- उन्नत जीनोमिक्स और फेनोमिक्स, रोबोटिक फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स/एक्वापोनिक्स, नैनो-टेक्नोलॉजी अनुप्रयोग, बायोफोर्टिफिकेशन, हाइब्रिड शक्ति के स्थिरीकरण के लिये एपोमिक्सिस और भोजन का आणविक निर्माण आदि।
- उदाहरण के लिये, कृषि के संबंध में इस विज़न में मौजूदा ज्ञान प्रणालियों, परिचर कृषि पद्धतियों (Attendant Farming Practices) और पारंपरिक कृषि प्रौद्योगिकियों का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि भारत में मौजूदा मुख्यधारा के वैज्ञानिक विमर्श में भी इनकी स्थिरता, लचीलेपन और उत्पादकता के गुणों के लिये चर्चा की जाती है। प्रौद्योगिकी विज़न 2035 में खाद्य और कृषि के लिये एक विज़न है जिसमें कृषि और कृषक केवल नाम के लिये मौजूद हैं।

दृष्टि इनपुट: प्रौद्योगिकी विज़न 2035

शिक्षा

- **3D प्रिंटिंग:** पदार्थ की बर्बादी कम करके जटिल वस्तु का निर्माण करना।
- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस:** एक बुद्धिमान मानव के व्यवहार की नकल करने वाली मशीनी क्षमता का विकास करना।
- **वास्तविक समय में अनुवाद**
- **संकेत की पहचान**
- **मशीन विज़न**

ऊर्जा

- **नवीकरणीय:** पायरोलिसिस, गैसीफिकेशन, यीस्ट/एंज़ाइम आधारित उच्च गुणवत्तायुक्त ईंधन का निर्माण करना।
- **नाभिकीय ऊर्जा:** थोरियम आधारित पॉवर रिएक्टर
- **ग्रामीण ऊर्जा प्रौद्योगिकी:** ऊर्जा के वितरण के लिये माइक्रो विंड (Wind) टरबाइन और माइक्रो ग्रिड्स (Micro Grids)
- **ऊर्जा संरक्षण:** उच्च क्षमता वाली निकल बैटरी और फ्यूल सेल
- **कोयला:** उन्नत किस्म की क्लीनर प्रौद्योगिकियाँ।

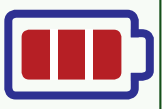

स्वास्थ्य

- पर्सनलाइज्ड मेडिसिन
- वहनीय उपकरण
- रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम
- रिजनेरेटिव मेडिसिन
- डिजिटल हेल्थ डेलिवरी

विनिर्माण

- वाटर लेस प्रोसेसेज़
- शून्य उत्सर्जन युक्त प्रक्रियाएँ
- शोर और गंध मुक्त उत्पादन
- बायो कंक्रीट: एक सेल्फ हीलिंग कंक्रीट है
- विनिर्माण शुद्धता

परिवहन

- उड़ने वाली कारें
- फ्यूल सेल ड्राइव ट्रेन
- फॉग विज़न सिस्टम
- लचीले और मोड़ने योग्य वाहन
- स्वचालित पॉवर ट्रेन और वाहन ट्रेन

खाद्य और कृषि

- कृषि और रोबोटिक कृषि
- बायोफोर्टिफिकेशन
- हाइड्रोपोनिक्स
- वर्टिकल फार्मिंग

- इसी प्रकार परिवहन के लिये भविष्य की प्रौद्योगिकियों में अन्य के साथ-साथ ईंधन सेल प्रौद्योगिकियाँ (Fuel Cell Technologies), उड़ने वाली कारें (Flying Cars), मैग्नेटिक लेविटेशन (Magnetic Levitation), लचीले और मोड़े जा सकने वाले वाहन (Flexible and Foldable Vehicles) और हाइपर लूप, परिवहन के लिये उच्च गति वाले प्रेशर ट्यूब शामिल हैं (टीआईएफएसी 2015: 63)।

पर्यावरण

भारत में अपशिष्ट जल प्रबंधन

संदर्भ

नीति आयोग की 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 2011 में 1,544 m^3 से 2025 में 1,465 m^3 रह जाएगी (जो 2001 में 1816 m^3)।

जल की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर का समाधान

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 2030 तक भारत को 1.5 ट्रिलियन m^3 जल की आवश्यकता होगी।
- भारत के बढ़ते जल संकट के लिये एक चर्चित विकल्प यह है कि शोधित अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण एवं पुनरुपयोग किया जाए।
- केंद्रित शहरी विकास योजनाएँ, जैसे- जल शक्ति अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, अटल पुनरुत्थान एवं शहरी कायाकल्प मिशन (AMRUT), स्मार्ट सिटी एवं नमामि गंगे, सभी अपशिष्ट जल शोधन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण योजनाएँ हैं।
- ये योजनाएँ अपशिष्ट जल (जिसमें ग्रे एवं ब्लैक वाटर सम्मिलित है) के विभिन्न प्रयोजनार्थ पुनरुपयोग पर भी बल देती हैं, विशेष तौर पर गैर-पेय उपयोग, जैसे- बागबानी या मछलीपालन।

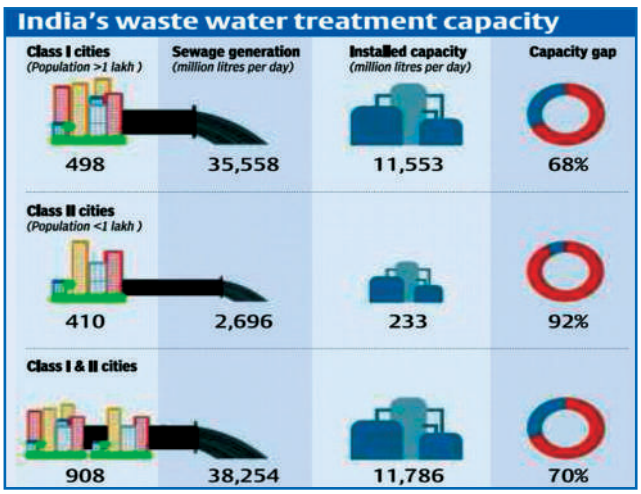

अपशिष्ट जल का संग्रह

- किसी भी घर में आने वाले जल का 80 प्रतिशत अपशिष्ट जल के रूप में बाहर निकल जाता है। फिलहाल, भारत में केवल 30 प्रतिशत अपशिष्ट जल का ही प्रबंधन किया जाता है।
- दिल्ली में अपशिष्ट जल की तस्वीर कागज़ी तौर पर ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ती है। 3,420 मिलियन्स लीटर प्रतिदिन (MLD) की खपत से 2,600 MLD से अधिक अपशिष्ट जल जनित होता है। इसमें से 1600 MLD शोधित किया जाता है और 338 MLD को पुनः प्रयुक्त किया जाता है।
- ग्रेटर मुंबई के नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार 3,750 MLD की आपूर्ति में से 2,300-2,400 MLD बिना शोधन के ही समुद्र में चला जाता है।

अपशिष्ट जल के शोधन को महत्त्व दिये जाने की आवश्यकता

- अभी मौजूद केंद्रीकृत दृष्टिकोण को ही एकमात्र उपाय नहीं मान लेना चाहिये, क्योंकि इस दृष्टिकोण में मलजल नेटवर्क की पहुँच सीमित है, पर्याप्त संख्या में चालू मल जल शोधन संयंत्र (STP) नहीं हैं और बजट संबंधी अड़चनें हैं।
- इसके स्थान पर विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल दृष्टिकोण को संवहनीय तथा लागत-कुशल विकल्प समझा जा सकता है क्योंकि इसमें उत्पत्ति के स्रोत के निकट ही बहिस्राव को शोधित, निस्सारित या पुनर्प्रयुक्त किया जाता है।
- विकासशील देशों में तेज़ी से शहरीकृत होते नगरों में विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल तंत्र जल प्रदूषण और अभाव की समस्या से निपटने के लिये एक आकर्षक समाधान है।

दृष्टि इनपुट : विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR)

- उत्पादों की उपयोग अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात् उसके प्रबंधन में लगने वाली लागत का उत्तरदायित्व भी उत्पादकों पर ही भारित करके, विनिर्माताओं को पर्यावरण अनुकूल उत्पादन करने को बढ़ावा देना ही विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) कहलाता है।
- भारत में इस सिद्धांत का उपयोग, इस्तेमाल की गई लेड एसिड बैटरी (ULAB), ई-अपशिष्ट और प्लास्टिक से संबंधित अपशिष्टों के प्रबंधन में किया जाता है।
- भारत में इसकी शुरुआत "ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2011" के तहत की गई थी।
- EPR को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन 2016 के साथ-साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में भी शामिल किया गया है।

विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल प्रबंधन

- विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल तंत्र उन क्षेत्रों के लिये एक व्यावहारिक विकल्प हो सकता है जो सीवर नेटवर्क से जुड़े नहीं हैं या नए विकसित हुए हैं और उनमें अभी अवसंरचना पर्याप्त रूप से निर्मित या तैयार नहीं हुई है पर भविष्य में होगी। अपने क्षेत्र के आधार पर विकेंद्रीकरण के विभिन्न पैमाने होते हैं:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा शासन व्यवस्था

परमाणु हथियार पहले उपयोग न करने की नीति (नो फर्स्ट यूज़)

संदर्भ

- भारत के परमाणु सिद्धांत में उल्लिखित 'नो फर्स्ट यूज़' की नीति को दोहराने के साथ-साथ इस बात पर बल दिया गया है कि परमाणु सिद्धांत युद्ध लड़ने के रुख की तुलना में एक घोषणात्मक राजनीतिक बयान (परमाणु ब्लैकमेल को रोकने के लिये) अधिक है।
- पाकिस्तान शुरू से ही भारत के 'एनएफयू' रुख को लेकर संशय में रहा है और उसने अपने परमाणु सिद्धांत को सार्वजनिक न करने का निर्णय लेने के साथ-साथ अपने परमाणु रुख को अस्पष्ट एवं हमले के विकल्पों को खुला रखा है।

एक सामरिक बोझ के रूप में एनएफयू

- भारत के एनएफयू रुख के बारे में सबसे बड़ा संदेह इसकी विश्वसनीयता और सुदृढ़ता को लेकर है क्योंकि यह दो परमाणु प्रतिद्वंद्वियों के मध्य केवल एक (चीन) के साथ समानता रखता है और दूसरे (पाकिस्तान) द्वारा इसका फायदा उठाए जाने का अवसर देता है।
- पाकिस्तान भारत के खिलाफ लंबे समय से कम तीव्रता वाला युद्ध (Low-Intensity Conflict) चला रहा है, जो 1998 के परमाणु परीक्षणों के समय से चल रहा है और लंबे समय से यह धमकी देकर भारत को उसका जवाब देने से रोकता रहा है कि यदि भारत ने उसकी किसी भी कथित सीमा (Perceived Thresholds) को पार किया तो वह उसका जवाब परमाणु हथियारों से देगा।
- वस्तुत: इस असमानता की शुरुआत उसके द्वारा गुप्त रूप से परमाणु हथियार हासिल करने के दौर से हुई जब जनरल जिया-उल-हक ने ऑपरेशन ब्रास्टैक्स (1987) के दौरान भारत को चेतावनी दी थी कि 'यदि आप एक इंच भी सीमा पार करते हैं, तो हम आपके शहरों का सफाया कर देंगे।'
- 2001 के बाद से भारत द्वारा एनएफयू की शर्त से छुटकारा पाने के प्रयास किये गए जिसके कारण उसने कथित सीमाओं का उल्लंघन किये बिना और परमाणु सिद्धांतों में संशोधन किये बिना कम तीव्रता के युद्ध का सैन्य जवाब देने के लिये नए उपायों को तलाशना शुरू किया, परिणामस्वरूप कोल्ड स्टार्ट (Cold Start) जैसी अवधारणाओं के साथ-साथ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) जैसे तकनीकी विकल्पों के उपयोग पर विचार किया गया।
- दूसरी ओर पाकिस्तान ने कोल्ड स्टार्ट रणनीति का मुकाबला करने के लिये तुरंत एक सामरिक परमाणु क्षमता (नस्र मिसाइल) विकसित की और घोषणा की कि वह सीमा पार करके पाकिस्तान के क्षेत्र में आने वाले भारतीय बलों को निशाना बना सकता है।

परमाणु सिद्धांत की समीक्षा और संशोधन की आवश्यकता क्यों?

- **युद्धक्षेत्र-विशिष्ट रुख:** एक रुख संबंधी विकल्प के रूप में एनएफयू पर पाकिस्तान के साथ अस्थिर निरोधात्मक समीकरणों के कारण दबाव रहता है, जबकि दूसरे प्रतिद्वंद्वी चीन का रुख भारत के समान ही है। दो विशिष्ट रूप से अलग-अलग परमाणु प्रतिद्वंद्वियों के प्रति एक समान रुख अपनाने की बजाय युद्धक्षेत्र-विशिष्ट रुख प्रतिद्वंद्वियों को भारत की सैद्धांतिक संरचनाओं में निहित परिचालन संबंधी लोचनीयता के साथ-साथ ज़रूरत पड़ने पर उसमें और संशोधन करने की गुंजाइश की ओर संकेत करेगा।
- **नए सामरिक परिदृश्यों पर विचार करना:** कुल मिलाकर 1999 के प्रारूप परमाणु सिद्धांत को कई परिदृश्यों में कमी के रूप में देखा जाता है जिनमें टेक्टिकल परमाणु हथियारों और मिसाइल रक्षा प्रणाली जैसे नए प्लेटफॉर्म शामिल हैं, इसके अलावा यह काउंटर-फोर्स या काउंटर-वैल्यू टारगेटिंग के विकल्पों से संबंधित सिद्धांतों के लिये प्रासंगिक नहीं है। सिद्धांत में टेक्टिकल परिदृश्यों पर एक स्पष्ट दिशानिर्देश को शामिल किये जाने की आवश्यकता है, विशेषकर तब, जबकि इसमें विदेशी धरती पर भारतीय सैनिकों पर हमले के साथ-साथ इस आव्यूह में भारतीय टेक्टिकल सिस्टम का प्रयोग किये जाने की संभावना है।
- नई मिसाइल रक्षा क्षमता का भी सैद्धांतिक ढाँचे में तेज़ी से एकीकरण करने की आवश्यकता है क्योंकि राष्ट्रव्यापी रक्षा प्रणाली का मूल उद्देश्य परमाणु हथियारों से लैस विभिन्न रेंज की मिसाइलों से रक्षा करना है।

निष्कर्ष

परमाणु सिद्धांतों के बारे में विडंबना यह है कि एनएफयू नीति को शांतिपूर्ण इरादों का एक उदाहरण माना जाना चाहिये, लेकिन उसकी प्राय: अधिक आक्रामक नीतियों की तुलना में अधिक बार समीक्षा की गई है। परमाणु सिद्धांत और नीतियाँ गतिशील प्रक्रियाएँ हैं जो सुरक्षा वातावरण के साथ-साथ विकसित होती हैं और इसलिये, न तो उन्हें अलंघनीय नीतियाँ माना जा सकता है और न ही 'ज़िम्मेदारी' जैसे गुणों के साथ उनकी तुलना की जा सकती है, विशेषकर जब परमाणु हथियारों से लैस नौ देशों में से केवल दो देशों ने ही एनएफयू जैसी रक्षात्मक नीति अपनाई है। ***स्रोत-IDSA***

अलग-थलग पड़े ईरान में चीन को अवसर

संदर्भ

- अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के JCPOA परमाणु समझौते से पीछे हटने के बाद ईरान अलग-थलग पड़ गया था। जैसे-जैसे उसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ती गई, ईरान ने यूरोप की तरफ देखना शुरू किया।
- उसे उम्मीद थी कि पेरिस के नेतृत्व में यूरोप जल्द कोई बीच का रास्ता निकाल लेगा। आज जब ईरान खुद को अलग-थलग महसूस कर रहा

एथिक्स

भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सृजनशीलता

- सृजनशीलता भावनाओं से भरी होती है। हमारे आस-पास की घटनाएँ, बातचीत, यहाँ तक कि हमारे अपने विचार भावनाएँ उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन भावनाएँ सिर्फ हमारे लिये खुद-ब-खुद उत्पन्न होने वाली चीज़ नहीं हैं। हम अपनी भावनाओं की दया पर नहीं हैं, हम बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से उनका प्रबंधन भी कर सकते हैं।
- इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हम कठपुतलियों की तरह अपनी भावनाओं के वश में हो जाते हैं। दर्दनाक घटनाएँ इसी श्रेणी में आती हैं।
- भावनात्मक बुद्धि भावनाओं के साथ और उसके बारे में तर्क करने, तथा समझ के साथ अपनी और अपने आस-पास के अन्य लोगों की भावनाओं को प्रभावित करने की योग्यता है। भावनात्मक बुद्धि में चार विशिष्ट योग्यताएँ शामिल हैं: स्वयं की और दूसरों की भावनाओं को सही ढंग से समझना, चिंतन और समस्या समाधान में भावनाओं का उपयोग करना, विभिन्न भावनाओं के संभावित कारणों और परिणामों को समझना, और अपनी भावनाओं के क्रम को प्रभावित करना एवं अपने आस-पास के अन्य लोगों की भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करना।

दृष्टि इनपुट : भावनात्मक बुद्धिमत्ता

सेलोवी और मेयर के अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता वह योग्यता है जिससे भावनाओं को प्रत्यक्ष किया जा सकता है, उन्हें चिन्तन प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है, भावनाओं को समझा जा सकता है तथा उसे नियमित किया जा सकता है ताकि व्यक्ति की वैयक्तिक प्रगति प्रोत्साहित हो सके। इसके अंतर्गत चार योग्यताएँ आती हैं:

- भावनाओं को प्रत्यक्ष करने की क्षमता।
- भावनाओं का प्रयोग चिंतन को प्रेरित करने के लिये करना।
- भावनाओं को समझना।
- भावनाओं का प्रबंधन करना।

प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन भावनात्मक बुद्धिमत्ता को योग्यता (ability) या गुण (Trait) के रूप में परिभाषित नहीं करते हैं। वे मानते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक अर्जित की जाने वाली योग्यता या क्षमता है किंतु उसकी परिधि (रेंज) हमारी जैविक संरचनाओं से भी प्रभावित होती है।

गोलमैन ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता को 5 योग्यताओं या क्षमताओं का समूह माना है-

- स्व-जागरूकता (Self Awareness)
- आत्मनियमन (Self Regulation)
- आत्म अभिप्रेरण (Self Motivation)
- समानुभूति (Empathy)
- सामाजिक दक्षताएँ (Social Skills)

- भावनाएँ सृजनशीलता को प्रेरित कर सकती हैं। सृजनात्मक प्रक्रिया में भावनाओं की भूमिका कला के मामले में सबसे सहज रूप से स्पष्ट हो सकती है। इसलिये, सृजनशीलता में भावनात्मक बुद्धि की भूमिका देखने के लिये कला सबसे पहला क्षेत्र हो सकता है।
- भावनाओं को नोटिस करना अक्सर कलात्मक प्रेरणा का स्रोत होता है। एक कहानीकार के लिये कहानी का पात्र बहुत हद तक अपने जीवन की भावनाओं और अनुभवों से प्रभावित होता है।
- एक अमूर्त पेंटिंग पर काम करने वाले चित्रकार के लिये क्रोध पेंटिंग में मज़बूत, चित्ताकर्षक लाइनें बनाने में मदद करता है। उदासी पेंटिंग के रंगों से मूड बनाने में मदद करती है। प्रसन्नता पेंटिंग को एक साथ रखने और रचना में प्रवाह बनाए रखने में मदद करती है ताकि वह पूरी तरह से निराशाजनक न हो।
- कलाकार भी अपने अंदर निश्चित भावनाएँ जगाते हैं जो उनके काम में मदद करती हैं।
- सृजनात्मक कार्य अपने आप में अपनी भावनाओं को प्रभावित करने और बदलने का एक माध्यम हो सकता है।
- फिर भी किसी कार्य को बेहतरीन ढंग से करने के लिये भावनाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है।
- भावनात्मक बुद्धि से केवल कलाकारों को ही अपने काम में फायदा नहीं होता है। कार्यस्थल पर सृजनशीलता और नवाचार का अध्ययन करने वाले जिंग झोउ और जेनिफर जॉर्ज के अनुसार संगठनात्मक नेताओं की भावनात्मक बुद्धि सृजनात्मक प्रक्रिया के सभी चरणों के दौरान अपने कर्मचारियों को प्रभावित कर सकती है।
- भावनात्मक रूप से बुद्धिमान नेता यह नोटिस कर सकते हैं कि किस समय कर्मचारी असंतुष्ट हैं, और काम में सुधार लाने के लिये इस असंतोष का लाभ उठाकर उन्हें किस प्रकार सशक्त बनाया जा सकता है और उनका समर्थन प्राप्त किया जा सकता है। वे सूचना प्राप्त करते समय, विचार उत्पन्न करते समय और उनका मूल्यांकन करते समय कर्मचारियों की भावनाओं का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा, वे सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिये इन भावनाओं को नियंत्रित करने में कर्मचारियों की मदद भी कर सकते हैं।
- नेताओं को अपने कार्यकर्त्ताओं को अप्रिय भावनाओं से निपटने में मदद करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि निराशा के दौरान काम करना। इसके साथ-साथ उन्हें कार्यकर्त्ताओं की अपनी सुखद भावनाओं को

रिपोर्ट्स एवं सर्वे (विश्लेषण सहित)

एनसीआरबी रिपोर्ट, 2017

परिचय

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) भारत सरकार की एक एजेंसी है जो भारतीय दंड संहिता (IPC) और विशेष एवं स्थानीय कानून (Special and Local Law- SLL) द्वारा परिभाषित किये गए विविध प्रकार के आँकड़ों को एकत्र करने और उनके विश्लेषण का कार्य करती है।

- इसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय का हिस्सा है।
- इसके वर्तमान निदेशक रामपाल पवार (IPS) हैं।

प्रमुख बिंदु

- **कार्यकारी सारांश:** 2016 के मुकाबले 2017 के दौरान आईपीसी के तहत दर्ज मामलों में 2.9% और एसएलएल के तहत दर्ज मामलों में 4.8% की वृद्धि हुई है। 2017 के दौरान कुल संज्ञेय अपराधों में आईपीसी के तहत 61.2% प्रतिशत और एसएलएल के तहत 38.8% मामले दर्ज किये गए।
- **महिलाएँ और बच्चे:** एनसीआरबी ने महिलाओं और बच्चों के मामले में इस बार बलात्कार के साथ हत्या के आँकड़े दर्ज किये हैं। हालाँकि, एनसीआरबी ने गैंगरेप की श्रेणी को हटा दिया है, जिसे दिसंबर 2012 के गैंगरेप मामले के बाद एनसीआरबी डेटाबेस में शामिल किया गया था।

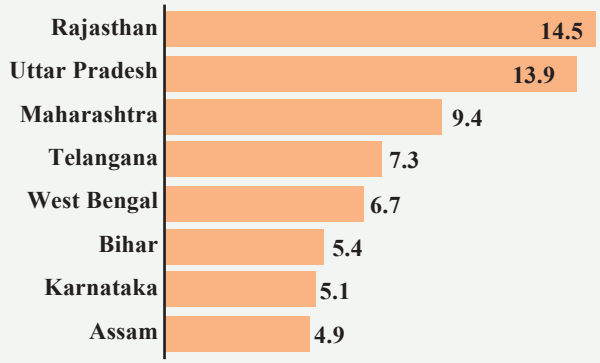

Share of States with high crime incidence in total cases reported in 2017 (in %)

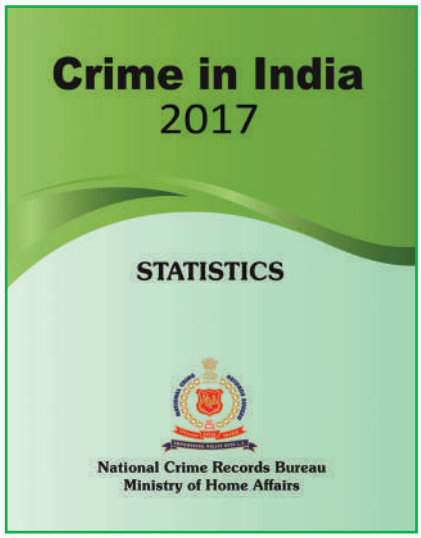

जारीकर्त्ता संस्था : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)
जारी करने का वर्ष : अक्तूबर 2019
जारी करने की बारंबारता : वार्षिक
शामिल प्रमुख विषय
- महिलाओं के खिलाफ अपराध
- बच्चों के खिलाफ अपराध
- कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर
- बुजुर्गों के खिलाफ अपराध
- अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों (SC&ST) के खिलाफ अपराध/अत्याचार
- आर्थिक अपराध
- साइबर अपराध
- मानव तस्करी

- **मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध:** 2017 के दौरान मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों के तहत कुल 9,89,071 मामले दर्ज किये गए जो आईपीसी के तहत दर्ज कुल अपराधों का 32.3% है जिसमें से अधिकतम मामले यानी 50.0% मामले (4,94,617 मामले) चोट पहुँचाए जाने से संबंधित थे, उसके बाद सबसे अधिक मामले लापरवाही से मौत के मामले (1,42,794 मामले) और महिलाओं का शील भंग करने के इरादे से उन पर हमला करने से संबंधित मामले (86,001 मामले) क्रमशः 14.4% और 8.7% हैं।

निबंध प्रतियोगिता

प्रिय पाठको,

इस प्रतियोगिता के अंतर्गत निबंध का एक विषय दिया जाता है। आप इस विषय पर अधिकतम 1500 शब्दों में निबंध टाइप कराकर निर्धारित तिथि तक हमें भेज सकते हैं। आपके प्रोत्साहन के लिये 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' की तरफ से पुरस्कार का प्रावधान भी किया गया है जिसके अंतर्गत **प्रथम तीन विजेताओं को क्रमशः एक साल, 9 महीने एवं 6 महीने तक 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' पत्रिका निःशुल्क भेजी जाएगी।**

प्रतियोगिता के संबंध में महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ इस प्रकार हैं-

निबंध प्रतियोगिता क्रमांक-53

विषयः सोशल मीडिया का विनियमन बनाम निजता का अधिकार।

प्रतियोगिता के नियमः

1. निबंध अधिकतम 1500 शब्दों में ही होना चाहिये।
2. निबंध मुद्रित (टाइप) कराकर ही भेजें। ध्यान रखें कि हस्तलिखित निबंध स्वीकार नहीं किये जाएंगे। पिछली प्रतियोगिताओं में देखने में आया है कि कुछ प्रतिभागियों के विचार तो अच्छे होते हैं परंतु उनमें शाब्दिक अशुद्धियाँ प्रचुर मात्रा में होती हैं। आपसे निवेदन है कि इसका ध्यान रखें। निबंधों के मूल्यांकन में इसका भी ध्यान रखा जाता है।
3. निबंध की प्रविष्टि दिये गए पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा ही भेजें। प्रविष्टि भेजने का पता है- कार्यकारी संपादक, दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009. लिफाफे के ऊपर 'निबंध प्रतियोगिता के लिये प्रविष्टि' ज़रूर लिखें।
4. निबंध की भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होनी चाहिये।
5. अपनी प्रविष्टि के साथ इसी पृष्ठ पर दिये गए फॉर्म में अपना व्यक्तिगत परिचय लिखकर अवश्य भेजें। ध्यान रखें कि इस फॉर्म के बिना भेजे गए किसी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
6. आपकी प्रविष्टि ***20 दिसंबर, 2019*** तक पहुँच जानी चाहिये। उसके बाद पहुँचने वाली प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रतियोगिता का परिणाम ***फरवरी*** अंक में प्रकाशित होगा।
7. आपके विचार मौलिक होने चाहिये। किसी भी रूप में पूर्व-प्रकाशित व पुरस्कृत निबंधों पर विचार नहीं किया जाएगा।
8. निबंध के परिणाम के संबंध में सर्वाधिकार 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' के पास सुरक्षित हैं। पुरस्कार विजेताओं के नाम पत्रिका के आगामी अंक में प्रकाशित किये जाएंगे और इसकी सूचना दिये गए टेलीफोन नंबर पर भी आपको दे दी जाएगी। प्रतियोगिता के परिणाम के संदर्भ में किसी भी किस्म का पत्राचार अथवा टेलीफोन न करें।

नोटः जो प्रतिभागी निबंध प्रतियोगिता हेतु प्रथम, द्वितीय और तृतीय में से कोई भी पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं उनकी प्रविष्टियों पर उस अंक से लेकर अगले एक वर्ष के अंक तक कोई विचार नहीं किया जाएगा।

निबंध प्रतियोगिता क्रमांक-51 के सभी विजेताओं को 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' की तरफ से ढेरों बधाइयाँ। प्रथम तीन विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं- प्रथम पुरस्कार- मोनिका भाम्भू कलाना (हनुमानगढ़, राजस्थान); द्वितीय पुरस्कार- डॉ. खुशनुमा परवीन सिद्दीकी (प्रयागराज, उत्तर प्रदेश); तृतीय पुरस्कार- अनूप मिश्रा (गांधी विहार, दिल्ली)।

निबंध प्रतियोगिता का फॉर्म

(कृपया इस फॉर्म को फाड़कर अपने निबंध के साथ संलग्न करें। मूल फॉर्म ही भेजें, फोटोकॉपी नहीं।)

प्रतिभागी का नाम ..... मोबाइल नंबर .....

पत्राचार हेतु पता .....

.....

ई-मेल पता .....

करेंट अफेयर्स से जुड़े

संभावित प्रश्न-उत्तर

(मुख्य परीक्षा के लिये)

खंड संयोजन- शशि भूषण (विवेक राही)

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

आधुनिक भारत

प्रश्न: भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवाद के उदय व विकास के कारणों पर विस्तृत टिप्पणी करें।

उत्तर: स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय किसी एक कारण का परिणाम न होकर, कारणों की शृंखला का परिणाम था। इनमें महत्त्वपूर्ण कारण थे-

- अंग्रेज़ों द्वारा देश का राजनीतिक, प्रशासनिक व आर्थिक एकीकरण करने हेतु एक दक्ष कार्यपालिका व संगठित न्यायपालिका का निर्माण किया गया तथा संहिताबद्ध दीवानी व फौजदारी कानून पूरे भारत में लागू किया गया। अंग्रेज़ों ने अपने सैन्य, आर्थिक और प्रशासनिक हितों की पूर्ति हेतु परिवहन एवं संचार के साधनों का विकास किया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों के निवासियों के आर्थिक हित आपस में जुड़ते गए। साथ ही साथ लोगों के मध्य राजनीतिक संपर्कों में वृद्धि हुई। इसका सम्मिलित परिणाम यह हुआ कि भारतीयों ने अंग्रेज़ों के शोषण के मूल चरित्र को पहचाना। इससे मुक्ति हेतु राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ।
- यूरोप में हुए पुनर्जागरण आंदोलन से भारतीयों को भी प्रेरणा मिली। भारतीय इतिहासकारों ने भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को गौरवपूर्ण ढंग से पुनर्व्याख्यायित किया। इससे राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ।
- अंग्रेज़ों की औपनिवेशिक शोषणकारी नीतियों के कारण किसानों, शिल्पकारों, दस्तकारों, व्यापारियों और मज़दूरों सहित लगभग सभी वर्गों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन वर्गों तक यह संदेश प्रसारित किया कि जब तक हम विदेशी शासन के अधीन रहेंगे तब तक हम ऐसे ही क्षति उठाते रहेंगे। इस संदेश के प्रसार ने राष्ट्रवाद के उदय में बड़ा योगदान दिया।
- अंग्रेज़ों द्वारा भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ की गई। इसके अलावा कई भारतीयों को ब्रिटेन जाकर शिक्षा हासिल करने का अवसर प्राप्त हुआ। इससे भारत में बौद्धिक मध्यम वर्ग का उदय हुआ जिसने राष्ट्रवाद के प्रसार में अपना योगदान दिया।
- राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद आदि कई समाज सुधारकों की समाज सुधार संबंधी मुहिम और भारतेंदु हरिश्चंद्र, रवींद्रनाथ टैगोर जैसे अन्य साहित्यकारों की रचनाओं तथा प्रेस व समाचार पत्रों की भूमिका भी राष्ट्रवाद के उदय व विकास में महत्त्वपूर्ण रही।
- कॉन्ग्रेस पार्टी और उसके महत्त्वपूर्ण नेताओं, यथा- दादाभाई नौरोजी, गोखले, तिलक, महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू इत्यादि द्वारा किये गए महत्त्वपूर्ण आंदोलनों व राजनीतिक प्रयासों ने देश के निवासियों में राष्ट्रप्रेम की भावना का संचार किया। साथ ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों ने भी राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार किया।

सामाजिक मुद्दे

प्रश्न: डिजिटल डिवाइड का आशय स्पष्ट करते हुए भारत में इसके प्रभावों का उल्लेख करें। साथ ही, डिजिटल डिवाइड को कम करने के उपायों की भी चर्चा करें।

उत्तर: डिजिटल डिवाइड का आशय नवीन सूचना संसाधनों तथा इंटरनेट व अन्य संचार उपकरणों तक पहुँच प्राप्त कर चुके लोगों व पहुँच से बाहर लोगों के मध्य अंतराल को प्रदर्शित करने से है। पहुँच प्राप्ति के आधार के अतिरिक्त डिजिटल डिवाइड उस अंतराल को भी प्रदर्शित करता है जिसके अंतर्गत संचार व सूचना तकनीकों एवं प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिये आवश्यक कुशलता, ज्ञान और क्षमता से संपन्न होने तथा इसका अभाव होने का मापन होता है।

ध्यातव्य है कि भारत में व्यापक स्तर पर ग्रामीण-शहरी और अंतर्राज्यीय डिजिटल डिवाइड व्याप्त है। भारत के विश्व में दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन के बाज़ार होने के बावजूद स्मार्टफोन तक केवल 30 प्रतिशत लोगों की पहुँच है।

प्रभाव

- आज का युग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का युग है। सरकार इसका उपयोग करके विभिन्न प्रकार की योजनाएँ चला रही है। डिजिटल डिवाइड के कारण ऐसी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है।
- पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक पहुँच कम है। इसका सीधा असर रोज़गार के क्षेत्र में कम महिला प्रतिनिधित्व के रूप में दिख रहा है।
- डिजिटल डिवाइड के कारण अर्थव्यवस्था की मांग के अनुरूप कुशल व दक्ष मानव संसाधन का विकास नहीं हो पा रहा है।

उपाय

- डिजिटल साक्षरता अभियान के लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयासों में वृद्धि की जाए। सर्व डिजिटल शिक्षा अभियान शुरू किया जाना चाहिये।
- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपकरणों को आर्थिक रूप से वहनीय बनाया जाना चाहिये जिससे अधिकतम लोगों तक इसकी पहुँच सुनिश्चित हो सके।
- डिजिटल अवसंरचना का समग्र विकास करना होगा। भारत नेट परियोजना इस दिशा में एक बेहतर कदम है।
- महिलाओं, दिव्यांगों व ग्रामीणों के अनुकूल तकनीकी विकास को बढ़ावा दिया जाए।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अंग्रेज़ी भाषा के प्रभुत्व को सीमित कर स्थानीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

माइंड मैप

सामान्य अध्ययन के टॉपिक्स पर सटीक व बिंदुवार सामग्री

भारत के महान्यायवादी

परिचय
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-76 में भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है।
- भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है।
- देश के 15वें और वर्तमान महान्यायवादी के.के. वेणुगोपाल हैं।

कार्यकाल
- कार्यकाल निश्चित नहीं है।
- पद से मुक्त करने की भी कोई व्यवस्था नहीं है।
- राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर बना रह सकता है।
- सरकार (मंत्रिपरिषद) के त्यागपत्र देने अथवा उसके बदल जाने से महान्यायवादी को त्यागपत्र देना होता है, क्योंकि महान्यायवादी की नियुक्ति सरकार की सिफारिश से की जाती है।

अधिकार
- भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार।
- संसद के दोनों सदनों में बोलने अथवा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार।
- भारत का महान्यायवादी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बगैर भाग ले सकता है।
- निजी (Private) विधिक कार्यवाही में भाग ले सकता है।

महान्यायवादी बनाम महाधिवक्ता
- महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है जबकि महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है।
- भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जबकि महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।(अनुच्छेद 165)
- महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है और उसके वेतन एवं भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होते हैं, जबकि महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है और उसके वेतन तथा भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है।

नियुक्ति
- महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- वही व्यक्ति भारत का महान्यायवादी नियुक्त हो सकता है जिसके पास भारत की नागरिकता हो और उसके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का पाँच वर्षों का अनुभव हो।
- इसके अलावा किसी उच्च न्यायालय में वकालत करने का 10 वर्षों का अनुभव हो अथवा राष्ट्रपति के मत के अनुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो।

पारिश्रमिक
- संविधान में तय नहीं।
- राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाता है।

कार्य एवं शक्तियाँ
- राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी विषयों पर सरकार को सलाह देना।
- संविधान अथवा विधि द्वारा प्रदान किये गए किसी भी अन्य कर्त्तव्यों का निर्वहन करना।
- राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधिक कर्त्तव्यों का पालन करना।

सीमाएँ
- भारत सरकार के विरुद्ध कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता।
- वे मामले जिनमें वह भारत सरकार की ओर से पेश होता है, उस मामले पर वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।
- भारत सरकार की अनुमति के बगैर किसी भी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता।
- भारत सरकार की अनुमति के बगैर वह किसी परिषद अथवा कंपनी का निदेशक नहीं बन सकता।

विश्व एवं भारत का भूगोल

टारगेट प्रिलिम्स 2020 : पहली कड़ी

प्रिय अभ्यर्थियो,

टारगेट प्रिलिम्स–2020 की प्रथम कड़ी में 'भारत एवं विश्व का भूगोल' पर संक्षिप्त पाठ्य–सामग्री दी जा रही है। यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में इस खंड से प्रत्येक वर्ष लगभग 20–25 प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है। हालाँकि, पिछले एक–दो वर्षों में यह क्रम भंग हुआ है लेकिन इस आधार पर इस खंड को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिये, क्योंकि प्रश्नों की संख्या को लेकर यू.पी.एस.सी. का कोई निश्चित ट्रेंड नहीं रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर यह खंड तैयार किया गया है। अनेक रेखाचित्रों, सारणियों, चित्रों और मानचित्रों आदि के माध्यम से विभिन्न अवधारणाओं एवं तथ्यों को सरल, सुव्यवस्थित और रुचिकर बनाने का प्रयास किया गया है। पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इस खंड को दो भागों में बाँटा गया है– विश्व का भूगोल एवं भारत का भूगोल। प्रत्येक खंड के अंतर्गत सभी महत्त्वपूर्ण टॉपिक्स को संक्षेप में समेटने का प्रयास किया गया है। हमें उम्मीद है कि यह पाठ्य–सामग्री आपके लिये उपयोगी साबित होगी।

भू-आकृति विज्ञान (Geomorphology)

अक्षांश और देशांतर

अक्षांश (Latitude)

- पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर खींची गई ***कोणीय दूरी*** अक्षांश है। दूसरे शब्दों में, अक्षांश वह कोण है जो विषुवत रेखा तथा किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बनता है।
- विषुवत रेखा ***0° का अक्षांश*** है। यह एक महत्त्वपूर्ण कल्पित रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, जिन्हें क्रमशः उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्द्ध कहा जाता है।
- विषुवत रेखा से दोनों ध्रुवों (उत्तरी एवं दक्षिणी) तक दोनों गोलार्द्धों में अनेक समानांतर वृत्तों का निर्माण होता है जिन्हें अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखाएँ कहते हैं। अक्षांश वृत्त विषुवत रेखा के ***समानांतर*** होने के साथ एक-दूसरे के संदर्भ में भी समानांतर होते हैं।
- विषुवत रेखा के उत्तर व दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर जाने पर अक्षांशों में वृद्धि होती है।
- विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अक्षांश वृत्त छोटे होते जाते हैं। 90° उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को तथा 90° दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को प्रदर्शित करता है।
- किसी स्थान के अक्षांश की माप को ***अंश, मिनट*** व ***सेकंड*** में प्रदर्शित किया जाता है।
- पृथ्वी पर खींचे गए अक्षांश वृत्तों में विषुवत वृत्त ***सबसे बड़ा*** है।
- विषुवत रेखा से 23½° उत्तर की कोणीय दूरी ***कर्क रेखा*** के रूप में है। यह उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित एक महत्त्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। ग्रीष्म अयनांत के समय अर्थात् ***21 जून*** को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत् चमकता है।
- विषुवत रेखा से 23½° दक्षिण की कोणीय दूरी ***मकर रेखा*** को प्रदर्शित करती है। यह दक्षिणी गोलार्द्ध में स्थित एक महत्त्वपूर्ण काल्पनिक रेखा है। शीत अयनांत अर्थात् ***21 दिसंबर*** को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत् रहता है।
- विषुवत रेखा से 66½° उत्तर की कोणीय दूरी ***आर्कटिक वृत्त*** के रूप में, जबकि 66½° दक्षिण की कोणीय दूरी ***अंटार्कटिक वृत्त*** के रूप में जानी जाती है।
- इन्हीं काल्पनिक रेखाओं के मध्य सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता के आधार पर पृथ्वी को विभिन्न ताप कटिबंधों में वर्गीकृत किया गया है-

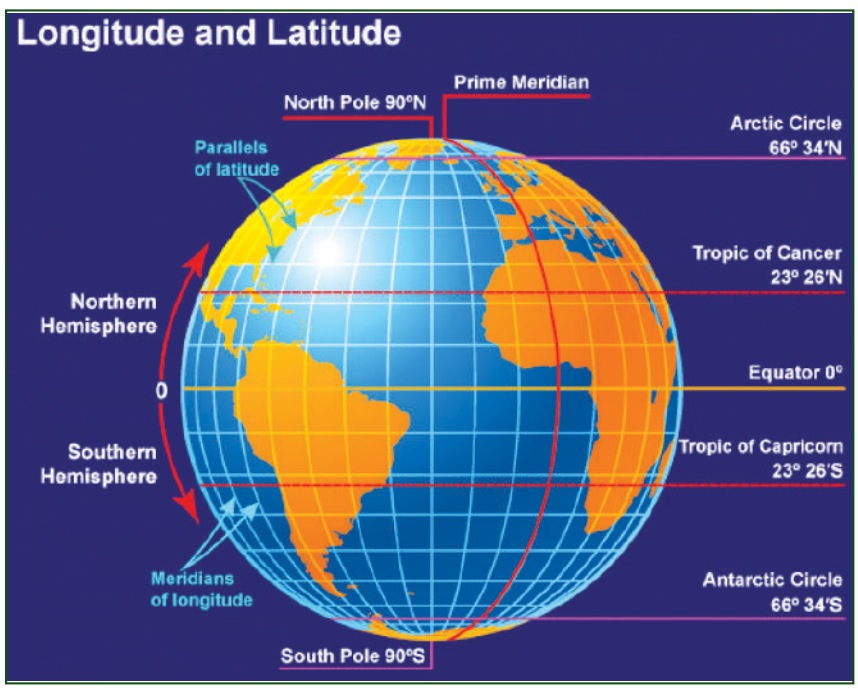

उष्णकटिबंध (Torrid Zone)

- ***23½° उत्तर से 23½° दक्षिण*** के मध्य स्थित क्षेत्र को उष्णकटिबंध के रूप में जाना जाता है। अर्थात् कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र उष्णकटिबंध है।
- यहाँ विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सामान्यतः लंबवत् होती हैं तथा शेष भागों में सूर्य वर्ष में कम-से-कम एक बार लंबवत् अवश्य रहता है, इसलिये यह क्षेत्र ***सबसे अधिक ताप*** प्राप्त करता है।

शीतोष्ण कटिबंध (Temperate Zone)

- उत्तरी गोलार्द्ध में कर्क रेखा (23½° उत्तर) तथा आर्कटिक वृत्त (66½° उत्तर) और दक्षिणी गोलार्द्ध में मकर रेखा (23½° दक्षिण) तथा अंटार्कटिक वृत्त (66½° दक्षिण) के मध्य का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध के रूप में जाना जाता है।
- इन क्षेत्रों में सूर्य ***कभी लंबवत् नहीं*** चमकता है तथा सूर्य की किरणों का कोण ध्रुवों की ओर क्रमशः कम होने से ***तापमान में कमी*** आती है।

शीत कटिबंध (Frigid Zone)

- उत्तरी गोलार्द्ध में आर्कटिक वृत्त (66½° उत्तर) से उत्तरी ध्रुव (90° उत्तर) व दक्षिणी गोलार्द्ध में अंटार्कटिक वृत्त (66½° दक्षिण) से दक्षिणी ध्रुव (90° दक्षिण) के मध्य का क्षेत्र शीत कटिबंध के रूप में है।
- इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणों के तिरछेपन से ***कम सूर्यातप की प्राप्ति*** होती है इसलिये इन क्षेत्रों में बहुत ***ठंड*** पड़ती है।

देशांतर (Longitude)

- उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम में खींची गई रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। ये रेखाएँ ***अर्द्धवृत्ताकार*** होती हैं। इन रेखाओं के बीच की दूरी ***विषुवत रेखा पर सर्वाधिक*** होती है तथा ध्रुवों की ओर क्रमशः कम होते हुए ***ध्रुवों पर शून्य हो जाती है*** क्योंकि ध्रुवों पर ये रेखाएँ एक बिंदु पर मिल जाती हैं।
- अक्षांश वृत्तों के विपरीत देशांतर रेखाओं की ***लंबाई बराबर*** होती है। देशांतर रेखाओं की गणना में कठिनाई के कारण सभी देशों में लंदन की ***ग्रीनविच*** वेधशाला से गुज़रने वाली

विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश

90° N/S

टुण्ड्रा जलवायु प्रदेश

R – 25 सेमी. से कम
T – 0°C से कम
S – टुण्ड्रा मिट्टी
टुण्ड्रा वनस्पति: काई, लाइकेन, मॉस

आर्कटिक या अंटार्कटिक प्रदेश (60°–80°)

60° N/S

ब्रिटिश तुल्य
R – 150 से 170 सेमी.
T – 10°C
S – धूसर-भूरी पॉडजॉल
- **समशीतोष्ण पर्णपाती वन:** चेस्टनट, मैपल

साइबेरियन तुल्य
R – 25–50 सेमी.
T – 0°–10° C
S – पॉडजॉल या स्पॉडॉसॉल
- **शंकुधारी या टैगा वन:** देवदार, चीड़, पाइन, स्प्रूस, लार्च

लॉरेंशियन तुल्य
R – 120 सेमी.
T – 0°–25°C
S–धूसर-भूरी पॉडजॉल (Gray -Brown)
- **समशीतोष्ण वन:** ओक, इल्म, विला, पॉपलर

शीत समशीतोष्ण प्रदेश (40°–60°)

45° N/S

भूमध्यसागरीय जलवायु
R – 35 से 90 सेमी.
T – 10°C–18°C
S – टेरा-रोजा
- **मिश्रित वनस्पति:** जैतून, अंगूर, नींबू, संतरा, पाइन, ओक।

स्टेपी तुल्य
R – 50 से 70 सेमी.
T – 14°C–16°C
S – चरनोजम या मॉलीसॉल
- **समशीतोष्ण घास मैदान (वृक्षरहित) :** प्रेयरी, पम्पास, डाउन्स, स्टेपी आदि घास के मैदान

चीन तुल्य, गल्फ तुल्य, नटाल तुल्य
R – 150 से 170 सेमी.
T – 20°C
S – लाल-पीली पॉडजॉल
- **उपोष्ण कटिबंधीय वन (मिश्रित वन):** कैम्फर, ओक, क्वेब्रेचो, यूकेलिप्टस

उपोष्ण कटिबंधीय अथवा गर्म समशीतोष्ण प्रदेश (20°–40°)

30° N/S

पश्चिमी तटीय प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश
R – 25 सेमी. से कम
T – 30°C
S – मरुस्थलीय मिट्टी
- **मरुस्थलीय वनस्पति:** कैक्टस, खजूर, नागफनी

सूडान अथवा सवाना तुल्य
R – 60 से 100 सेमी.
T – 23°C
S – लाल चेस्टनट (Red Chestnut)
- **सवाना वनस्पति (छोटे वृक्ष + लंबी घास):** एकेसिया, ब्यूटिया, प्रोसोपिस, जिजिफस

पूर्वी तटीय मानसूनी प्रदेश
R – 70 से 200 सेमी.
T – 18°C से अधिक
S – लेटेराइट
- **उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन (मानसूनी वन):** साल, टीक, नीम, बबूल, बाँस, चंदन वृक्ष, तेंदु, पलास, बेल, खैर, अक्सलवुड आदि।

उष्णकटिबंधीय प्रदेश (0°–20°)

10° N/S

विषुवतरेखीय जलवायु प्रदेश
R – 200 सेमी. से अधिक
T – 27°C
S – लेटेराइट
- **सदाबहार वन:** महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड, रबर, सिनकोना, ऐनी, एबनी

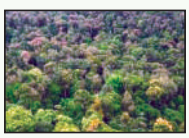

0°

- औसत वार्षिक तापमान (T) (लगभग) - सेल्सियस (°C) में, औसत वार्षिक वर्षा (R) – सेंटीमीटर में, मिट्टियाँ (S)

भारत का भूगोल

भारत : एक नज़र में

- **देश**- भारत
- **अन्य नाम**- आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान तथा इंडिया आदि।
- **राजधानी**- नई दिल्ली
- **भौगोलिक अवस्थिति**- उत्तर-पूर्वी गोलार्द्ध
- **अक्षांशीय विस्तार**- 8°4' उत्तरी अक्षांश से 37°6' उत्तरी अक्षांश (मुख्य भूमि)
- **देशांतरीय विस्तार**- 68°7' पूर्वी देशांतर से 97°25' पूर्वी देशांतर
- **सबसे उत्तरी बिंदु**- इंदिरा कॉल (जम्मू एवं कश्मीर)
- **दक्षिणतम बिंदु**- इंदिरा पॉइंट (ग्रेट निकोबार)
- **सबसे पूर्वी बिंदु**- किबिथु (अरुणाचल प्रदेश)
- **सबसे पश्चिमी बिंदु**- गौर मोता (गुजरात)
- **भौगोलिक विस्तार**- उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 2,933 किमी. तक।
- **स्थलीय सीमा**- 15,200 किमी.
- **तटीय सीमा**- 7516.6 किमी.
- **भारत की प्रादेशिक जल सीमा**- समुद्र तट से 12 समुद्री मील
- **अनन्य आर्थिक क्षेत्र**- संलग्न क्षेत्र से आगे लगभग 200 समुद्री मील तक।
- **कर्क रेखा**- गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिज़ोरम।
- **राज्यों की कुल संख्या**- 28
- **केंद्र-शासित प्रदेशों की कुल संख्या**- 9
- **मानक समय**- 82½° पूर्वी देशांतर, इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर से गुज़रती है।
- **जलवायु**- मानसूनी
- **भारत के पड़ोसी देश**- बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्याँमार, भूटान और अफगानिस्तान।
- **भारत के पड़ोसी देशों के बीच सीमा रेखाओं के नाम**- रेडक्लिफ: भारत एवं पाकिस्तान; मैकमोहन: भारत व चीन के मध्य; डूरंड: पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य।

- **क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान**- सातवाँ
- **भारत की कुल जनसंख्या**- 1.21 अरब
- **जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान**- दूसरा
- **लिंगानुपात**- 943 प्रति-हज़ार पुरुषों पर
- **दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर**- 17.7% (2001-2011)
- **कुल साक्षरता दर**- 74.04%
- **पुरुष साक्षरता दर**- 82.14%
- **महिला साक्षरता दर**- 65.46%
- **जनसंख्या घनत्व**- 382 व्यक्ति/वर्ग किमी.
- **भारत की राष्ट्रीय नदी 'गंगा' तंत्र में निर्मित विविध प्रयाग**- विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, प्रयाग
- **भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र**- 18 ***(नीलगिरि, नंदा देवी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी,*** मानस, ***सुंदरबन, सिमलिपाल,*** डिब्रू-सैखोवा, दिहांग-दिबांग, ***पचमढ़ी, कंचनजंघा, अगस्त्यमलाई, अचानकमार -अमरकंटक,*** कच्छ, शीत मरुस्थल, शेषचलम पहाड़ी तथा पन्ना।
  (यूनेस्को की सूची में शामिल 11 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है।)
- **भारत में मुख्य मृदाओं के प्रकार**- जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, लैटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा तथा पर्वतीय मृदा।
- **भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ**- उष्णकटिबंधीय सदाहरित, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, कँटीले वन व झाड़ियाँ, पर्वतीय तथा ज्वारीय वन आदि।
- **भारत के प्रमुख परमाणु विद्युत केंद्र**- तारापुर (मुंबई), रावतभाटा (कोटा), नरौरा (बुलंदशहर), कैगा (कर्नाटक), कुडनकुलम (तमिलनाडु), कलपक्कम (चेन्नई) तथा जैतापुर (रत्नागिरि)।

सामान्य जानकारी

भारत विश्व का प्राचीन एवं महान सभ्यताओं वाला देश है, इसकी सांस्कृतिक विभिन्नता अद्भुत है। दक्षिण एशिया में इसकी अवस्थिति हिमालय पर्वतमालाओं के दक्षिण एवं हिंद महासागर के उत्तर में है।

इसके पूर्वी एवं पश्चिमी किनारों पर क्रमशः बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर स्थित है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैले इस देश की प्राकृतिक विविधता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके दक्षिण-पश्चिम तट पर उष्णकटिबंधीय वन फैले हुए हैं तो पश्चिम में थार के मरुस्थल का विस्तार है।

- इसकी मुख्य ***भूमि 8°4' उत्तरी अक्षांश*** (हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6°4' उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है) ***से 37°6' उत्तरी अक्षांश तथा 68°7' पूर्वी और 97°25' पूर्वी देशांतर के बीच फैली है।*** भारत का सबसे उत्तरी बिंदु ***इंदिरा कॉल*** जो जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है तथा सबसे दक्षिणी बिंदु ***इंदिरा पॉइंट*** है जो ग्रेट निकोबार में है।
- इसका उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर का विस्तार है। भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर की है तथा इसकी तटीय सीमा का विस्तार 7,516.6 किलोमीटर है।
- कर्क रेखा भारत के आठ राज्यों ***(गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिज़ोरम)*** से होकर गुज़रती है।
- भारत में ***29 राज्य*** एवं ***7 केंद्र-शासित प्रदेश*** हैं।
- भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में ***सातवें*** स्थान पर है।

केंद्र-शासित प्रदेश पुदुच्चेरी का फैलाव भारत के तीन राज्यों में है। इसके अंतर्गत पुदुच्चेरी, यनम, कराईकल तथा माहे आते हैं, जिनमें माहे केरल की सीमा में, यनम आंध्र प्रदेश की सीमा में और कराईकल तथा पुदुच्चेरी तमिलनाडु की सीमा में अवस्थित हैं।

करेंट अफेयर्स

पर आधारित प्रिलिम्स अभ्यास प्रश्न

1. ट्रांस-फैट (Trans- Fat) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. औद्योगिक ट्रांस-फैट का निर्माण वनस्पति तेल में कार्बन मिलाकर किया जाता है।
2. हाल ही में एफएसएसएआई (FSSAI) द्वारा ट्रांस-फैट फ्री उत्पादों की पहचान के लिये एक लोगो लॉन्च किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से 'कपास-4' देशों [Cotton Four (C-4) Countries] में शामिल है/हैं?

1. भारत
2. माली
3. बेनिन (Benin)
4. बुर्किना फासो (Burkina Faso)
5. चाड

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिये:

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1, 3 और 5
(c) केवल 2, 3, 4 और 5 (d) केवल 1, 2 और 4

3. भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिये पारंपरिक संबोधन करता है।
2. जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता, तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है।

नीचे दिये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिये:

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

4. ई-वेस्ट क्लीनिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इसकी स्थापना पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी।
2. इसका निर्माण मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िले में किया जाएगा।
3. यह भारत का पहला ई-वेस्ट (e-waste) क्लीनिक होगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

5. 'हाल्ट द हेट' (Halt The Hate) पहल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?

(a) गृह मंत्रालय
(b) ग्रीन पीस इंटरनेशनल
(c) एमनेस्टी (Amnesty) इंटरनेशनल
(d) महिला और बाल विकास मंत्रालय

6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत में राज्य सरकारों को गैर-कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार है।
2. आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदानें नहीं हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

7. कला और संस्कृति विरासत के लिये भारतीय राष्ट्रीय ट्रस्ट (INTACH) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह भारतीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
2. यह न्यास भारत की अमूर्त विरासतों के भी संरक्षण का कार्य करता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

8. हाल ही समाचारों में रहे एनएच 766 (NH 766) का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों से है?

(a) गुजरात और महाराष्ट्र
(b) मध्य प्रदेश और तेलंगाना
(c) असम और अरुणाचल प्रदेश
(d) कर्नाटक और केरल

9. निम्नलिखित में से कौन-सी पहल/पहलें अटल नवाचार मिशन से संबंधित नहीं है/हैं?

1. अटल टिंकरिंग लैब
2. अटल न्यू इंडिया चैलेंज
3. अटल पेंशन योजना
4. एआरआईएसई (ARISE)

'आपके पत्र'

मैं अगस्त 2015 के जो 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' का प्रथम वर्ष का दूसरा अंक था, से नियमित पाठक हूँ। शुरुआती संस्करणों में दृष्टि मैगज़ीन की अन्य मैगज़ीनों के साथ प्रतियोगिता रही, लेकिन पिछले तीन वर्षों में दृष्टि प्रबंधन की मेहनत का ही नतीजा है कि आज दृष्टि मैगज़ीन की प्रतियोगिता में कोई दूसरी मैगज़ीन नहीं बल्कि इसकी स्वयं से ही प्रतियोगिता है। करेंट अफेयर्स के साथ-साथ करेंट अफेयर्स से जुड़े प्रश्न-उत्तर एवं जिस्ट जो अन्य किसी मैगज़ीन में नहीं मिलता, बेहद शानदार है। डॉ. विकास दिव्यकीर्ति सर का संपादकीय लेख हमेशा मनोबल बढ़ाने वाला और जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हैं एवं स्वयं अध्ययन कर रहे हैं के लिये मार्गदर्शन की तरह होता है। दृष्टि संस्थान एवं दृष्टि मैगज़ीन ने हिंदी माध्यम के लिये जो उत्कृष्ट कार्य किया है उसके लिये मैं दृष्टि परिवार को कोटि-कोटि धन्यवाद एवं भविष्य हेतु अनंत शुभकामनाएँ देता हूँ।

-अवधेश सिंह तौमर, मेरठ

(पुरस्कृत पत्र)

मैं दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे का विगत 2 वर्षों से नियमित पाठक रहा हूँ। मैं सर्वप्रथम विकास सर और उनकी टीम की तन्मयता एवं नवाचारी दृष्टिकोण (जिस्ट, पुस्तक समीक्षा, माइंड मैप, मानचित्र) का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। प्रत्येक अंक में पिछले अंक से कुछ बेहतर करने की चाहत ही हम पाठकों की मैगज़ीन पढ़ने की रोचकता को बनाए रखती है। मुझे दृष्टि मैगज़ीन की सर्वप्रमुख विशेषता उसकी समग्रता प्रतीत होती है, जो अपने आप में समावेशी चरित्र से युक्त दृष्टि मैगज़ीन सिविल सेवा की परीक्षा की मांग के अनुरूप सभी आयामों को गुणवत्तापूर्वक अपने अंदर संकलित करती है। यह विशेषता किसी अन्य स्रोत में प्राप्त नहीं होती। सिविल सेवा की तैयारी एक लंबी प्रक्रिया है, इसके लिये छात्रों का उत्साह और धैर्य बनाए रखने में मैगज़ीन का 'संपादक की कलम' से खंड एक सार्थक प्रयास है जिसके लिये मैं विकास सर का हृदय से अभिनंदन करता हूँ।

-प्रवीण सिंह

मैं दृष्टि मैगज़ीन का नियमित पाठक रहा हूँ। हिंदी मीडियम वाले छात्रों के सामने हमेशा से यह समस्या बनी हुई थी कि उनके पास समसामयिक विषयों के लिये कोई अच्छा समाचार पत्र हिंदी में उपलब्ध नहीं था। अंग्रेज़ी के सारे समाचार पत्र, जैसे द हिंदू, हिंदुस्तान आदि समाचार पत्रों को पढ़ने के लिये हिंदी मीडियम वाले छात्रों को अधिक समय खर्च करना पड़ता था, लेकिन दृष्टि मैगज़ीन ने वह समस्या सुलझा दी है। अंग्रेज़ी के सारे अच्छे समाचार पत्रों के आर्टिकल एडिटोरियल दृष्टि मैगज़ीन एक साथ उपलब्ध करा देता है जिससे विद्यार्थियों को पढ़ने में सुविधा और समय की बचत होती है। हमारी ओर से दृष्टि टीम को धन्यवाद। ***-हरि ओम शिवम द्विवेदी ललितपुर (उत्तर प्रदेश)***

मैं दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे मासिक पत्रिका का अगस्त 2018 से नियमित पाठक हूँ। विकास सर के संपादकीय लेख से पत्रिका के अंतिम पेज तक इसमें जो सामग्री होती है वो मेरे लिये एक मार्गदर्शक का काम करती है। अक्तूबर माह के अंक में नीतिशास्त्र से संबंधित जो भाग दिया गया है, वह बहुत ही सरल एवं रोचक लगा। और साथ ही अभी संपन्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में कई सारे प्रश्न सीधे ही इस पत्रिका से पूछे गए। मैं आशा करता हूँ कि आगामी राजस्थान लोक सेवा आयोग परीक्षा में यह पत्रिका हमारे लिये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। दृष्टि टीम का बहुत-बहुत आभार।

-पदम सिंह भाटी कापराऊ (ज़िला- बाड़मेर, राजस्थान)

मैं बैच 21 का स्टूडेंट हूँ। पिछले दो सालों से मैं दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे का नियमित पाठक रहा हूँ। इस दौरान मैंने पाया कि यह यूपीएससी के लिये 'गागर में सागर' जैसी है। जिसे हम कभी भी पढ़ना नहीं छोड़ते। इसे पढ़ने पर मैं यूपीएससी के बिखरे सिलेबस को बांध पाता हूँ। इस मैगज़ीन को पढ़ने के बाद मुझे दूसरे आलेखों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। इस बार के मेन्स पेपर के मॉडल आंसर देखकर मैं आंसर फॉर्मेट कर पाना समझा। दरअसल यह मैगज़ीन दूर रह रहे स्टूडेंट्स के लिये टीचर्स के समान है। एक खास बात यह है कि इसका माइंड मैप खंड फास्ट रिवीज़न में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ***-रोहित पटेल***

मैं पिछले ढाई वर्षों से (2017 से) दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे मैगज़ीन का नियमित पाठक रहा हूँ। साथ ही, मैं दृष्टि के यूट्यूब चैनल और दृष्टि की वेबसाइट को भी नियमित रूप से फॉलो कर रहा हूँ। दृष्टि मैगज़ीन न केवल समसामयिक घटनाओं का बल्कि मैगज़ीन में जिस्ट, मानचित्र, महत्त्वपूर्ण लेख और माइंड मैप आदि का संकलन बेहद महत्त्वपूर्ण एवं सराहनीय है।

-संतोष पाराशर, ज़िला डिंडोरी, मध्य प्रदेश।

मैं पिछले 1 साल से दृष्टि की करेंट अफेयर्स मैगज़ीन का अध्ययन कर रहा हूँ। यह पुस्तक सिविल सेवा परीक्षा की दृष्टि से हमें वर्तमान में चल रही समस्त घटनाओं से रू-बरू कराती है तथा उन मुद्दों को व्यापक और सरल रूप से समझाने में सफल रहती है, खासकर नवंबर के अंक में अंकित NRC मुद्दे और मंदी के मुद्दे को इतना सरल रूप से समझाया गया है कि शायद एक वकील भी इतना अच्छे न समझा पाए। माइंड मैपिंग और निबंध की दृष्टि से यह अति महत्त्वपूर्ण हो जाती है। समस्त पत्रिकाओं का सार इसमें मिलता है जो सिविल सेवा के लिये महत्त्वपूर्ण है। धन्यवाद दृष्टि टीम।

- वीरेंद्र विक्रम सिंह (अमेठी)

मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि मुख्य परीक्षा में अधिकांश प्रश्न इस मैगज़ीन से पूछे गए। इसका श्रेय मैगज़ीन में कार्यरत दृष्टि टीम को ही जाता है जिन्होंने अपने प्रयासों के ज़रिये इस मैगज़ीन को न केवल यूपीएससी परीक्षा के लिये मददगार बनाया अपितु अन्य राज्य स्तर की परीक्षाओं के लिये भी महत्त्वपूर्ण बनाया। साथ ही, इस मैगज़ीन की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके द्वारा प्रिलिम्स, मेन्स एवं इंटरव्यू की तैयारी समग्रता के साथ हो जाती है। इतना ही नहीं, इसके अंतर्गत सर का मोटिवेशन, टॉपर्स से बातचीत, लेख खंड, पुस्तक समीक्षा, निबंध खंड, माइंड मैप एवं मानचित्र इत्यादि 'गागर में सागर' भरने का कार्य करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप अपना प्रयास यूँ ही जारी रखेंगे। दृष्टि की मैगज़ीन टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद।

-पल्लवी आर्य, उत्तर प्रदेश (संभल)

इनके भी पत्र मिले- *अरविन्द शुक्ला, अभिषेक तिवारी, गौरव वाजपेयी, हेमंत पाटीदार, शिवम पांडे, मनीष सोनी, गनपत कुमार, पारस चौधरी।*

आप सभी पाठकों की बहुमूल्य प्रतिक्रिया के लिये हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपकी प्रतिक्रियाएँ हमें हौसला देती हैं एवं निरंतर बेहतर करने के लिये प्रोत्साहित करती हैं। आप अपनी प्रतिक्रियाएँ कार्यकारी संपादक की ई-मेल आईडी *purushottam@groupdrishti.com* पर भेजें। आपकी चुनिंदा प्रतिक्रियाओं को हम आपके नाम के साथ मैगज़ीन में छापेंगे तथा सर्वश्रेष्ठ प्रतिक्रिया भेजने वाले को उपहारस्वरूप अगले तीन महीने की मैगज़ीन भेजेंगे।

धन्यवाद

Postal Regn. No. : DL(N)/353/2019-21
Posted at New Subji Mandi
PO Delhi, 9-10 November, 2019
ISSN: 2455-6025 RNI : DELHIN/2015/63103 Publishing Date : 4th November, 2019

Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

दिल्ली शाखा

सामान्य अध्ययन

ओरिएन्टेशन क्लास के साथ बैच प्रारंभ

12 दिसंबर

प्रातः 11:30 बजे

अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं
तो पहले ही स्थान आरक्षित कराएँ।

प्रयागराज शाखा

सामान्य अध्ययन

ओरिएन्टेशन क्लास के साथ बैच प्रारंभ

24 नवंबर

प्रातः 11:15 बजे

अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं
तो पहले ही स्थान आरक्षित कराएँ।

दृष्टि मॉक टेस्ट सीरीज़ कार्यक्रम

IAS मेन्स टेस्ट सीरीज़-2020

सामान्य अध्ययन

प्रारंभ **12** नवंबर से

कुल 24 टेस्ट्स

हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों माध्यमों में

वैकल्पिक विषय

प्रारंभ **12** दिसंबर से

हिंदी साहित्य	इतिहास	भूगोल
16 टेस्ट्स	16 टेस्ट्स	16 टेस्ट्स

केवल हिंदी माध्यम में

ऑनलाइन, ऑफलाइन और पोस्टल

IAS प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज़-2020

सामान्य अध्ययन और सीसैट

प्रारंभ **7** दिसंबर से

कुल 20 टेस्ट्स

हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों माध्यमों में

ऑनलाइन और ऑफलाइन

दृष्टि आई.ए.एस. (दिल्ली शाखा) का पता
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
8448485519, 87501 87501, 011-47532596

दृष्टि आई.ए.एस. (प्रयागराज शाखा) का पता
ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज
8448485518, 8750187501, 8929439702

दिल्ली (मुखर्जी नगर) एवं प्रयागराज (सिविल लाइन्स) के अतिरिक्त हमारी कोई शाखा नहीं है। भ्रामक विज्ञापनों से बचें।

करेंट अफेयर्स से जुड़े दैनिक अपडेट्स के लिये देखें हमारी वेबसाइट : drishtiias.com
और हमारा YouTube चैनल : Drishti IAS

अब आप 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' को amazon से भी खरीद सकते हैं।

ISSN 2455-6025
9 772455 602504